(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] पंचम् विधान सभा के पंचम सत्र का 38वां दिवस संख्या [25

बुधवार

3 अप्रेल, 1974

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोतर

(सिंचाई शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उद्योग, समाज कल्याण, श्रम, यातायात, विद्युत्, गृह, सार्वजनिक निर्माण एवं विधि विभाग)

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न ।

श्री **ओंकारलाल** ।

झालावाड़ जिले में उद्योगों की स्थापना

657. **श्री ओंकारलाल चौहान** (झालावाड़) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले को उद्योग की दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या झालावाड़ जिले में उद्योगों को बढ़ाने की दृष्टि से कोई योजना बनाई गई है ?

(2) क्या राज्य सरकार भवानी मण्डी व चौमहला में कोई उद्योग स्थापित करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, उद्योग (**श्री गुलाबसिंह शक्तावत**) : (1) जी हां । भारत सरकार की स्वीकृति से झालावाड़ जिले में ग्रामीण औद्योगीकरण परियोजना 1973-74 में प्रारम्भ कर दी गई है ।

(2) जी नहीं ।

श्री **ओंकारलाल चौहान** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूँगा कि इस झालावाड़ जिले को कब से पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : केन्द्र से पांच वर्ष पूर्व पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है आप चाहें तो लैटर का नम्बर दे दूं ।

श्री **ओंकारलाल चौहान** : कब से घोषित किया गया है ?

एक **माननीय सदस्य** : डेट पूछ रहे हैं ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पिछड़े जिले की घोषणा के लिए हम भारत सरकार से सिफारिश करते हैं और भारत सरकार घोषणा करती है । भारत सरकार ने इसकी घोषणा पांच वर्ष पूर्व की थी लेकिन जो कार्यक्रम सेंक्शन करने का सवाल है उसकी स्वीकृति भारत सरकार ने 11-9-73 को दी थी ।

Page No 2

श्री ओंकारलाल चौहान : पांच वर्ष पहले स्वीकृत हुई तो अब तक उसके विकास का कार्यक्रम क्यों नहीं बनाया ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जब तक भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होती तब तक हम कोई योजना नहीं बना सकते ।

श्री ओंकारलाल चौहान : अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : राज्य सरकार ने वहां पर योजना को लागू करने के सम्बन्ध में आफिस खोल दिया है जो कि काम शुरू कर रहा है और वहां पर सारे सर्वे के काम हाथ में ले लिये गये हैं और सर्वे करने के बाद में उसकी योजना बनाई जावेगी कि कौन कौन से उद्योग लग सकते हैं उसकी तैयारी की जा रही है ।

श्री ओंकारलाल चौहान : यह आफिस कब से खोला गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसमें कुर्सी टेबल और अलमारी आ गयी हैं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : दिसम्बर, 73 में आफिस ने काम करना शुरू कर दिया है ।

श्री ओंकारलाल चौहान : जो आपने दफ्तर कायम किया वह निष्क्रिय है क्या यह सत्य है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : निष्क्रिय होने की कोई जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री ओंकारलाल चौहान : वन मोर क्वेश्चन सर । मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि भवानी मण्डी और चौमहला क्या इन दोनों जगहों की सर्वे कराई गई है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने कहा जी नहीं ।

श्री ओंकारलाल चौहान : क्या राज्य सरकार सर्वे कराने का विचार रखती है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री वृजेन्द्रपालसिंह ।

करोली उप जिले में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए बांध व तालाब

658. **श्री वृजेन्द्रपाल सिंह (करौली) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि उप-जिला करोली में सन् 1972 में जो बांध और तालाब अतिवृष्टि में क्षतिग्रस्त हुए उनको बनवाने का कार्य अभी तक चालू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि गत सत्र में दिनांक 6-11-63 को राज्य सरकार से यह आश्वासन मिला था कि इन बांधों को पुनः बनवा दिया जायेगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जी नहीं, सिंचाई विभाग के क्षतिग्रस्त कार्यों की धन की उपलब्धि के अनुसार [illegible] का कार्य किया जा चुका है ।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(2) गत सत्र में दिनांक 6-11-73 को अतारांकित प्रश्न संख्या 93 का माननीय पंचायत मंत्री ने यह उत्तर पंचायतों के अधीनस्थ क्षतिग्रस्त बन्धों के विषयों में दिया था कि ऐसे बन्धों को शीघ्र मरम्मत करवाये जाने की व्यवस्था की जावेगी ।

श्री बृजेन्द्रपाल सिंह : गत सत्र में सूची प्राप्त हुई उसमें 68 बांध ऐसे हैं कि जिनकी मरम्मत ही नहीं हुई ।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया कि गत वर्ष जिनकी सूची दी गयी थी और जिन तालाबों के संबंध में यह बात थी वह पंचायतों के तालाब थे। पंचायत समितियों के माध्यम से उनके द्वारा किये गये तालाब थे और आपका प्रश्न सिंचाई विभाग से है उसके लिये मैंने कहा है कि सिंचाई विभाग के 90 तालाब हैं जो कि पंचायत के माध्यम से हो रहे हैं। उसमें से बहुत से तालाब अधूरे पड़े हुए हैं उनको सिंचाई विभाग सीधे अपने हाथ में नहीं ले सकता है। विकास विभाग ही उनको अपने हाथ में लेगा और इसके लिये कितनी राशि स्वीकृत हुई है यह मैं नहीं कह सकता ।

श्री भरतलाल : अध्यक्ष महोदय, यह करौली सब डिवीजन का ही मामला नहीं है बल्कि यह पूरे जिले का है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय यह बता सकते हैं कि पंचायत समितियों के कितने टैंक आपने ठीक करवा दिये ? सन् 1972 के बाद जो तालाब नष्ट हुए हैं उनको आपने 3 लाख और कुछ हजार रुपया दिया था । आपने पंचायत समितियों के टैंक ठीक नहीं करवायें । वहां पर हिन्डौन का तालाब जो कि म्युनिसिपल एरिया में है और दूसरा तालाब है उस पर लगा दिये सारे पैसे और पंचायत समितियों ने आज तक कोई टैंक रिपेयर नहीं हुए और आज की तारीख में भी वह वैसे के वैसे ही पड़े है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि सिंचाई विभाग का संबंध सिंचाई विभाग द्वारा लिए गये तालाबों से रहता है। पंचायत समितियों के तालाब का संबंध विकास विभाग से है और उनके मरम्मत का संबंध भी उन्हीं विभाग से है । जिन तीन लाख रुपयों का माननीय सदस्य ने जिक्र किया फ्लड के समय में जो तालाब टूटे थे उनकी मरम्मत के लिये पैसा मिला था वह सिंचाई विभाग के तालाबों के लिए मिला था और वह उनके ऊपर ही खर्च किया गया है। और पंचायत समितियों के पास जो तालाब हैं उनके लिये वह पैसा नहीं था उसका प्रश्न पूछना है तो पंचायत मंत्री से तो पूछ लें वह जवाब दे देंगे ।

श्री भरतलाल : यह पैसा सेन्टर ने दिया था। डिपार्टमेंट के अधिकारी मिले और उन्होंने हमको कहा है कि सेन्टर ने यह राशि दी है और 40 पर्सेन्ट पंचायत समितियों को कन्ट्रीब्यूट करनी है और बाद में डिसीजन ले लिया कि 40 पर्सेन्ट वह धनराशि इरींगशन डिपार्टमेंट इनको देगा। उसके बावजूद आज दिन तक इस पैसे का पंचायत समिति लेवल पर उपयोग नहीं किया गया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह अलग से प्रश्न है। आप अलग से प्रश्न पूछ लें उसकी जानकारी होगी विभाग के पास तो दे देंगे ।

Page No 4

(५)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल ।

जिला सवाई माधोपुर में प्राईमरी व मिडिल स्कूलों की क्रमोन्नति

659. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) जिला सवाई माधोपुर में गत वर्ष कितने मिडिल स्कूल व प्राईमरी स्कूल खोले गये थे ? प्राईमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में क्रमोन्नत करने से पूर्व उन प्राईमरी स्कूलों में छात्रों की संख्या क्या थी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) प्राईमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में क्रमोन्नत करने के लिए क्या कोई नियम भी बनाये गये थे ? क्या यह सही है कि नियमों के आधार पर ही स्कूल क्रमोन्नत किये गये थे ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि अभी तक नये मिडिल स्कूलों में पूर्णतया अध्यापक नहीं लगाये गये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम बामनवास बडी पट्टी में प्राईमरी स्कूल में छात्रों की संख्या समस्त क्रमोन्नत किये गये (मिडिल स्कूल) प्राईमरी स्कूलों से अधिक होते हुए भी क्रमोन्नत नहीं किया गया ? अगर हां, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) जिला सवाई माधोपुर में गत वर्ष खोले गये प्राथमिक एवं क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां, यथासम्भव शाखा क्रमोन्नत करते समय नियमों का पालन किया गया है ।

(3) यह सही नहीं है । हो सकता है कि पदस्थापन करने के बाद कुछ अध्यापकों ने कार्यभार नहीं संभाला हो ।

(4) शालाओं को उच्च स्तर में क्रमोन्नति की सिफारिश जिला समिति जो जिलाधीश की अध्यक्षता में बनाई गई थी, ने की थी और उसी आधार पर शालाओं को क्रमोन्नत किया गया था ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, वैसे मुझे सूची प्राप्त नहीं हुई है लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में है क्योंकि मैं भी कमेटी का सदस्य था कि ऐसे ऐसे स्थानों के ऊपर स्कूलों को क्रमोन्नत कर दिया गया था जहां कि छात्रों की संख्या 25–30 से ज्यादा नहीं थी लेकिन जो नियम के बारे में बताया है वह नियम यह था कि जहां चतुर्थ कक्षा के छात्रों की संख्या 40 हो और पांचवीं कक्षा के छात्रों की संख्या 10 हो तो वहीं पर प्राईमरी स्कूल को क्रमोन्नत किया जाये । तो वैसे इन नियमों का पालन नहीं किया गया है । इस कमेटी के अध्यक्ष कलेक्टर श्री हरिश्चन्द्र पाण्डे थे और उनके लिए खास तौर से यह बात है कि वह नियमों की पालना नहीं करते थे । इसके अलावा हमने निवेदन किया था कि आप नियमों के तहत जो कर रहे हैं यह मेरे ख्याल से जितने भी क्रमो-

Page No 5

(5)

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)
अब स्कूल किये गये थे वहां पर छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा थी।

मैंने जो इसके बारे में निवेदन किया था। आप जिस तरह नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और बड़ी पट्टी है उसमें कोई कारण है तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं इस बड़ी पट्टी को क्रमोन्नत कर दिया जायगा।

श्री खेतसिंह : माननीय सदस्य ने जितनी बहस विधान सभा के प्रांगण में की है उतनी ही बहस वहां करते तो यह स्कूल खुल गया होता।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, वहां भी चार घन्टे बराबर बहस चलती रही है। कलेक्टर थे उनसे पूछा उन्होंने जवाब दिया जो कुछ कार्यवाही की है और उस कार्यवाही की जानकारी जब मिली जब लिस्ट निकाल दी थी।

श्री भरतलाल : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे गांव का मसला है। यदि ये थोड़ा बहुत जोर डालते तो स्कूल खुल जाता। यह शिकायत तो मुझे होनी चाहिये थी।

(व्यवधान, अश्रव्य)

·····कलेक्टर नहीं माने यह बात दूसरी है...

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : माननीय सदस्य इस बात को नहीं चाहते थे, क्योंकि बड़ी पट्टी में इनका व्यक्तिगत झगड़ा है और बड़ी पट्टी में स्कूल खुले केवल ये ही माननीय सदस्य ऐसे थे जो अवहेलना कर रहे थे

(व्यवधान, अश्रव्य)

···इस स्कूल को क्रमोन्नत किया जाय लेकिन माननीय सदस्य एक ही ऐसे थे जो नहीं चाहते थे।

श्री भरतलाल : कलेक्टर मेरी ज्यादा मानता है क्या ?

श्री खेतसिंह : इस साल जब स्कूल क्रमोन्नत किये जायेंगे तो इस पर भी विचार किया जायगा।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 4 में बताया है मैं यह पूछना चाहता हूं क्या सबसे ज्यादा छात्र संख्या थी ? क्या जिले में सबसे ज्यादा छात्र संख्या थी, जब क्रमोन्नत किया गया ?

श्री अध्यक्ष : अब क्या रह गया है ?

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : इस साल में खुल ही नहीं रहे हैं तो कहेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : पहले एक दूसरे को देख लें।

श्री मीठा लाल : क्या जिले में जो प्राईमरी स्कूलों को क्रमोन्नत करके मिडिल स्कूल बनाते हैं तो क्या इस स्कूल की सबसे ज्यादा छात्र संख्या है और क्या भवन की व्यवस्था है ? मैं यही बात पूछना चाहता हूं।

श्री गोपाल जोशी : जो अध्यापकगण स्कूलों में नहीं पहुंचते हैं क्या सरकार की

(श्री गोपाल जोशी)
जिम्मेदारी नहीं है कि उनको पहुंचाये। जनता सफर करती है . .

श्री जयकिशन लाल : जिस प्रकार माननीय सदस्य बोल रहे हैं और उनके बोलने के आधार पर माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया इस प्रकार की बहस करते तो हो सकता था। क्या आपके पास इस प्रकार का जबाब आया है ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा प्राइमरी स्कूलों में अधिकांश में अध्यापक नहीं पहुंचते हैं तो मेरा निवेदन है प्राईमरी स्कूलों की व्यवस्था पंचायत समितियां चलाती हैं। जब छठी क्लास लगाई जाती है तो सरकार के अध्यापक जाते है बाकी सारा स्टाफ पंचायत समिति का रहता है। इस वास्ते पंचायत समिति वाले पूरा स्टाफ नहीं रखते हैं। अगले काल जब की पूरी स्कूल आ जायगी तो यह प्रयास किया जायगा कि पूरा स्टाफ लगे। दूसरा प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा इसमें सबसे ज्यादा छात्र हैं। ऐसी परिस्थिति नहीं है। यह तो जिला कमेटी पर छोड़ दिया गया है और उनके पास कुछ नियम भेज दिये गये थे। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए और जो माननीय सदस्यों की राय बने उस आधार पर स्कूल खोल दें।

श्री मीठा लाल : जिला समिति में स्थानीय विधायकों ने जो कुछ कहा उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माननीय सदस्य का गांव है वह मेरा भी गांव है। जिस जिले में सबसे ज्यादा छात्र संख्या हो, भवन हो, जितना फील्ड मिडिल स्कूल को चाहिये उससे ज्यादा है इसके बावजूद प्राईमरी स्कूल नहीं खुला, जैसा आपने फरमाया इस साल जरूर खोलेंगे तो यहां का ध्यान रखा जायगा लेकिन मैंने गत बार भी निवेदन किया था और गत बार भी आपने यह रखा था। अगले साल नहरी इलाकों में खोल रहे हैं वैसे खोल देंगे क्या ?

एक माननीय सदस्य : मैं भी पूछ लेता हूं।

श्री **खेतसिंह** : जिले की कमेटियां बनाई गई हैं इसमें सारे माननीय सदस्य हैं, संसद सदस्य हैं और उन्होंने सबसे मिल कर निर्णय लिया है। अगर सदन इस राय का हो कि यह कमेटी ठीक कार्यवाही नहीं कर रही है तो विभाग विचार कर सकता है और तोड़ दे . .

श्री **अध्यक्ष** : श्री जेठ मल।

जवाहर नगर में विद्युत् कनेक्शन

660. **श्री जेठमल बरबड** (परबतसर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के नये मकानों में (जवाहर नगर) को अभी तक विजली के कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और कब दिये जावेंगे ?

(2) क्या यह सही है कि एक अस्थाई कनेक्शन रैजीडेन्ट इन्जीनियर हाउसिंग बोर्ड के नाम दिया गया है और इस अस्थाई कनेक्शन से जितने इन्जीनियर्स एवं कुछ

(श्री जेठमल)
अन्य व्यक्तियों जो इसी जवाहर नगर कालोनी में रह रहे हैं, को टेपिंग करके विद्युत् दी गई है ? यदि हां, तो क्या यह विद्युत् मण्डल के नियमों का उल्लंघन नहीं है ? यदि हां, तो विद्युत् अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं की, तो क्यों ?

विद्युत् मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी नहीं, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा जवाहर नगर कालोनी में निर्मित नये मकानों को बिजली के कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं, रेजीडेन्ड इंजीनियर, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के नाम से एक अस्थाई कनेक्शन दिया गया था उसमें से विद्युत् मण्डल की जानकारी के अनुसार जवाहर नगर कालोनी में रहने वाले किसी इंजीनियर या अन्य व्यक्तियों को बिजली नहीं दी गई है। कालोनी में एक और अस्थायी कनेक्शन एक इंजीनियर श्री एस. एन. कल्ला के नाम से अलग से विद्युत् मण्डल द्वारा अवश्य दिया गया था] जो नियमों के अनुसार है।

श्री जेठमल : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे उस इन्जीनियर महोदय ने टेपिंट करके गैर कानूनी तरीके से कनेक्शन दिया है और ऐसी जानकारी सरकार के ध्यान में लाई गई है। क्या सरकार कोई एक्शन लेने का विचार रखती है।

श्री हीरालाल देवपुरा : जो सवाल पूछा है उस समय तब यह नहीं थे इसलिये माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक बतायेंगे यह किया गया है तो जरूर कार्यवाही की जायगी और जिन्होंने गलत कार्यवाही की है उनके खिलाफ एक्शन लिया जायगा।

श्री जेठमल : कलेक्टर महोदय को अोबलाइज किया है। कई तरह के काम हैं, आप जांच करवायें। इन्होंने गलत काम किया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

शहरों में किसानों के ट्रेक्टरों का चालान

661. **श्री रामसिंह बिश्नोई** (लूणी) : क्या यातायात मंत्री बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में कुल कितने ट्रेक्टर्स हैं? जिले वाइज सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत की जावे।

(2) क्या यह सही है कि किसान जब अपना ट्रेक्टर शहरों में सामान, चारा या खाद्य पदार्थ लेकर जाते हैं तो यातायात निरीक्षक अक्सर उनके चालान भर लेते हैं? अगर हां, तो ऐसे कितने चालान राजस्थान में कोर्ट्स में पेन्डिग हैं? जिलेवाइज सूची भी प्रस्तुत की जावे।

यातायात मंत्री (श्री मोहनलाल छंगानी) : अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी सूचना एकत्रित नहीं हो पाई है इसलिए इसको स्थगित करने के लिए निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, सरकार कम से कम यातायात निरीक्षक को यह तो कहे कि उनको तंग न करें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री गिरधारीलाल भार्गव ।

राजकीय सचिवालय में स्थानान्तरण होकर आये कर्मचारियों को सीनियोरिटी

662. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (जयपुर, हवामहल) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय सचिवालय में किस-किस पद पर कौन-कौन कर्मचारी कब कब किस किस विभाग से स्थानान्तरण होकर आये ?

(2) ऐसे स्थानान्तरणों पर आये कर्मचारियों की सीनियोरिटी किस तरह निर्धारित की गई ?

(3) क्या यह सही है कि राजकीय सचिवालय में समस्त पदों का क्लोज कैडर कर दिया गया है ? यदि हां, तो कैसे, कब व क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि राजकीय सचिवालय में ऐसे स्थानान्तरित कर्मचारियों की सीनियोरिटी जिस दिन से वे ड्यूटी ज्वाइन करते हैं उस दिन से मानी जाती है ? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से कर्मचारी हैं ?

(5) क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए है ? यदि हां, तो कृपया नियमों की आज तक की संशोधित प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(6) राजकीय सचिवालय में कब-कब कौन-कौन कर्मचारी किस-किस विभाग में स्थानान्तरण हो गये तथा उनका लियन कैसे और कब तक रखा गया ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(2) इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न 1 के उत्तर पर ही निर्भर करता है, जिसकी सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(3) जी नहीं । समस्त पदों का क्लोज कैडर नहीं है । चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण दूसरे कार्यालयों से सचिवालय में हो सकता है । मंत्रालयिक सेवाओं के लिये भी बाहर से सचिवालय में आने के लिये सीमित प्रावधान (Limited provision) मौजूद है ।

(4) जी नहीं, संबंधित नियमों के अनुसार वरिष्ठता तय की जाती है ।

(5) जी हां, नियमों की तथा उनमें किये गये अब तक के संशोधनों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(6) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इतना लम्बा है जिसमें 25 वर्षों की जानकारी चाही गई है । माननीय सदस्य हंस रहे हैं लेकिन 25 वर्षों की सूचना एकत्रित करना 10—15 दिन का काम नहीं है । माननीय सदस्य चाहते हैं पूरी सूचना हो तो 10—15 दिन में एकत्रित करके नहीं दी जा सकती है ।

श्री अध्यक्ष : May be treated as Unstarred Question.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 साल की सूचना का प्रश्न नहीं है . .

Page No 9

(9)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने रिक्वेस्ट की है 25 साल की ····· कौन-कौन से विभागों से आये हैं और किस-किस····

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न सं. 663

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट। प्रश्न सं. 664 श्री बनवारीलाल

चम्बल नदी के ऊपर खींची बिजली की लाइन

664. **श्री बनवारी लाल (धौलपुर)**:– क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत वर्ष चम्बल नदी में बाढ़ आ जाने से नदी के ऊपर खींची हुई बिजली की लाइन टूट जाने से धौलपुर में कितने दिन अन्धेरा रहा?

(2) क्या सरकार भविष्य के लिये इस समस्या को दूर करने के लिये नदी के दोनों तरफ किनारों पर ऊंचे टावर बनाने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

विद्युत् मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) (1) धौलपुर की विद्युत् सप्लाई जून 73 से सितम्बर, 73 की अवधि में तीन बार लाइन खराब होने के कारण आंशिक रूप से बन्द रही। बन्द रहने की कुल अवधि 27 दिन की थी। इन दिनों में आंशिक सप्लाई डीजल सेट्स द्वारा दी जाती रही थी। नदी के दोनों किनारों पर लगाने के लिये स्पेशल टावर बनवाने का प्रश्न विचाराधीन है। समय के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। धौलपुर को भरतपुर से भी एक नई 33 के.वी.लाइन द्वारा जोड़ने दिया गया है।

श्री बनवारीलाल : इसको ठीक न करके इधर उधर की व्यवस्था से बिजली देने का क्या मतलब?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, उस लाइन से बिजली मिलना जब बन्द रही तो वाटर वर्क्स है, अस्पताल है और भी जो इमर्जेन्सी के काम थे उनके लिये उससे जितनी सप्लाई कर सकते थे, हमने की। बीकानेर से भी दो सेट एक्स्ट्रा मंगा कर रक्खे थे।

श्री बनवारीलाल : आपको भी इतनी परेशानी उठानी पड़ी इसका क्या कारण है?

श्री हीरालाल देवपुरा : धौलपुर को भरतपुर से 33 के. वी. की लाइन से जोड़ा गया है। ग्वालियर साइड से भी ठीक करने का प्रबन्ध कर रहे हैं। 132 के.वी.के लिये टावर पूरे नहीं पड रहे हैं। इन टावरों पर वह लाइन नहीं आ सकती। इनके लिये स्पेशल टावर जरूरी हैं जिनकी डिजाइनिंग का काम चल रहा है।

श्री रामलाल : 18 दिन बिजली बन्द रही। पानी तक जनता को खरीदना पड़ा दस दस हजार तक की तो लोगों ने रस्सी बाल्टी खरीदी थी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री दीपंकर

सुजला विज्ञान कालेज का लाइब्रेरी हाल

665. श्री **दीपंकर** (लाडनूं) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि सुजला विज्ञान कालेज में लाइब्रेरी हाल का काम अधूरा है ? अगर हां, तो इसका क्या कारण है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कालेज भवन राज्य सरकार ने श्री हनुमान मल बैंगानी से डोनेशन की रकम लेकर बनाया था और भवन बनाने के पहले दानदाता और राज्य सरकार के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर हुए थे ? अगर हां, तो उस एग्रीमेंट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार ने दानदाता से किये गये एग्रीमेंट के अनुसार भवन का निर्माण सम्पूर्ण नहीं करवाया है ? अगर हां, तो क्या कमी रही है और उसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह): इस प्रश्न को स्थगित इसलिये कराना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग में वह इकरारनामा प्राप्त नहीं हो रहा है।

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री मालाराम

सीकर जिले में राहत कार्य के अन्तर्गत बने बांध

666. श्री **मालाराम** : (नीम का थाना): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिले में राहत कार्य के अन्तर्गत कितने बांधों पर कार्य हुआ ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अधूरे पड़े बांध जैसे डोकन बांध, सागर की मोरी, मगोट इत्यादि को पूरा करने पर सरकार का क्या विचार है ?

सिंचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा):

(1) सूची संलग्न है।

(2) अधूरे अकाल राहत कार्यों को अर्थाभाव के कारण अभी हाथ में लेना सम्भव नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री **मालाराम** : अर्थाभाव की आड़ में इनको कब तक टालते रहेंगे ?

श्री **हीरालाल देवपुरा** : जो स्थिति चल रही है उसमें फेमिन के इतने अधूरे काम पड़े हुए हैं कि उन सबको लेना सम्भव ही नहीं है न बजट में प्रावधान है, न क्षमता ही है। इसलिये निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता। हां, प्राथमिकता के आधार पर जिनको ले सकते हैं लेंगे हर क्षेत्र में।

श्री **मालाराम** : जो मिट्टी आदि डाल दी गई है उसका सारा पैसा बेकार जावेगा। फिर प्राथमिकता किस तरह आप तै करेंगे ?

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री गोपाल जोशी।

बीकानेर के पी.बी.एम. अस्पताल का वातानुकूलित प्लांट

667. श्री **गोपाल जोशी** (बीकानेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गोपाल जोशी)

(1) क्या बीकानेर के पी. बी. एम. अस्पताल में वातानुकूलित सम्पन्न प्लांट लगा हुआ है ? यदि हां, तो कब से तथा इस पर कुल कितना खर्च हुआ और प्लांट किस मैक मॉडल का है और यह किस कम्पनी से खरीदा गया ?

(2) उपरोक्त एयर कण्डीशन प्लांट किस दिन से चालू किया गया ? चालू होने के बाद इश प्लांट ने कितने दिनों तक संतोष-प्रद सेवाएं दीं ।

(3) क्या यह प्लांट कभी बिलकुल बंद हो गया था ? यदि हां, तो कब और कितने दिन तक बन्द रहा, इसकी मरम्मत कब करवाई गई और मरम्मत पर कितना रुपया खर्च हुआ, कब ठीक हुआ और ठीक होने के बाद कितने दिनों तक चला व पुनः फिर कब बन्द हुआ ?

(4) क्या इसमें गर्म करने का यूनिट भी है ? क्या यह गर्म यूनिट कभी चलाए गये यदि हां, तो कब कब कितने दिनों के लिये ?

(5) क्या गर्म व ठण्डा दोनों ही यूनिट अभी चालू हैं ? यदि हां, तो कब से और नहीं तो कब से और क्यों नहीं ?

राज्य मन्त्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी हां। इसके लगाने पर कुल खर्चा 219612 रुपये हुआ। यह प्लान्ट दिनांक 4-6-70 से लगा हुआ है। इस प्लान्ट का मेक व माडल निम्न प्रकार है।

बारको मेक बी. ए. सी. 1000 पेकेज्ड टाइप यूनिट एयर कण्डीशनर। यह प्लान्ट मैसर्स बाम्बे एमोनिया प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली से खरीदा गया था।

(2) यह प्लान्ट दिनांक 4-6-70 से चालू किया गया तथा सन् 1970-71 के कुछ समय तक बिलकुल ठीक चला। परन्तु सन् 1971 में कुछ खराबियां होने लगीं। तब इसको ठीक करवा लिया गया और सन् 1972 में कुछ समय तक ठीक चला सन् 1972 की गर्मियों में कुछ समय चलने के बाद प्लान्ट का ठण्डी हवा देने वाला यन्त्र खराब होने के कारण प्लान्ट बन्द करना पड़ा।

(3) इस प्लान्ट को खरीदने के बाद दो मर्तबा हवा देने वाला यन्त्र खराव हो गया। जिसकी मरम्मत सन् 1961 में करवाई गई। जिस पर 4915.95 खर्चा हुआ। इसके बाद सन् 1972 में ठण्डी हवा देने वाला यन्त्र के समय के बाद खराब होने की वजह से प्लान्ट को बन्द करना पड़ा। सरकार ने इसकी जांच व आवश्यक सुझावों के लिये एक कमेटी का गठन किया व एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो कि सन् 1973 में आई यन्त्र को कम्पनी से ठीक कराया गया तथा प्लान्ट बिलकुल ठीक चल रहा है।

(4) जी हां, इस प्लान्ट में गर्म हवा देने वाला यन्त्र भी है। यह गर्म हवा देने वाला यन्त्र अति शीतकाल में ही काम में लिया जाता रहा है।

(5) जी हां, अभी दोनों यन्त्र (गर्म व ठण्डी हवा देने वाले) बिलकुल चालू हालत में हैं।

Page No 12

(12)

श्री गोपाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहूंगा कि यह किस परपज के लिये खरीदा गया ? क्या इसकी गारन्टी थी ? गारन्टी पीरियड में इसे कितनी बार इसे ठीक करवाया गया ? क्या इसके भी पैसे देने पड़े ? क्या इसका माडल था ? जहां तक मेरी जानकारी है यह आउट आफ डेट मॉडल खरीदा गया और इसी कारण इसमें इतनी जल्दी खराबी आ गई क्या यह सही नहीं है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : हमने इस सम्बन्ध में जो एक्सपर्ट कमेटी बिठाई उसकी राय इस प्रकार रही है :

"There is no defect in the plant supplied by the firm. The plant is of standard make and M/s. Bombay Ammonia Pvt. Ltd. who have supplied the plant is a reputed firm."

अब गारन्टी थी या नहीं इसका विवरण अभी उपलब्ध नहीं है। पर इतनी जानकारी है कि इसको ठीक करने के सम्बन्ध में जब समय से पहले ही खराब हो गया तो इस पर पेनल्टी इम्पोज करने के बारे में प्रिन्सिपल महोदय ने कार्यवाही की। इस सम्बन्ध में उन्होंने यह एतराज किया कि यह मशीन हमारे कारण से खराब नहीं हुई है। हमने तो ठीक तरह से इन्स्टाल करके चालू हालत में दिया है। बाद में खराबी हुई है। इसलिए यह तो अभी डिस्प्यूटेड मामला है।

श्री गोपाल जोशी : मैंने यह पूछा था कि किस परपज के लिये यह खरीदा गया। जहां तक मेरी जानकारी है यह आपरेशन थियेटर एवं कोबाल्ट यूनिट के लिये खरीदा गया था। 9 लाख 19 हजार में खरीदा गया था। इतनी कीमती मशीन के लिये गारन्टी नहीं हो यह माना नहीं जा सकता। कम से कम साल दो साल छः महीने की गारन्टी अवश्य होती है। कुल मिलाकर जब से खरदी गई यह मशीन तब से कितने दिनों तक बन्द रही ?

फिर क्या यह सही नहीं है कि मेरे प्रश्न पूछे जाने के बाद में यह प्लान्ट मरम्मत किया जाकर चालू किया गया है ? तीन साल से यह बन्द पड़ा था।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि प्रश्न पूछे जाने के बाद मरम्मत की गई ऐसा नहीं है। जब यह खराब हो गया तभी 29-12-72 को कमेटी का निर्माण कर दिया गया था जिसमें सुपरिण्टेण्डिग इन्जीनियर पी. डब्लू. डी. एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, सुपरिन्टेण्डेण्ट हास्पिटल रिप्रेजेन्टेटिव आफ मैसर्स बाम्बे अमोनिया और सुपरिन्टेण्डेण्ट आफिसर मेडिकल कालेज थे। अब यह अच्छी तरह चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गोपाल जोशी : जब आप यह फरमाते हैं कि 19-12-72 को इन्क्वायरी के लिए कमेटी बैठाई गई और 4-6-70 को यह प्लान्ट चालू हुआ और गवर्नमेंट ने 19-12-72 को कमेटी बैठाई तो साल डेढ साल तो कमेटी बिठाने में ही लगा दिया और अब 74 का साल चल रहा है, तो अब आपकी

Page No 13

(13)

(श्री गोपाल जोशी)
एफिशियेन्सी देखिए । यह तो निश्चित बात है···

श्री अध्यक्ष : आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं ।

श्री यशवन्तसिंह माहर : एफिशियेन्सी क्लेम कौन कर रहा है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसमें माइनर डिफेक्ट हुआ था शुरू में जिसका सुधार करवा लिया गया था। बाद में इतना मेजर डिफेक्ट हो गया इसलिए कमेटी बैठा कर जांच कराने की बात आई····

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जीथिंग ।

श्री रामगोपाल : जब नौ लाख की चीज खरीदी गई और····

श्री **जनार्दनसिंह गहलोत** : अध्यक्ष महोदय···

श्री **विट्ठल भाई** : अध्यक्ष महोदय, 668, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है।

श्री **अध्यक्ष** : श्री जीथिंग का है ! पूछिए ।

(विराम)

668।

कुशलगढ़ में सिपाहियों द्वारा बलात्कार

668. **श्री विट्ठल भाई** (पीपलखूंट):
[श्री जीथिंग (कुशलगढ़) की अनुपस्थिति में]:
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ में तारीख 31–1–74 व 1–2–74 की दरमियानी रात्रि को श्रीमती सूरा पत्नी श्री करमा भील निवासी बडला के साथ पुलिस के पांच सिपाहियों व एक अन्य व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया गया जिसकी रिपोर्ट पुलिस में दे दी गई ? यदि पुलिस में रिपोर्ट हुई तो पुलिस ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह सही है कि पुलिस द्वारा अपराधी व्यक्तियों की डाक्टरी जांच भी करवाई गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि पुलिस द्वारा उक्त अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रिपोर्ट के दूसरे दिन पुष्पहारों से सम्मानित करके और कुशलगढ थाने से बिदाई देकर लाईन हाजिर किया गया ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां । श्रीमती भूरी पत्नी करमा भील द्वारा उसके साथ बलात्कार करने की रिपोर्ट थाने पर प्राप्त होने पर मुकदमा नं. 15 दिनांक 1-2-74 की धारा 376 ता. हि. के अन्तर्गत थाना कुशलगढ़ में दर्ज कर तफतीश की गई। अब तक की तफतीश से चार पुलिस के सिपाही मुलजिमान पाये जाने पर उनको निलम्बित कर गिरफ्तार किया गया। एक अन्य मुलजिम कूब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अनुसंधान पूर्ण हो चुका है । शीघ्र ही मुलजिमान के खिलाफ चालान पेश किया जा रहा है।

(2) जी हां।

Page No 14

(14)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

(3) जी नहीं।

श्री विट्ठल भाई : अध्यक्ष महोदय, यह घटना…

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री ने यह कहा कि प्रमाण के लिए सबूत लिए थे और यह भी कहा कि मामला प्रमाणित हुआ है। सिपाहियों का पुष्पाहारों से स्वागत किया गया है, यह मैं अलग प्रश्न रखता हूं। यदि यह जो 376 का मामला इनके खिलाफ दर्ज किया गया है जो जमानत के काबिल नहीं है, कोग्नीजेबल है और आपने जब मुसम्मात, इस महिला का बयान ले लिया है और यह पाया गया कि अपराध हुआ है तो उनको वंचित गिरफ्तारी से उस वक्त से ही क्यों रखा गया ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : गिरफ्तारी से····

(व्यवधान–अश्रव्य)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे–अश्रव्य)

श्री निरंजननाथ आचार्य : उन लोगों ने ज्यों ही आफेंस किया और इस औरत का बयान भी हो गया और आपने कहा कि इन अभियुक्तों का मेडिकल एग्जामिनेशन भी हुआ। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और नहीं किया गया तो क्या आधार है उसका ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : गिरफ्तार तो किया है····चार पुलिस के मुलजिमान हैं····

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री रघुनाथ विश्नोई : मुकदमा दर्ज होने के कितने दिन बाद गिरफ्तार किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप समझ नहीं रहे हैं। 376 का केस सबसे संगीन केस है, नम्बर दो पुलिस मैन द्वारा किया गया है आफेंस इसलिए और भी अधिक संगीन है। तीसरा यह आफेंस 31-1-74 व 1-2-74 की दरमियानी रात्रि में किया गया है और ये चारों मुलजिमान और एक अन्य मुलजिम क्यों नहीं गिरफ्तार किए गए। और किए गए तो जस्ट आफ्टर दी आफेंस किए गये या नहीं ?

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, यह आप फरमा दीजिए स्पेसिफिकली कि वह मुलजिमान किस तारीख को गिरफ्तार किए गए और ये मुलजिमान जेल में हैं या उसकी जमानत हो गई है। अगर जमानत हुई है तो किस अदालत के द्वारा ? पुलिस ने केस कंटेस्ट किया या नहीं ? ये तीनों सवाल बता दीजिए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय

(विराम)

श्री निरंजननाथ आचार्य : राम धर्म से कहना साहब।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जवाब है भी या नहीं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जवाब दे रहा हूं आप जरा सुनिए।

(विराम)

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह साईलेंस ही अपराध का सबूत है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : गिरफ्तारी की तारीख उपलब्ध नहीं हैं ।

(व्यवधान-अश्रव्य)

डेट मेरे पास नहीं है इस वक्त ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह इम्पोर्टेंट सवाल है कि मुकदमा कब दर्ज हुआ और गिरफ्तार कब हुए मुलजिम ?

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आगे सुनने की कोशिश कीजिए ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह अपराध का सबसे बड़ा सबूत है कि माननीय मंत्री महोदय, को डेट नहीं दी गई है ।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : कौन कहता है कि यह कि यह हीनस आफेंस है, यह तो बड़ा ह्यूमन आफेंस है ।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य एक एक कर के पूछें तो सरकार से जबाब दिला दूं ।

(व्यवस्था सूचक अनवरत घण्टी)

माननीय सदस्य एक एक कर पूछें तो जवाब मिल जाय । सब एक साथ पूछेंगे तो क्या जवाब होगा ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इस एफ.आई.आर. के तहत पांच मुलजिमान के ऊपर आरोप इस एफ.आई.आर. में लगाए गए थे । जिनमें चार को 20-3-74 को और एक को 31-3-74 को गिरफ्तार किया गया है ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : क्वेश्चन पूछने की तारीख कौन सी है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मुकदमा 1-2-74 को रजिस्टर किया गया और मुलजिमान की गिरफ्तारी 20-3-74 को चार की और एक मुलजिम की गिरफ्तारी 31-3-74 को गई है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसका मतलब है कि इमीजियेटली गिफ्तारी नहीं की गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं यह पूछना चाहता हूं कि 31-1-74 और 1-2-74 की दरमियानी रात्रि को आफेंस हुआ और आपने भी यह माना कि 376 का आफेंस हुआ और पुलिसमैन द्वारा आफेंस किया गया । मैं यह पूछना चाहता हूं आपके कि यह सिरदान एस.एच.ओ. इन्वेस्टीगेशन करने वाले कौन हैं जितने एफ.आई.आर. दायर होने के एक महीने बाद गिरफ्तार किया और इसके साथ ही अब जो एस.एच.ओ. इन्वेस्टीगेशन कर रहा है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : बिल्कुल ठीक ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जवाब आने दीजिए ।

Page No 16

(16)

श्री यशवन्त सिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल ।

श्री अध्यक्ष : पूछिए ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह 376 का आफेंस है पांच मुलजिमान के खिलाफ, तो घटना का क्रम बता दीजिए ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : 1-2-74 की घटना है और जिस दिन तक गिरफ्तारी हुई बताई है तो इस बीच में मुलजिमान ड्यूटी पर थे या एब्सकोंडिंग थे, उसी थाने में काम काम कर रहे थे या, यह कहां थे यह बात बता दें ?

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कोई छुपाने का प्रश्न है। सदन के सामने सही तथ्य कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर किसी अधिकारी ने गलती की है तो मैं उसको शील्ड करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : गल्ती तो साबित हो चुकी है ।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री निरंजननाथ आचार्य : पुलिस के सिपाही जिस दिन शिकायत प्राप्त हुई उसी दिन गिरफ्तार किए गए या बाद में....

(निरन्तर व्यवधान : अश्रव्य)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप सुनना चाहें तो मैं जवाब दे दूं । उनको पुलिस लाइन भेज दिया गया है । इन्वेस्टीगेशन में निश्चित रूप से जरूरत से ज्यादा समय लगा । चूंकि वहां का इन्चार्ज सब इन्सपेक्टर था और इस मुकदमे में तफतीश जिस रफ्तार से करना चाहिए, वह नहीं करने की वजह से उसको सस्पेंड कर दिया गया है । उसके खिलाफ इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट कर दी गई है । इसके साथ ही जो सर्किल इन्चार्ज डी.वाई.एस.पी. हैं उनका भी एक्सप्लेनेशन पूछा है । इस सारे मुकदमें के बारे में एस.एच.ओ. से एक्सप्लेनेशन काल करने के लिए भी इन्स्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हैं ।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस जघन्य अपराध के अन्दर यह सब इन्स्पेक्टर उनका इमीजियेट अधिकारी है, सब इन्स्पेक्टर ही इस मामले को दवा नहीं रहा था, इसमें एस.पी. और ए.एस.पी. और ऊपर के अधिकारियों का भी निश्चित रूप से हाथ रहा है ... अन्यथा सब इन्स्पेक्टर छोटा रेंक का आदमी है और वह 5 मुलजिमान को नहीं बचा सकता । मैं यह निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस तारीख को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद उसकी जमानत कब हुई और कहां से हुई या केवल कागजों में गिरफ्तारी बतादी गयी और वास्तव में कोई गिरफ्तारी हुई ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट क्वेश्चन ।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री विठ्ठल भाई : (अश्रव्य)

श्री निरंजननाथ आचार्य : डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट जिसको आपने बड़ी सहूलियत से एक्सप्लेनेशन पूछा है, वह इमीडियेट आफिसर है उस एस. एच. ओ. सी ओ. का जो इन्वेस्टीगेशन कर रहा है ? क्या आप उनसे सन्तुष्ट हैं । आप उसको सस्पेन्ड क्यों नहीं करते । इसके बाद इमीडियेट आफिसर एस.पी. है । अगर आप वहां एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करना चाहते हैं, भील की औरत के साथ पुलिस वालों ने जो बलात्कार किया है, उस पर इस सदन को विश्वास में लेना चाहते हैं तो इन दोनों आफिसरों को तत्काल सस्पेंड करें ।

श्री दीपंकर : नरमी बरतेंगे तो बहुत बड़ा कलंक इस सरकार को होगा ।

श्री अध्यक्ष : और कोई प्रश्न ?

श्री जयकिशनलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है इस सदन के अन्दर इस प्रकार के बलात्कार के केसेज आते रहते हैं और पुलिस के व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार के केसेज होते हैं और अधिकतर अनुसूचित जाति और जन जातियों की महिलाओं के साथ इस प्रकार के केसेज होते हैं । क्या हमारी सरकार के पास कोई इस प्रकार की योजना है जिसके कारण ऐसा हो रहा है अन्यथा क्यों पुलिस वालों को संरक्षण दिया जा रहा है ?

(शोरगुल)

ऐसे कर्मचारी जो गलती करते हैं उनको तत्काल सस्पेंड किया जाये, उनको सजा मिलनी चाहिए । आये दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं । अनुसूचित जाति और जन जाति की महिलाओं के इज्जत को लूटा जा रहा है ।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : व्यवधान न करें माननीय सदस्य ।

श्री शं..रलाल रावत : अध्यक्ष महोदय,• •

श्री अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं ? शांति रखो ।

श्री विट्ठल भाई : अध्यक्ष महोदय, इसमें थानेदार भी शामिल है । उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करवाते हैं । इस प्रकार के कई केसेज हैं• • •

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता महोदय, पूछ रहे हैं ।

श्री विट्ठल भाई : अध्यक्ष महोदय, यह केस जब विधान सभा में क्वेश्चन के रूप में आया उसके बाद इस पर कार्यवाही की गयी है । इसी प्रकार का कार्य गढ़ी के थानेदार ने किया है परन्तु वह विधान सभा में नहीं आया । इस जिले में इतना अत्याचार हो रहा है आदिवासियों के ऊपर कि कुछ नहीं कह सकता । वहां के एस.पी. और एस. डी. ओ. का इसमें हाथ है । वहां का थानेदार परवाह नहीं करता है । पुलिस के सिपाही इस तरह से अन्याय कर रहे हैं । एस. पी. के खिलाफ एक्शन लिया जाये । इतने दिनों तक क्या करते रहे । क्वेश्चन आने के बाद कार्यवाही की गयी । उसके पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया । उनके खिलाफ पहले एक्शन लिया जाना चाहिये था तब तो न्याय होता उस इलाके के आदि वासियों और हरिजनों के साथ । दूसरे जाति वालों के साथ ऐसा होता तो उसी वक्त गिरफ्तार कर लेते अध्यक्ष महोदय ।

Page No 18

(१८)

श्री **वृद्धिचन्द जैन** : अध्यक्ष महोदय,

श्री **अध्यक्ष** : एक माननीय सदस्य एक समय में बोलें। प्रश्नकर्त्ता महोदय, आपको जो कुछ कहना है वह एक साथ ही कह दें।

श्री **विट्ठल भाई** : एस. डी. ग्रो. और एस. पी. को सस्पेण्ड किया जाये। उनका भी इसमें हाथ है।

श्री **सुरेन्द्र व्यास** : गवर्नमेंट ने यहां पर यह कहा है अध्यक्ष महोदय, कि इनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। सब इन्सपेक्टर को यह पावर नहीं है कि वह उनको लाइन हाजिर की इजाजत दे सके। इसका मतलब यह है कि सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की नोलेज में यह आया है कि इस प्रकार का अपराध हुआ है। यह कोगनीजेबल आफेन्स है।

श्री **अध्यक्ष** : सप्लीमेन्टरी करिये।

श्री **सुरेन्द्र व्यास** : अध्यक्ष महोदय, इसमें एस. पी. को भी नालेज है कि अपराध हुआ है उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई। तो एस. पी. के खिलाफ क्या ऐक्शन प्रपोज करते हैं ?....

श्री **अध्यक्ष** : इस पर जनरल डिबेट अलाऊ नहीं हो सकती। उत्तर चाहते हैं या नहीं। क्या जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। एक एक करके पूछ लीजिये और साथ ही उसका जवाब होने दीजिये वरना यह होगा कि प्रश्न हो जायेंगे और जवाब आपको नहीं मिलेगा। अगर प्रश्न करने से ही आपको सन्तोष हो और उत्तर नहीं आवे तो यह आपकी मर्जी है वरना जवाब भी होने दीजिये

श्री **गुमानमल लोढा** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मुलजिम जमानत पर है या जेल के अन्दर है ?

श्री **अध्यक्ष** : केवल एक एक करके बोलिये। मैंने पहले भी निवेदन किया था, क्या आप जवाब इन प्रश्नों का सुनना चाहते हैं या नहीं। एक एक सदस्य पूछते रहें और मंत्री महोदय उनका जवाब देते रहें यह व्यवस्था ठीक रहेगी। आप पूछते रहें और आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं हो, यह आप देख लें। आपकी मर्जी है। थोडा उत्तर भी आने दीजिये।

श्री **गुलाबसिंह शक्तावत** : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था सब इन्सपेक्टर ने जो कि इमीडियेट इन्वेस्टीगेशन आफिसर था, इस इन्वेस्टीगेशन में जरूरत से ज्यादा समय लगाया। उसको देखते हुए, उसकी नेगलीजेन्स को मानते हुए उसको सस्पेन्ड कर दिया गया है।

(शोरगुल)

श्री **अध्यक्ष** : आप सुनिये तो सही।

श्री **गुलाबसिंह शक्तावत** : इस शोरगुल में मैं आपके सपलीमेण्टरी प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाऊंगा, उसकी नेगलीजेन्स को मानते हुए सब इन्सपेक्टर को सस्पेन्ड कर दिया गया है। इसके साथ ही डी. वाई. एस. पी. ने इस सम्बन्ध में पूरा सुपरवीजन नहीं रखा इसकी वजह से उनका एक्सप्लेनेशन काल किया गया है। इस सारे मामले में जो सतर्कता रखनी चाहिये थी वह नहीं रखी गयी है, इसलिये एक्सप्लेनेशन पूछा जा रहा है। माननीय

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
सदस्यों ने यहां पर यह राय व्यक्त की है कि इसमें दूसरे अधिकारी और एस. पी. पर भी जिम्मेदारी आती है। जिस स्थान पर जिस किसी अधिकारी ने गलती की है उसके खिलाफ सरकार कार्यवाही करने में कोई हिचक नहीं रखेगी, इसका मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

(शोरगुल)

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न के लिये 32 मिनिट दे चुका हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह बताया जाये कि मुलजिम जेल में हैं या जमानत पर हैं?

श्री अध्यक्ष : Not to be recorded अंकित न हो।

श्री विट्ठल भाई : XXX

(शोरगुल)

श्री गुमानमल लोढ़ा : XXX

श्री विट्ठल भाई : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस सवाल पर बहुत अधिक समय दे चुका हूं।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : मेरी बात रिकार्ड की जाये अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता महोदय।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय,..

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : पहले मुझे एक प्रश्न पूछने दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : मैं एक बात कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों का उद्वेग मुझे समझ में आता है। कहीं भी किसी भी महिला के साथ में अगर इस प्रकार की होती है तो हमारा खून खौलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब है कि हमारे में कमजोरी है। यह मैं मानकर चलता हूं। और, ऐसी घटना अगर शासन में होती है तो शासन की नजर से बचकर नहीं चला जा सकता है। इसके उपरान्त भी समाज में ऐसे लोग होते हैं, जो इस प्रकार की घटनाओं में इन्वाल्व होते हैं। शासन में साफ है, कान्स्टेबिल, हैडकान्स्टेबिल, थानेदार, इन्सपेक्टर, डिप्टी, एस. पी., डी. आई. जी, आई. जी., होम कमिश्नर, होम मिनिस्टर हैं। कौन इसके अन्दर कहां दोषी है। माननीय सदस्य विवेक से काम लेंगे तो महसूस करेंगे कि जहां जिस समय मालूम पड़ा है, उस पर एक्शन लेने की कोशिश की गई है। अगर कोई ढील है तो वह हमारी कमजोरी है। यह मैं स्वीकार करता हूं। अगर किसी महिला की प्रतिष्ठा भंग होगी तो उसके अन्दर हम कभी भागीदार नहीं बनेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। स्थगित प्रश्न।

XXX अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अंकित नहीं की गई।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री रामगोपाल!

श्री अध्यक्ष : यह तो गलत पढ़ दिया। स्थगित प्रश्न था श्री गिरधारीलाल भार्गव का।

79. स्थगित प्रश्न, श्री गिरधारीलाल भार्गव

सरकारी कार्यालयों के लिये जयपुर में किराये पर लिये गये मकान

79. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर शहर में सरकारी या अर्द्ध-सरकारी कार्यालय कहां कहां और किन अधिकारियों के मकानों में कितने किराये पर हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि सरकारी कार्यालय कार्यकुशलता, काम के निपटारे और सुविधा के लिए सचिवालय के पास होने चाहिए? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) क्या यह सही है कि सचिवालय के आस पास की भूमि की बिक्री की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उस भूमि को लेने की कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना अभी प्राप्त नहीं हो पाई है। इसलिए इसको स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

(स्थगित प्रश्न सं. 79 स्थगित किया गया।)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं जितने प्रश्न देता हूं, उनके उत्तर नहीं आते हैं। इस प्रकार से मेरे क्वेश्चन्स को बार बार टाला जाता है। यह डेढ़ महीना पहले का स्थगित प्रश्न है। गम्भीर महत्व का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित कर दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : अब आप भी गम्भीर हो जाइये।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री रामकिशन!

172. **श्री रामकिशन** (भरतपुर) **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में कुल कितने डाक्टर नियुक्त हैं? निम्न विवरण के साथ सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

1. नाम डाक्टर 2. राज्य सेवा में नियुक्ति दिनांक 3. जयपुर नगर में किस तिथि से है 4. श्रेणी 5. वेतन।

(2) जनवरी, 1973 से जनवरी 31, 1974 तक सवाई मानसिंह अस्पताल में कितने डाक्टरों को स्थानान्तरित किया गया? सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या जिन डाक्टरों के उक्त अवधि में स्थानान्तरण किये गये उनमें से कुछ के

(श्री रामकिशन)
स्थानान्तरण रद्द कर दिये गये ? यदि हां, तो किन किन डाक्टरों के ? सूची सदन के पटल पर रखें और यह भी बतावें कि रद्द करने का क्या कारण था ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में कुल 113 डाक्टर हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जनवरी, 1973 से जनवरी, 1974 तक सवाई मानसिंह अस्पताल से कुल 23 डाक्टरों के स्थानान्तरण किये गये हैं। सूची सदन पटल पर रख दी गई है।

(3) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री केदारनाथ : डाक्टरों के एक जगह रहने का कोई मैग्जिमम पीरियड तो होगा कि 10 साल, 12 साल, 15 साल कुछ तो होगा।

श्रीमती कमला बेनीवाल : कोई पीरियड़ निर्धारित नहीं है।

श्री केदारनाथ : जब आप ए., बी., सी., के आधार पर कोई यूनिफाइड पालिसी करने जा रहे हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या राज्य की यह कोई पालिसी नहीं है कि एक डाक्टर कितने समय तक एक जगह पर रखा जावे। क्या यह है कि एक डाक्टर जहां पैदा होता है, वहीं से रिटायर हो जाये।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, विचार चल रहा है। कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : विचार तो 1952 से चल रहा है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्या यह सही है कि बड़े डाक्टरों के ट्रांसफर हो जाते हैं लेकिन ऊपर के प्रभाव से रद्द कर दिये जाते हैं। ऐसे रद्द किये गये हैं। जैसे कि बता दूं, एक डा. मेहता साहब हैं। उनके ट्रांसफर आर्डर हुए। लेकिन ऊपर के प्रभाव से रद्द किये गये हैं, । सिफारिश पर रद्द हुये।

श्रीमती कमला बेनीवाल : किन कारणों से किये गये हैं, यह कहा नहीं जा सकता है।

श्री मोहनलाल छंगानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की भी सिफारिश मानता हूँ। जो प्रश्न उठाया गया है। खास तौर से डाक्टर्स के ट्रांसफर के बारे में। पालिसी लेबिल पर में निवेदन करता हूँ कि शीघ्र ही निश्चित किया जायेगा। जहां तक सिफारिश का ताल्लुक है, मैंने गफ्फार साहब की भी सिफारिश मानी है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं बड़े डाक्टरों के बारे में कहता हूँ। उनके बारे में क्या कहना है ?

मुख्य मंत्री (श्री हरदेव जोशी): मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं एक ही बात निवेदन

Page No 22

(२२)

(श्री हरिदेव जोशी)
करना चाहता हूँ कि जो ट्रान्सफर हो जाये तो उसको इम्पलीमेन्ट हो जाने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सब तहसील अन्ता के गांवों को विद्युतिकरण

669. **श्री शिवनारायण** (बांरा) **श्री राम गोपाल** (किशनगंज) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि तहसील मांगरोल, व उसकी सब तहसील अन्ता के बम्बूलिया कला, लिसाड़ी, बड़वा, जयनगर, हांपा हेड़ी, भंवर जी हेड़ी और मिर्जापुर आदि ग्रामों का विद्युतिकरण हेतु इस क्षेत्र के विधायकों ने मंत्री महोदय को निवेदन किया था ? यदि हां, तो इन गांवों में बिजली कब तक दे दी जावेगी ?

विद्युत मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : तहसील अन्ता के ग्राम बम्बूलिया कलां, लिसाड़ी, बढ़वा, भंवर जी हेड़ी, हांपा हेड़ी और मिर्जापुर के विद्युतिकरण हेतु स्कीम बनाई गई थी जो आर्थिक व तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं होने के कारण स्वीकृत नहीं की जा सकती। ग्राम जयनगर के विद्युतिकरण की सिफारिश जिला कृषि उत्पादन समिति ने नहीं की है।

श्री जगमोहन सिंह : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यह कब तक कर दिया जायेगा।

श्री रामगोपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि 72 और 73 में 4 गांवों की सूचना मांगी गई थी कि किन किन गांवों का विद्युतिकरण' चाहते हैं। क्या यह सही है कि इन 4 गांवों की लिखित सूचना दी गई थी। उनका विद्युतिकरण क्यों नहीं किया गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने नहीं नहीं किया है। सूचना आई। जांच करवाई। सर्वे करवाया। यूनिट नहीं बनने के कारण वहां नहीं बन सकता था। इसीलिए नहीं दी जा सकी। जयनगर जिला कृषि उत्पादन समिति ने वहां के लिए सिफारिश नहीं की। इसलिए नहीं हुआ।

श्री जगमोहन सिंह : इसका विद्युतिकरण कब तक करेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : 33 के वी लाईन गई है कोटा में इसके कारण इधर ज्यादा बिजली नहीं दे सकते हैं। सांगोद में जो स्टेशन बनेगा उसकी योजना ले लेंगे। उस वक्त 33 के वी लाइन भी सक्षम हो जाएगी। इसमें एक दो साल लग सकते हैं।

श्री रामगोपाल : क्या यह सही है कि ग्राम मिर्जापुर में परबत नदी पर·· ··

श्री अध्यक्ष : माइक से दूर मुंह रख कर बोलें ताकि सुनाई दे।

श्री शिवनारायण : रामगोपाल जी ! मेरा प्रश्न है कि सांगोद में कब तक लगा देंगे 33 के वी लाइन ?

श्री अध्यक्ष : एक ही माननीय सदस्य कहें।

श्री रामगोपाल : ग्राम मिर्जापुर में परबत नदी पर सिंचाई हेतु लिफ्ट इरिगेशन स्कीम थी लेकिन उसको दो वर्ष पूर्व सरकार ने बन्द कर दिया, इसके लिए ग्रामवासियों·· ··

Page No 23

(23)

श्री हीरालाल देवपुरा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामगोपाल : इर्रिगेशन के लिए मांग की थी...

श्री हीरालाल देवपुरा : यह विद्युतिकरण का सवाल है।

श्री रामगोपाल : जिला प्राडक्शन कमेटी से सिफारिश मांगी जाती है वह इर्रिगेशन के लिए मांगी जाती है।

श्री हीरालाल देवपुरा : इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी सिफारिश मांगते हैं। विद्युतिकरण जो गांवों का किया जाता है, उसके लिए भी सिफारिश जिला प्राडक्शन कमेटी से सिफारिश मांगी जाती है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, 672 नम्बर का क्वेश्चन है, उसका जवाब आज न दें लेकिन उसको कृपया स्थगित करवा दें।

श्री अध्यक्ष : आप हमेशा एडजोर्नमेंट सीक करते हैं।

श्री उम्मेदीलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा अर्ज करना यह है...

(अन्य तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखिए)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

गंगानगर जिले में हरिजन विद्यार्थियों को स्टाइपेन्ड व पुस्तकें

663. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़):** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हरिजन विद्यार्थियों को समाज कल्याण विभाग गंगानगर द्वारा दिये जाने वाला स्टाइपेन्ड और पुस्तकें शिक्षा सत्र के अन्त में दिये जाते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजन बालिकाओं के लिये चलाये जाने वाले सिलाई केन्द्र में केवल एक केन्द्र नोहर में खोला गया था, वह भी बन्द पड़ा है, तथा सिलाई मशीनें बेकार पड़ी हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त शिकायतें अम्बेडकर समिति विद्यालय द्वारा अनेकों बार की गई हैं एवं सूरतगढ़ में हरिजन बालिकाओं के लिये सिलाई केन्द्र खोलने के लिये भी लिखा गया है, लेकिन समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। हरिजन विद्यार्थियों को स्टाईपेण्ड नहीं दिया जाकर केवल समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। पुस्तकें केवल छात्रावास में रहने वाले छात्रों को ही दी जाती हैं। इस वर्ष यह राशि 3-11-73, 5-2-74 एवं 7-3-74 को स्वीकृत की गई थी तथा उपलब्ध पुस्तकें जुलाई में दे दी गई थी।

(2) जी नहीं, समाज कल्याण विभाग द्वारा नोहर में कोई सिलाई केन्द्र नहीं चलाया जाता था।

(3) जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई। नये सिलाई केन्द्र खोलने हेतु अब कोई प्रावधान नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूरों की बकाया मजदूरी

421. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बाड़मेर जिले में विभिन्न अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सन् 66 से लेकर अब तक किन किन राहत कार्यों में किन किन मजदूरों की कितनी कितनी मजदूरी कितनी अवधि की बकाया है ? सूची उनके मस्टररोल की संख्या देते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या जिला प्रशासन विशेष कार्यक्रम बना कर बकाया राशि मजदूरों को देने की समस्या को 31 मार्च, 1974 तक हल कर देगी ?

उत्तर

(1) वन विभाग एवं भू-संरक्षण विभाग के कार्यों के लिए किसी भी वर्ष की वर्ष 72–73 तक की मजदूरी बकाया नहीं है। वर्ष 73-74 के लिए वन कार्यों की 166 मजदूरों की मजदूरी की राशि 2350.67 पैसे बकाया है।

सिंचाई विभाग के मजदूरों की वर्ष 68-69 से 71-72 तक की राशि 201 मजदूरों की 2611.22 पैसे तथा वर्ष 72–73 व 73-74 की 288 मजदूरों की राशि 4313.29 पैसे बकाया है।

जहां तक सा नि. विभाग (भवन व पथ) के द्वारा सम्पादित कार्यों का सम्बन्ध है वर्ष 68–69 से 71–72 की अवधि के अनपेड चुकारे की राशि 91713.14 पैसे एक बार चुकारे हेतु राजस्व अभिकरण को सा. नि. विभाग ने भेजा था। जितने लोगों को भुगतान किया जा सकता था उन सबको चुकारा करने के बाद 65652.01 पैसे की राशि बकाया रही। इसके बाबत एक बार फिर चुकारा करने की कोशिश की गई, परन्तु अभी तक 31071.29 पैसे की राशि बकाया है। इस राशि के बकाया रहने का कारण यह है कि इसको दावेदार स्थान छोड कर या तो अन्यत्र कहीं चले गये हैं या उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई। इस पुराने क्लेम का भुगतान करने के लिए 2 बार व्यवस्था की गई, फिर भी कुछ राशि बकाया रही। क्योंकि इसके दावेदार मिल नहीं रहे हैं। अब एक बार और इसके चुकारे की व्यवस्था करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इस राशि के चुकारे के लिए किसी प्रकार के आवेदन-पत्र भी जिलाधीश को अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्राप्त नहीं हुए हैं।

जहां तक वर्ष 72–73 और 73–74 का सम्बन्ध है अनपेड की यह राशि रु. 22144.39 हैं। इस राशि का चुकारा करने के लिए व्यवस्था की जावेगी।

(2) पिछले वर्ष की जो मजदूरी बकाया है उसके चुकारे के लिए शीघ्र व्यवस्था कर दी जावेगी।

भूतपूर्व राजस्व मंत्री के दौरे

422. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भूतपूर्व राजस्व मंत्री ने मार्च, अप्रेल, 1972 में कब कब व कहां कहां दौरा

Page No 25

(२५)

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
किया और कितना कितना टी.ए.व डी.ए. सरकार से लिया ?

(2) भूतपूर्व राजस्व मंत्री के उपरोक्त माह के दौरे में कौन कौन सिचाई, राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी कहां कहां उनके साथ रहे ?

(3) क्या भूतपूर्व राजस्व मंत्री ने उपरोक्त माह के दौरों में राजकीय वाहनों का भी उपयोग किया ? अगर हां तो हर रोज किस किस स्थान पर इन गाड़ियों का जाना और माईलेज लाग बुक में दर्ज हुआ ? विस्तृत विवरण दें।

(4) उपरोक्त दौरे में राजकीय वाहनों पर कितना खर्च हुआ एवं अन्य मदों में क्या व्यय हुआ ? मदवार बताये ?

उत्तर

(1) भूतपूर्व राजस्व मंत्री (श्री राम चन्द्र चौधरी) ने मार्च व अप्रेल, 1972 में जो जो दौरे किये और कितना टी. ए. व डी. ए. सरकार से लिया, उसकी विस्तृत जानकारी परिशिष्ट "क" में उपलब्ध की गई है।

(2) भूतपूर्व राजस्व मंत्री (श्री राम चन्द्र चौधरी) के मार्च व अप्रेल, 1972 माह के दौरों में कौन कौन सिचाई, राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी कहां कहां उनके साथ रहे उसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है, क्योंकि यह सरकारी विभागों में उपलब्ध नहीं है और उनसे स्वयं से एकत्रित की जा रही है।

(3) जी, हां। भूतपूर्व राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) द्वारा मार्च व अप्रेल, 1972 में किये गये दौरों में मोटर विभाग को राजकीय वाहनों का उपयोग किया जिसकी जानकारी परिशिष्ट "ख" में उपलब्ध की गई है। अन्य विभागों की राजकीय वाहनों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(4) मोटर विभाग के सरकारी वाहनों पर रु. 18?.95 व्यय हुआ। अन्य विभागीय वाहनों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

चूरू जिले में अकाल सहायता के कार्य में बनी सड़कें

423. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): -क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

चूरू जिले में राजस्थान बनने के बाद अब तक कौन कौन सी सड़कों पर किस किस वर्ष अकाल सहायता के कार्य पर कितना कितना धन खर्च हुआ ? प्रत्येक सड़क की लम्बाई और कार्य की स्थिति की जानकारी दें।

उत्तर

अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन व पथ) चूरू द्वारा प्रेषित जानकारी संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट

424. श्री **योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (सूरतगढ़) :- क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार, बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू नहीं कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने एक दफ्तर हनुमानगढ़ में खोलकर एक चीफ इंजीनीयर भी नियुक्त कर दिया है ? यदि हां, तो क्या इन्हें कोई धनराशि भी आवंटित की गई है ? यदि हां, तो कितनी यदि नहीं तो

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने राजस्थान नहर के चालू बजट (31 मार्च से पहले) से $1\frac{1}{2}$ करोड़ से अधिक की राशि काट दी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इससे राजस्थान नहर पर अधिकतर चालू कार्य बन्द हो गये हैं ? यदि हां, तो यह कटौती क्यों की गई है ?

(4) क्या यह सही है कि मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान मुख्य नहर के दोनों ओर तीन तीन मील तक, चाहे फ्लो चाहे लिफ्ट द्वारा पानी दिया जाना चाहिये था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्यों यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि मोतीराम की रिपोर्ट के अनुसार हजारों एकड़ भाखरा और गंग केनाल का सिंचित और असिंचित क्षेत्र राजस्थान नहर से सिंचित किया जाना था ? पर जो अधिक क्षेत्र का सिंचित सात सात आठ वर्षों से हो रहा है वह क्षेत्र भी सरकार ने बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार गंगनहर की दोनों छः मासी नहरें एन. एन. पी. और एन. पी. बारह मासी की जाने वाली थी ? यदि हां, तो आज तक क्यों नहीं की गई ?

(7) क्या यह सही है कि मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार करणीजी नहर (जी बी.) को राजस्थान नहर से पानी दिया जाने वाला था ? यदि हां, तो आज तक क्यों नहीं दिया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। इन्हें कोई अतिरिक्त धनराशि आवंटित नहीं की गई थी। मोतीराम कमेटी की सिफारिशों को राज्य सरकार क्रमबद्ध रूप में कार्यान्वित करना चाहती है। वह कार्य धन की उपलब्धी के अनुसार पूरे कर लिए जावेंगे।

(3) सन् 1973-74 में राजस्थान नहर के लिये 13.47 करोड़ रुपयों का प्रावधान था जो बाद में कम करके 11.59 करोड़ रुपये कर दिया गया। अधिकतर चालू कार्य बन्द नहीं किए गये हैं।

(4) जी नहीं :

(5) जी हां। सिंचित क्षेत्र को बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सिंचाई मंत्री)

(6) गंगनहर की दोनों छः मासी नहरों को पौंग बांध के पूरा होने के पश्चात् बारह मासी किए जाने की योजना है। पौंग बांध के पूर्ण न बनने के कारण अभी यह कार्य पूरा नहीं किया जा सका है।

(7) जी हां। मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार करणी जी नहर को राजस्थान नहर से पौंग बांध बनने के बाद पानी दिया जाना था। चूंकि पौंग बांध का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है अतः करणी जी नहर को अभी राजस्थान नहर से पानी देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

करौली उप जिले में बांधों की स्कीम

425. **श्री बृजेन्द्र पाल सिंह** (करौली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि करौली उप जिला में निम्न बांधों की स्कीम सरकार के विचाराधीन है :–

बांध दुरगसी घटा
बांध गुडह खार
बांध गढ़ मडोरा
बांध कोटा छावर

(2) यदि हां, तो क्या इन बांधों की सर्वे हो गई है? यदि नहीं तो क्या इनकी सर्वे जल्दी करवाई जायगी?

उत्तर

(1) दुर्गसी घटा बांध की योजना का सर्वेक्षण विचाराधीन है। प्रश्नास्पद योजनाओं में से अन्य कोई भी विचाराधीन नहीं है।

(2) दुर्गसी घटा बांध योजना की फीजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा चुकी हैं जिसकी मन्जूरी विचाराधीन है। फीजीबिलिटी रिपोर्ट की मन्जूरी के पश्चात् सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। अन्य प्रश्नास्पद योजनाओं का सर्वेक्षण करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

जवाजा पंचायत समिति के किसानों की राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 के नीचे आई भूमि का मुआवजा

426. **श्री केसरीमल** (ब्यावर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 को सीधा व चौड़ा करने हेतु जबाजा पंचायत समिति के किसानों की खेती की जमीन ली गई? यदि हां, तो कितने किसानों की? कृपया सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या किसानों को जिनकी जमीन ली गई कोई मुआवजा दिया गया? यदि नहीं तो क्यों? तथा अब कब तक यह दिला दिया जावेगा?

(3) क्या इन किसानों को मुआवजा देने की राशि तय कर दी गई?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 को सीधा व चौडा करने में जवाजा पंचायत समिति के 140 किसानों की भूमि ली गई है, ग्रामवार किसानों की संख्या संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(2) मुआवजा अभी नहीं दिया गया है। लैण्ड एक्यूजीशन एक्ट, 1953 की धारा 5-ए की उप-धारा (2) तथा धारा 6 के

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)
अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। अवार्ड प्राप्त होने पर मुआवजा शीघ्र दे दिया जावेगा।

(3) अवार्ड प्राप्त न हो सकने से मुआवजा-धनराशि तय नहीं की जा सकी है।

बीकानेर जिले में हरिजन बालकों के लिये पौष्टिक खाद्य सामग्री

427. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बीकानेर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजन बालकों के लिये पौष्टिक खाद्य सामग्री बंटवाने के लिये कितने केन्द्र चल रहे हैं?

(2) उक्त केन्द्रों पर प्रति माह कितनी और क्या क्या सामग्री वितरित की जाती है? वस्तु मुताबिक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा बीकानेर शहर में 66 पोषाहार केन्द्र चलाये जा रहे हैं। जिनकी सूची संलग्न है।

(2) प्रत्येक केन्द्र को एक माह में 20 थैले सी एस.एम. या बुलगर वीट तथा 10 टिन सोयाबिन तेल के तथा सहायक सामग्री मक, गुड़, अजवाईन दी जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

मेडिकल कालेजों एवं अस्पतालों में नियुक्त डाक्टर

428. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान के विभिन्न मेडिकल कालेज एवं उनके अधीनस्थ अस्पतालों में कितने डाक्टर नियुक्त हैं?

(2) ऐसे डाक्टरों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें जो गत 5 वर्षों से या इससे अधिक एक ही नगर में कार्य कर रहे हैं?

(स्थगित किया)

जिला गंगानगर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा नियुक्तियां

429. **श्री गुरदयाल सिंह संधु** (करणपुर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राजस्थान पथ परिवहन निगम जिला गंगानगर में 1 जनवरी, 1971 से लेकर आज तक कितने चालक, परिचालक, मैकेनिक, क्लीनर, क्लर्क, तथा चैकर आदि नियुक्त किये गये हैं? उनके नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, जाति का विवरण दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

उक्त कर्मचारियों में से कितनों को सेवा मुक्त किया गया तथा कितनों का अन्यत्र स्थानान्तरण किया गया? पूर्ण विवरण दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्यावर

430. **श्री केसरीमल** (ब्यावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर की राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पिछले साल कक्षा 6 को और इस वर्ष कक्षा 7 को बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि ब्यावर के कन्या मिडिल स्कूलों में बैठने के स्थान की कमी व अन्य साधन नहीं है ? यदि हां, तो इन स्कूलों की इन कक्षाओं को बन्द करने का क्या औचित्य है ?

(3) क्या राज्य सरकार इन कक्षाओं को वापस आने वाले सत्र से खुलवायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ब्यावर में छात्राओं के बैठने के स्थान की कमी के कारण।

(2) यह सही नहीं है । औचित्य का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) भवन के अभाव में आने वाले सत्र में ये कक्षायें पुन: खोलना सम्भव नहीं है।

करौली का महाविद्यालय

431. **श्री बृजेन्द्रपाल सिंह** (करौली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) करौली महाविद्यालय की छात्र संख्या क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि कोटा और भरतपुर महाविद्यालयों की छात्र संख्या के आधार पर करौली महाविद्यालय का तीसरा स्थान आता है।

(3) यदि हां, तो क्या सरकार करौली महाविद्यालय में इस वर्ष से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आरम्भ करने के आदेश प्रदान करेगी।

उत्तर

(1) करौली राजकीय महाविद्यालय की छात्र संख्या 1009 है।

(2) जी नहीं।

(3) सत्र 1974-75 के प्लान बजट में इस प्रकार के महाविद्यालयों को क्रमोन्नत करने हेतु कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

ब्यावर में गर्ल्स कालेज की मांग

432. **श्री केसरीमल** (ब्यावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ब्यावर शहर में कन्या पाठशालायें कितनी हैं तथा इन शालाओं में पढ़ने वाली बालिकाओं की संख्या कितनी कितनी है और कुल संख्या कितनी है ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) ब्यावर एस. डी. पी. गवर्नमेंट कालेज में शिक्षा हेतु जाने वाली कन्याओं की संख्या कितनी है ?

(3) क्या ब्यावर शहर में नागरिकों की यह प्रबल मांग रही है कि ब्यावर में एक

(श्री केशरीमल)

गर्ल्स कालेज बनाया जाय। यदि हां, तो क्या सरकार भी कालेज बनाने की मांग को उचित मानती है। यदि हां, तो कब तक कालेज बनाया जा सकेगा?

उत्तर

(1) ब्यावर शहर में कन्या पाठशालाओं की संख्या व उनमें छात्राओं की संख्या निम्नानुसार हैं:--

	शाला सं.	छात्र संख्या
उच्च माध्यमिक	1	750
उच्च प्राथमिक	6	2328
प्राथमिक	1	170
कुल		3,248

(2) एस. डी. राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर में 162 छात्राएं अध्ययन कर रही हैं।

(3) जी नहीं। इस वर्ष नये कालेज खोलने हेतु बजट में प्रावधान नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 13–3–74)

उद्योगों के लिए आवेदन-पत्र

126. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम को 1971–72, 1972–73 और 1973–74 में कितने आवेदन-पत्र जिलेवार प्राप्त हुए हैं? इनमें से कितने स्वीकार तथा अन्य आवेदन-पत्रों के अस्वीकार होने के क्या कारण हैं?

(2) बाड़मेर जिले से किन किन उद्योगों के आवेदन-पत्र स्वीकार हुए हैं और उन्हें क्या सहायता मिली है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21-3-74)

विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के सेवारत कर्मचारी

283. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राज्य में विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के सेवारत कर्मचारी कितने कितने प्रतिशत हैं? विभागवार, जिलेवार व पदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इस प्रतिशत से सन्तुष्ट है? यदि नहीं तो इसमें सुधार के लिये क्या कदम उठाये गये व उठवाये जावेंगे?

(3) भविष्य में 28 प्रतिशत सुरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 21-3-74)

अकाल सहायता कार्य स्थलों पर पड़ा हुआ सामान

293. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राजस्थान में सन् 1967-68 से लेकर अब तक जो अकाल सहायता कार्य खोले गए उन अकाल सहायता कार्य स्थलों पर कितना कितना सामान कितनी राशि का किस प्रकार का अभी तक पड़ा हुआ है? प्रत्येक सहायता कार्य स्थल पर पड़े सामान की अलग अलग सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त सामान की देख रेख के लिए सहायता विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की हुई है?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 21-3-74)

जिला जालोर में बाढ़ से हुई क्षति

294 **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर): क्या अकाल एवं बाढ़ सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) तहसील सांचोर, जिला जालोर में हाल ही में आई बाढ़ से कितने ग्रामों में क्या क्या क्षति कितने की आंकी गई? क्षतिपूर्ति के लिये सरकार द्वारा अब तक जिनके मकान बह गये थे उन्हें व अन्य को क्या क्या सहायता प्रदान की गई है। ऐसे व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त बाढ़ से किस किस गांव में किस किस काश्तकार की कितनी कितनी खातेदारी की भूमि तहसील सांचोर में खराब हुई है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। ऐसे काश्तकारों को क्षतिपूर्ति के लिये राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या क्या सहायता प्रदान की गई है? भविष्य में क्या क्या सहायता प्रदान की जावेंगी?

(3) तहसील सांचोर के बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ किस किस ग्राम में किन किन व्यक्तियों को अब तक कपड़े बांटे गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। देरी तक कपड़े न बांटने के क्या क्या कारण थे. पूरे कपड़े कब तक बांट दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) तहसील सांचोर में वर्ष 1973 में आई बाढ़ से 56 ग्रामों की अनुमानतः 15464 हैक्टर भूमि में खड़ी फसल को नुकसान हुआ है। जिलाधीश ने फसल खरीफ सम्वत् 2020 के बाबत अन्तिम प्रतिवेदन नहीं भेजा है। इस कारण फसल में हुए खराबे का प्रतिशत कितना रहा, यह ज्ञात नहीं हो पाता।

इस तहसील के 49 ग्रामों के 3583 व्यक्तियों के रहवास के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन व्यक्तियों के, पूर्णतया मकान नष्ट होने या धस जाने की दशा में 150) रु. तथा आंशिक रूप से मकान क्षतिग्रस्त होने की दशा में 10 रु. से 100) रु. की दर से

Page No 32

(32)

(अकाल एवं बाढ़ सहायता मंत्री)
पीड़ित परिवारों को सहायता उपलब्ध की गई है। इस प्रयोजन हेतु जिला जालौर को 9.64 लाख की धनराशि आवंटन की गई है। इस राशि में से जिलाधीश ने तहसील सांचौर के बाढ़ पीड़ित परिवारों को भी सहायता उपलब्ध की है। फसल में जो खराबा हुआ है उसके बाबत कोई सहायता उपलब्ध नहीं की गई है।

(2) सांचौर तहसील के लगभग 22 ग्रामों में 2500 हैक्टर भूमि को बाढ़ से नुकसान हुआ है। ऐसी भूमि का कोई विस्तृत सर्वे नहीं कराया गया है। ऐसे काश्तकारों को सहायता देने के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं की गई है।

(3) सांचौर तहसील में बाढ़ पीड़ितों को 354 खेसले, 85 जर्सीयां वितरित की गई हैं। अब कोई कपड़ा बांटना शेष नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है, (व्यवधान) बैठिये।

कृपया बैठिये।

1. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा की ओर से :-

(i) गत 28 व 29 को भीलवाड़ा में श्री मुरलीधर मानसिंह की मृत्यु के अवसर पर किये गये भोज के विषय में,

(ii) गत 28 व 29 मार्च को गंगानगर शुगर मिल के बन्द रहने के विषय में,

2. सर्व श्री भानुकुमार शास्त्री; अजीत सिंह, गुमानमल लोढ़ा, व गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 21 फरवरी को लूणकरणसर के जैसा गांव में श्री लेखराम सुतार की लड़की को भगा कर ले जाये जाने के विषय में,

3. सर्व श्री भानुकुमार शास्त्री उम्मेदी लाल, अजीतसिंह, गुमानमल लोढ़ा, व गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 26 मार्च को जिला सवाई माधोपुर की तहसील हिण्डौन के ग्राम गिरना में डाले गये डाके के विषय में,

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

4. सर्व श्री भानुकुमार शास्त्री, गिरधारीलाल भार्गव, गुमानमल लोढ़ा, व अजीतसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से स्वामी लच्छी राम चिकित्सालय फार्मेसी, जयपुर द्वारा औषधियों के भाव चढ़ा कर आयुर्वेद विभाग से अधिक धनराशि वसूल करने के विषय में,

5. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से 1969-70 में डी.पी.सी. की मीटिंग में चयन किये गये डाक्टरों में से केवल 39 डाक्टरों का रिजल्ट निकाला गया है और 400 डाक्टरों का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है, इस विषय में। ये दोनों ही प्रश्न के विषय हैं।

(श्री अध्यक्ष)

श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान होमियोपैथिक बोर्ड के प्रशासन का कार्यकाल समाप्त हो जाने के पश्चात् उसका पुनर्गठन न करने तथा उसके कर्मचारियों को मार्च माह का वेतन आदि न देने के विषय में इस प्रस्ताव में एक से अधिक विषय उठाये गये हैं और इन्हें प्रश्नों के माध्यम से पूछा जा सकता है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, गत 21 फरवरी को लूणकरणसर के जैसा गांव में···

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। निवेदन यह है कि एडजोर्नमेंट मोशन आते हैं उनमें कन्वेन्शन बना लिया है कि सब बोलें। लेकिन जिस पर जानकारी चाही है, वह वापिस सदन में आयेगा तो कम से कम उन पर नहीं बोलें, जो रिजेक्ट कर दिये गये हैं उन पर बोलें।

श्री अध्यक्ष : मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि स्थगन प्रस्तावों के बारे में जो नियमानुकूल कार्यवाही है, और परम्परानुकूल कार्यवाही है, जो और धारा सभाओं में और पार्लियामेन्ट में कार्यवाही है, उसे एक दो दिन में माननीय सदस्यों के सामने रखने के लिए सोच रहा हूं। मैं उस पर व्यवस्था दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैंने भीलवाड़ा के अन्दर···

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) एक एक बोले।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पहले मेरा नम्बर है। पहले मेरा पुट अप किया है।

श्री अध्यक्ष : मेरे लिए दोनों माननीय सदस्य बराबर हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं खुद बिमार हूं।

मैंने, अध्यक्ष महोदय एक मृत्यु भोज के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया है, जो भीलवाड़ा में 28 मार्च, को हुआ है और उस मृत्यु भोज में बीस हजार लोगों ने भोजन किया है। अध्यक्ष महोदय, यह कोई मामूली बात नहीं है, एक करोड़पति सेठ, माइका मेनगेट मुरलीधर मानसिंह मर गये, उनके बारहवें के ऊपर बाकायदा भीलवाडा के अन्दर बीस-तीस गांवों की लिस्ट बनाई गई, वह लिस्ट बनाई गई और लिस्ट बना कर बीस हजार ब्राह्मणों को बुलाया गया (व्यवधान) हां ब्राह्मण, खास ब्राह्मणों को और दो दो रुपये उनको दक्षिणा दी गई। अध्यक्ष महोदय, और इसकी सूचना नहीं हो–ऐसी बात नहीं है····

श्रीमती नगेन्द्र बाला : 20 हजार ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कुछ ब्राह्मण रह गये, मैं क्षमा याचना कर लूं····

एक माननीय सदस्य : कौन कौन से गांवों के ब्राह्मण बुलाये गये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : श्री सुरेश चतुर्वेदी, जो यूथ फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

मृत्यु भोज के सम्बन्ध में उप जिलाधीश को रिटन के अन्दर दिया और उनका रिटन में दिया हुआ डाकूमेंट मौजूद है, जो 26 तारीख को उप जिलाधीश को दे दिया है–यह इतना बड़ा मृत्यु भोज होने जा रहा है, आप इस सम्बन्ध में कार्यवाही कीजिये लेकिन कोई कार्यवाही उप जिलाधीश की तरफ से मृत्यु भोज के सम्बन्ध में नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, बात यहीं नहीं रुक गई, सूचना के बाद 28 तारीख को मृत्यु भोज हुआ और 29 को 10–11....

श्रीमती नगेन्द्रबाला : उप जिलाधीश ब्राह्मण थे क्या ?

श्री अध्यक्ष : ब्रीफ में कह दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : 10–11....

श्रीमती नगेन्द्रबाला : उप जिलाधीश ब्राह्मण थे क्या ?

श्री रामकिशन : सवाल यह है कि भीलवाड़ा में 20 हजार ब्राह्मण....

श्री निरंजननाथ आचार्य : चारण में से हैं।

श्री रामकिशन : भीलवाड़ा के अन्दर 20 हजार ब्राह्मण आये कहां से ?

श्री अध्यक्ष : उनकी सुन लीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : भरतपुर से बुला लिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : रामकिशन जी को ब्राह्मणों के बारे में चिन्ता हो गई है, मुझे चिन्ता नहीं है। मेरी तरफ से पूरे देश में एक भी ब्राह्मण न रहे, सारे हरिजन हो जायं।

अध्यक्ष महोदय, उस मृत्यु भोज में बीस हजार आदमी बुलाये गये, यह मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। निमंत्रण पत्र दिये गये निमंत्रण पत्र में सारे परिवार की सूची दी गई। सारे परिवार की सूची के आधार पर परिवार के हर सदस्य को दो दो रुपये भोजन के साथ दिये गये, और इस सूचना के बाद दिये गये। दुःख की बात यह है कि यह मृत्यु भोज हमारे खाद्य मंत्री, माननीय शिवचरण माथुर के खुद के क्षेत्र के अन्दर हुआ, और उनकी जानकारी के अन्दर हुआ। आज की फूड क्राइसिस के समय, हमारे पास अनाज उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार का मृत्यु भोज हुआ खाद्य मंत्री की ...

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कान्स्टीट्यूएन्सी में हुआ–यह गम्भीर बात है। मेरा विचार है, इसकी एडीशनल कलेक्टर. डी.एस.ओ. को इन्फार्मेशन थी, उसके बावजूद यह मृत्यु भोज होने दिया, जिसमें बीस हजार की तादाद के अन्दर लोगों ने भोजन किया–उनको सस्पेन्ड किया जाना चाहिए और तुरन्त उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।

मेरा दूसरा स्थगन प्रस्ताव भी फूड से सम्बन्ध रखता है। गंगानगर शुगर मिल के अन्दर 28-29 तारीख को 400 बोरी चीनी खट्टी हो गई और 400 बोरी चीनी खट्टी हो जाने के कारण खराब हो गई। एक बोरी

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

की कीमत 290 लगा लें तो 90 हजार, 1 लाख की कीमत की चीनी खराब हो गई। मेरा कहना है, चीनी की क्राइसिस है, अध्यक्ष महोदय, गंगानगर शुगर मिल में 28-29 तारीख को इतनी बोरी चीनी खराब हो गई। उसका कारण था, वहां जो मैनेजर हैं कावड़िया, उनकी घोर उपेक्षा से, जो ढोल है, जिसमें रा जूस और राइप जूस, दोनों आते हैं, की वाल बहुत टाईम से वीक थी। चीफ इन्जिनियर ने बार बार कहा कि इस ढोली की वाल बदल दी जाय, लेकिन वह नहीं बदली गई। इसलिए रा जूस है, वह राइप जूस के अन्दर एन्टर हो गया है और ढोल का सारा का सारा जूस खट्टा हो गया। ढोल को खाली किया गया, उसके बाद दो दिन तक ट्रेक्टर हजारों की तादाद में खड़े रहे, उनका गन्ना खराब हो गया, हजारों क्विन्टल गन्ना, जो रोज खरीदते हैं, दो दिन तक उसकी आमद बन्द हो गई। ढोल साफ करने के बाद जूस को दुबारा ढाला गया। जो खांड बनाई गई वह खट्टी हो गई। तो दुबारा मेल्ट की गई, दुबारा ढोली गई और 400 बोरियां खराब हो गई। खट्टी बोरियों को दुबारा मेल्ट करके बनाने के सिलसिले में राज्य सरकार को तीन लाख की हानि दो दिनों में हुई है अध्यक्ष महोदय, शायद मंत्रीजी जानते हैं या नहीं, राजकीय उपक्रम समिति की रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट है और यह बात सामने आ रही है कि सारे राजस्थान में जहां शक्कर की 8 प्रतिशत रिकवरी हुई है, गंगानगर में आज केवल 5 प्रतिशत रिकवरी हुई है और यह रिकरवरी सारे देश में सबसे कम है, वहां का मैनेजर अगर शीतलहर को जिम्मेदार ठहराता है तो दूसरे मिलों में चाहे कोटा में, चाहे उदयपुर में, शीतलहर का प्रवेश हुआ है वहां भी फसल को हानि हुई है...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आज संकट के समय जब राशन में भी आप तीन किलो राशन नहीं दे पाते उसके साथ भी धतूरा मिला हुआ बाजरा व जुआर देते हैं. खाने वाला मृत्यु द्वार पहुंच जाता है ऐसे समय में 20,000 आदमियों का मृत्यु भोज खिलाना और 400 बोरियां नष्ट हो जाए, शुगर मिल दो दिन के लिए बंद हो जाए, यह अपने आप में एक गंभीर घटना है और केवल जानकारी की ही बात नहीं है यह खाद्य का मामला है खाद्य मंत्री के खुद के निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है जहां पर मृत्यु भोज हुआ है यह खाद्य मंत्री के लिए लज्जाजनक बात होनी चाहिए। उनके डी. एस. ओ उनके निर्वाचन क्षेत्र में इतने बड़े मृत्यु भोज में सहयोगी हो इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस संबंध में सदन में वक्तव्य दें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, हाल ही में बजट पारित हुआ है। और पुलिस की मांगें काफी बाद विवाद के बाद स्वीकृत की गई हैं.

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव है ?

श्री भानु कुमार शास्त्री : जी हां।

श्री अध्यक्ष : किसी और विषय पर होगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसी विषय पर। लूणकरणसर में एक आदमी लेखाराम सुनार की बच्ची 14 साल की हंसा नाम की तारीख 21–2–74 को 12 बजे 5–7 लोग आकर जबर्दस्ती उस लड़की को उठाकर और वहां की मिल्क स्कीम की गाड़ी में बिठाकर ले गए, आज तक लड़की का पता नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि उस लड़की को रात भर थाने पर रखा है और उसके बाद थानेदार ने जहां चाहा वहां भेज दिया है। आज थानेदार उस व्यक्ति से मांग कर रहा है कि मुझे दो हजार रुपये पहुंचवा दीजिए तो आपकी लड़की बरामद करके ला सकता हूं। 21 तारीख को लडकी गायब हुई है और 24 तारीख को वह व्यक्ति लेखराम थाने पर जाकर अपनी रिपोर्ट लिखाता है थाने पर उससे 5 घंटे तक पूछा भी नहीं कि क्या हो रहा है ? थानेदार शराब पी रहा था 5 घंटे के बाद उसने उस व्यक्ति से कहा कि आप यदि अपनी जीप ले आयें और उस जीप का जो खर्चा होगा वह आप भुगते तो में चलकर आपकी लड़की बरामद करने का प्रयास कर सकता हूं। वह गरीब. जिसके पास पैसा नहीं था, अपने घर के गहने गिरवी रखकर 200) में जीप लेकर उस थानेदार को ले गया लेकिन मिली जुली भगत होने के कारण आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह बड़े शर्म की बात है कि थानेदार आज भी वहां मौजूद है, लड़की का पता नहीं और वह कहते हैं कि मुझे यदि इसका पैसा दिया जाय तो आपको लड़की ढूंढकर दे दूंगा। इससे बढ़ कर खेद की और क्या बात होगी ? उस व्यक्ति ने अपनी रपट में जो नाम दिया है, जिन्होंने आंखों से देखा है कि ये आदमी थे, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। राज्य गृह मंत्री यहां उपस्थित हैं। ये गम्भीर मामले हैं जहां 14-14 वर्ष की लड़कियां उठाकर ले जांय और उनका जीवन सुरक्षित न हो, पहले पैसे व जीप मांगे उसके बाद लड़की बरामद करने का प्रयास करें ऐसे थानेदार को दंडित किया जाए तो शायद इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो मंत्रीजी अपना वक्तव्य दें और लडकी के माता पिता को अपनी लडकी बरामद कराने का आश्वासन दें और लड़की थानेदार की साजिश से गई है, यह उससे साबित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि अपने गृह विभाग को टाइटन करें और यदि कठोरता से कार्य नहीं किया गया तो लोगों का जन जीवन सुरक्षित नहीं रह सकेगा।

दूसरा मेरा स्थगन प्रस्ताव है कि आयुर्वेद विभाग के कई वैद्यों को मेडीकल बिलों में गड़बड़ी करने के कारण सस्पेंड किया जा चुका है लेकिन ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने लाखों रुपये की लूट करने के लिए कुछ लोगों को छूट दे रखी है। आयुर्वेद विभाग के अन्दर एक रीडर हैं स्वामी रामप्रकाशजी, सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने अपनी दुकान लगा रखी है। सेवा नियमों के अनुसार एक सरकारी अधिकारी अपना धंधा नहीं कर सकता उसके बावजूद उस रीडर ने अपने नाम दुकान लगा रखी है। उसके बाद उन्होंने सरकार के साथ या अधिकारियों को साथ मिलकर सांठगांठ की है वह यह कि उन्होंने अपनी औषधियों को सरकार द्वारा रजिस्टर करवा दिया है, अपनी फार्मेसी को रजिस्टर करवा रखा है। सरकार से जितने आर्डर्स मिलते हैं। उसीसे मिलते हैं और अपनी औषधियों के भाव 4–4 गुना 10–10 गुना कर रखा हैं। ऐसी सूची मैं सदन के पटल पर रख सकता हूं। बाजार में

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
जो दवाई एक रुपये की 10 ग्राम मिलती है उसके उन्होंने 25) 30) या 45 रुपए दस दस ग्राम के रखे हैं। कोई भी सरकारी विभाग इस प्रकार की खुली लूट की छूट ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं दे सकता विशेष कर जो राज्य कर्मचारी है वह अपनी दुकान लगा कर यानि 10–10 गुने भाव लगा कर अपनी औषधियों को विभाग द्वारा रजिस्टर करवा कर बेचे और विभाग उस पर कोई कार्यवाही न करे, तो दुःख की बात है। मैं आयुर्वेद मंत्री से आशा करता हूं कि जांच करें और इस प्रकार की अव्यवस्था को दूर करें।

अध्यक्ष महोदय, हम जो स्थगन प्रस्ताव यहां पर रखते हैं और आप उनको सरकार की जानकारी के लिए भेज देते हैं सदन से, लेकिन आज एक महीना इस सत्र को हो गया किसी भी स्थगन प्रस्ताव पर वापस सरकार से जानकारी नहीं आई। तो हम क्या समझें कि इनका उत्तर मिलेगा? जैसे हाल ही में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव अलवर के जिलाधीश के लिए रखा है कि वह अफीम की खेती करता है। इस बारे में उत्तर कब देंगे? आप दिन निर्धारित करें···

श्री अध्यक्ष : तिथि निर्धारित नहीं होती है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जितने भी स्थगन प्रस्ताव जानकारी के लिए गए, सब के सब कोल्ड स्टोरेज में चले जाते हैं इसलिए इनके लिए समय सीमा निर्धारित हो जाए तो फिर हमको बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

श्री उम्मेदी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं हिंडौन की इसी महीने की हालात बताता हूं। दिनांक 26–3–74 को ग्राम धना में जो डकैती हुई है वह मिश्रीलाल एक बद्री नामक व्यक्ति हैं गूजर हैं, उसके भाई भी हैं उन पांचों परिवारों के कम से कम 70–80 हजार रुपए के जेवरात नकद व माल लेकर डाकू रात को 3 बजे ले गए।

अध्यक्ष महोदय, 27 तारीख को उनकी पुलिस में रिपोर्ट की गयी। अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने मौके पर जाकर के तफतीश की लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। इसके लिये मैं अर्ज करूं अध्यक्ष महोदय, कि इसके लिये मैंने पुलिस के एस. पी. को और कलेक्टर को इत्तला दी थी लेकिन किसी ने सुना नहीं। इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज करूं कि जब इस डकैती को करके वहां से भागे तो उन डकैतों की एक डायरी वहां पर रह गयी थी उसमें सब डोक्यूमेन्ट है, उसमें उनके नाम वगैरहा है। अब वह डायरी पुलिस की कस्टडी में है। अगर पुलिस चाहे तो उनको पकड़ सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करूं कि वहांपर हमारे हिन्डौन और उसके आसपास के गांवों में काफी लोगों में घबराहट फैल गयी है। लोग गांव छोड़ छोड़ कर हिन्डौन में आकर रहने लग गये हैं। अध्यक्ष महोदय, गांव उजाड़ हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सही अर्ज करूं कि पुलिस सही ढंग से इसके लिए अगर कार्यवाही करे तो यह डकैत पुलिस की पकड़वायी में आ सकते है।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। काफी देर हो चुकी है।

श्री उम्मेदी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही गम्भीर घटना है। वहां पर

(श्री उम्मेदी लाल)
बड़ी भारी समस्या पैदा हो गयी है। इसके अलावा एक और बहुत ही गम्भीर घटना है एक गांव जिरना है वहां पर भी डकैती पड़ी थी। अध्यक्ष महोदय, एक महीने पहले मैंने सूचना पुलिस के एस.पी. और कलेक्टर को लिखित एप्लीकेशन में दी है। मेरे क्षेत्र में बहुत ही भारी उन डकैतों का शोर है। अध्यक्ष महोदय, वहां गांव में पत्थर की खानें हैं। लोग वहां पर काम करते हैं लेकिन इस डकैती के होने के बाद लोग वहां से भाग भाग कर हिण्डौन में रह गये हैं। आज 3–4 महीने हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इसमें खास तौर से जांच करवायें और डकैतों को पुलिस को आदेश देकर पकड़वाने की कोशिश करें। क्योंकि उन डकैतों का एक डोक्यूमेन्ट वहां रह गया है और वह पुलिस के कब्जे में है तथा उसमें बाकायदा सब लिखा हुआ है। उन डकैतों का उसमें यह हवाला दिया है नाम वाइज की वह फलां गांव गये थे शादी में वहां पर फलां आदमी के नाम से इतने रुपये उस शादी में लगाये गये।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये। काफी समय हो गया है।

श्री उम्मेदी लाल : हुक्म हो तो मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि गम्भीर मामला है। उस डोक्यूमेन्ट में सारा लिखा हुआ है और वह इलाका हमारे क्षेत्र से ही लगा हुआ है। पुलिस की नॉलेज में सारा का सारा वाकया है। और अगर मुख्य मन्त्री इसमें आदेश नहीं देंगे तो थोड़े दिन बाद सारे मामले में पुलिस लीपापोती कर देगी। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी अर्ज करूं कि पुलिस इन डकैतों से मिली हुई है और वहां की जनता में बहुत ही डर पैदा हुआ है जनता भयभीत हो रही है।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें काफी हो गया है।

श्री उम्मेदी लाल : अध्यक्ष महोदय, एक मामला और है हमारे वहां पर एक चमरपुरा ग्राम है वहां पर एक हरिजन की ढाणी है। उसके यहां पर शादी थी तारीख 9 की। इसका डकैतों को पता पड़ा तो वह दो तीन दिन पहले शादी में आये और वहां पर डकैती डाल दी······

श्री अध्यक्ष : यह क्या फरमा रहे हैं आप ?

श्री उम्मेदी लाल : जो डकैती हुई उसकी कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : वह तो कह दी ना आपने अब कौनसा वाकया कह रहे हैं ?

श्री उम्मेदी लाल : अध्यक्ष महोदय, वह तो जिरना गांव में डकैती हुई थी उसकी बात थी यह चमरपुरा के पास हरिजन ढाणी में, जिसके यहां पर शादी हो रही थी 9 तारीख को, उसके दो तीन दिन पहले आकर डकैती डाल दी उसकी कह रहा हूं। उस व्यक्ति के घर पर उसके मेहमान आये हुए थे उनका भी सामान पड़ा था, उसके बहन का माल असबाब वगैरहा सभी लूट कर ले गये। करीब 1500 रुपया का माल था उसके अलावा 100 रुपये पंचम जार्ज के रुपये थे वह भी ले गये।

श्री अध्यक्ष : इसकी तो आपने आज ही जानकारी दी है। अब तो विराजें।

श्री उम्मेदी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत मुख्य मन्त्रीजी से अर्ज करूं कि इसके लिये शीघ्र से शीघ्र डकैतों को पकड़कर माल वापिस उन गरीबन को दिलवाने की कृपा करावें। इसके अलावा एक खेड़िया गांव है वहां पर भी एक कुम्हार के यहां पर डकैती हुई थी उसका भी माल उठाकर ले गए और उन लोगों को मारा पीटा अलग उनकी यहां पर झौंपड़ियों में आग लगा दी थी।

श्री अध्यक्ष : अब तो आप विराज जाइये काफी कह दिया है। आज वह लिया ही नहीं गया है और आप फरमाते जा रहे है। अब तो आप बैठ जावो।

श्री उम्मेदी लाल : अध्यक्ष महोदय, काफी गम्भीर मामला है लोगों में भय फैला हुआ है। इसके लिये मैं आपके मारफत मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह इस ओर ध्यान देकर पुलिस के द्वारा उचित कार्यवाही करावें और डकैतों को पकड़वा कर उन लोगों को माल वापिस दिलावें जिनके कि डकैती हुई है ताकि वहां पर शान्ति हो। बस यही कहना है कि मुख्य मंत्री जी जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : बस धन्यवाद आपको। श्री केसरी मल।

श्री केसरीमल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव आयुर्वेद विभाग के बारे में दिया था अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है इस पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही होना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : इस पर शायद मैंने व्यवस्था नहीं दी है।

श्री केसरीमल : अध्यक्ष महोदय, मैंने सुनी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह स्थगन प्रस्ताव देर से आया होगा।

श्री केसरीमल : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको व्यवस्था को सुना नहीं था। मैंने समझा कि आपने व्यवस्था दी होगी।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। श्री रामानन्द अग्रवाल

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव माननीय श्री योगेन्द्रनाथ हांडा का भीलवाड़ा में हुए एक मृत्युभोज के बारे में है। इसके बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि वहां के श्री सुरेशचन्द्र चतुर्वेदी ने तारीख 29–3–74 को जिलाधीश, भीलवाड़ा को एक एप्लीकेशन दी थी 28–3–74 को और 29–3–74 को सेठ मुरलीधर मानसिंह की मृत्यु पर करीब 30 हजार व्यक्तियों को भोजन कराया गया। अध्यक्ष महोदय, यह श्री मुरलीधर मानसिंह भीलवाड़ा के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। अध्यक्ष महोदय, वैसे इस मृत्यु भोज की खबर जिलाधीश के कार्यालय में करीब 11 बजे दिन को ही 25–3–74 को पहुंच गयी थी लेकिन वहां के जिला प्रशासन ने कोई कदम उसके लिये नहीं उठाये।

श्री अध्यक्ष : यह आप प्राइवेट लेटर को क्यों पढ़ रहे है उसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जब इस मृत्यु भोज की बाकायदा इन्फोरमेशन एक विधान सभा में स्थगन प्रस्ताव की ओर से हो गयी तो भी इस घटना के लिये वहां के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जिला प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया यह कितने दुख की बात है। अध्यक्ष महोदय, जो 28-3-74 को मृत्यु भोज था उसका रिपीटेशन 29-3-74 को हुआ। आखिर सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की इसका तो हमें पता पड़ना चाहिये क्योंकि यह कोई छोटी घटना तो थी नहीं सारा भीलवाड़ा जानता है उसके लिये आपने जो जानकारी चाही थी वह तो प्राप्त हो जानी चाहिये थी। और अगर अभी तक प्राप्त नहीं हुई है तो अब भी टेलीफोन से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वह जानकारी अभी तक क्यों नहीं प्राप्त की गयी ?

अध्यक्ष महोदय, आज जबकि देश के अन्दर इतना भयंकर अन्न संकट चल रहा है उसमें इतना बड़ा मृत्यु भोज करना उचित है ? जब जिलाधीश को सूचना दे दी गयी और उसने कोई कार्यवाही नहीं की अध्यक्ष महोदय, खाद्य मन्त्री जी खुद भीलवाड़ा के इलाके के हैं, उनकी खुद की जानकारी में होना चाहिये। इस संकट के समय खाद्य कानून की अवहेलना करना क्या कानूनी जुर्म नहीं है। इसके लिये तुरन्त टेलीफोन पर सूचना मंगाकर इस सम्बन्ध में मुख्यमन्त्री महोदय का एक वक्तव्य होना चाहिये। इस की जानकारी आज और अभी ही टेलीफोन पर प्राप्त कर सदन में मन्त्री महोदय का वक्तव्य होना चाहिये। दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है ...

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अन्दर दो तीन बातें ही कहना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि सेठ मुरलीधर मानसिंह, भीलवाड़ा एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। उनको मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय, जो कि खाद्य मन्त्री हैं, स्वयं पहचानते होगें। मैं समझता हूँ कि शायद उनकी जानकारी में भी इस मृत्युभोज के बारे में जानकारी होना मुमकिन है। अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा मृत्युभोज करना खाद्य कानूनों की अवहेलना है इसमें ऐसा किया गया है कि या तो सारे भीलवाड़े जिले के अनाज को पहले से ही इसके लिये भूमिगत किया होगा और अगर भूमिगत नहीं किया गया तो यह प्रश्न सामने आता है कि यह खाद्यान्न कहां से आया जिससे कि बीस तीस हजार व्यक्तियों को खाना खिलाया गया। इस मृत्युभोज ने सारे राजस्थान में सनसनी पैदा करदी। इसके लिये आपको उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिये। इससे आप कानून के हाथ मजबूत करेंगे तथा साथ में और लोगों को भी इससे शिक्षा मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, इस मृत्युभोज की मैं समझता हूं कि सबको जानकारी है। यह कहना गलत है कि इसकी जानकारी राज्य सरकार को नहीं है। सारा जिला प्रशासन उनको जानता है यह एक बड़े उद्योगपति है। इसलिये मैं चाहूँगा कि राज्य सरकार इसकी जानकारी प्राप्त कर आज ही सदन में एक स्टेटमेन्ट दे तथा इसके अगेन्स्ट में एक्शन ले ताकि इसका प्रभाव राजस्थान की दूसरी जनता पर भी पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, यह मामला काफी सीरियस है। इसमें गवर्नमेन्ट का स्टेटमेन्ट आना जरूरी है। अगर गवर्नमेन्ट इस आफेन्स के लिये एक्शन लेती है तो उसका असर दूसरों पर भी पड़ेगा। इसलिये मैं मान्यवर, यह चाहूँगा कि आज ही इसकी सूचना मंगाकर उसके बारे में एक स्टेटमेन्ट गवर्नमेन्ट का होना चाहिये।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो मृत्युभोज भीलवाड़ा में हुआ है वह वास्तव में बहुत ही गम्भीर घटना है। यहां पर सदन में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और उसमें खासतौर से मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह खास तौर से संकेत दिया कि यह सारी घटना खाद्य मन्त्री जी की जानकारी में हुई है ..

श्री निरंजननाथ आचार्य : होना चाहिए कहा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यदि ऐसा है तो यह मामला और भी अधिक गंभीर हो जाता है। खाद्य मंत्री सारे प्रदेश के अन्दर बार बार खाद्य समस्या को यह कह कर टाला करते हैं कि खाद्यान्न की बहुत कमी है, तीन किलो से अधिक नही दे सकते। गांवों में तो दे ही नहीं सकते हैं। यदि 30 हजार की संख्या न भी हो तो भी छोटी संख्या हो सकती है। मृत्युभोज हो यह बहुत ही कानून का उपहास है और उल्लंघन है। मृत्यु भोज के सम्बन्ध में कानून बना हुआ है। छोटी भी हो तो भी जुर्म है। सरकार की ओर से सबस्टेन्सिव जुर्म होने पर भी कार्यवाही नहीं की जाय और बार बार सदन के प्रांगण में ऐसे मामले आये और उनको टाक ओवर करके समाप्त कर दिया जाय तो वास्तव में जनता हमारे बारे में क्या विचार करेगी और किस प्रकार से आप कानून को एन्फोर्स करा सकेंगे इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

मुख्य मंत्रीजी भी यहां हैं और इसके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त कर ली होगी। किन किन आफिसर्स की इसमें जिम्मेदारी है? खाद्य मंत्री की इग्नोरेन्स में भी यह नहीं होगा। एन्फोर्समेन्ट इन्स्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ओफिसर्स आदि सब की जानकारी में हुआ होगा। 30 हजार व्यक्तियों के लिये खाद्यान्न आया तो कहां से आया? एन्फोर्समेन्ट इन्स्पेक्टर्स और ओफिसर्स आदि ऑफिस का लवाजमा सब है। क्यों नहीं प्रिवेन्टिव मेजर्स लिये गये, क्यों नहीं इसको रोका गया? गिरफ्तारी क्यों नही की गयी? मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, इस पर निश्चित रूप से वक्तव्य आना चाहिये सरकार की ओर से। आज यदि सम्भव न हो तो अगले दिन भी इसको लिया जा सकता है और क्या कार्यवाही की गयी सरकार की ओर से उससे सदन को अवगत कराया जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मुख्य मंत्रीजी सदन में उपस्थित हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उनके द्वारा अभी टेलीफोन से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। चार दिन की छुट्टी हो जावेगी। यह सार्वजनिक चर्चा का विषय बना हुआ है। फौरन ही इस विषय में सम्पर्क साधा जा सकता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा आपकी मार्फत कि आज ही इस पर वक्तव्य देने की कृपा करें।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : माननीय मुख्य मंत्रीजी का रुख भी मालूम होता है कुछ कहने का है और उनको जानकारी है इसकी।

श्री अध्यक्ष : उनको रोकता कौन है। जो आपने कहा वह उन्होंने सुना ही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस सम्बन्ध में आखिर पता तो लगे कि क्या गवर्नमेंट आज ही वक्तव्य देना चाहेगी?

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेंट ने न सुना हो ऐसा तो नहीं है और जो भी परिवर्तन होगा वह मैं सुना दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जानकारी के लिये भेजा है। पूरी छुट्टी दे दी है 30 हजार आदमियों का मृत्यु भोज हो गया . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस पर वक्तव्य आना चाहिये। आश्वासन आना चाहिये। टाक ओवर करके ही इसको यहीं समाप्त नहीं कर दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : टाक ओवर की बात नहीं है मैंने जानकारी चाही है सरकार से। मैं अपना निर्णय आपको सुना चुका हूं। और भी बात कोई हुई तो वह भी मैं आपको सुना दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आखिर मुख्य मंत्री जी सुन रहे हैं और आप उनको यह तो कहें कि आप आज जानकारी प्राप्त करलें . .

श्री अध्यक्ष : मैं उनको मजबूर नहीं कर सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं बहुत ही असतोषजनक मानता हूं। उद्योगपति अवहेलना करे कानून की, सरकार को सूचना दे दी जाय, मुख्य मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं. उत्तर नही देना चाहें यह बात तो और भी बहुत आश्चार्यजनक है। कम से कम बताये कि क्या जानकारी प्राप्त की ? जितनी उनके पास सूचना है वह तो दे दें। आज शाम तक सूचना प्राप्त करके दी जा सकती है। मुख्य मंत्रीजी इस बारे में कुछ तो कहें कि वे क्या करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मि. लोढ़ा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य मंत्रीजी कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं तो हम वाक आउट करते हैं।

(श्री रामानन्द अग्रवाल व भा. क. पा. के सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह मृत्यु भोज का प्रश्न है इसको टाला जाता है तो यह तो उचित नहीं है। यह ठीक है। आप जो भी व्यवस्था देंगे वह हमें शिरोधार्य है।

एक स्थगन प्रस्ताव मैंने आपके सम्मुख रखा है। कल पुरानी बस्ती में नाजायज शराब के पीने पर दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है।

श्री अध्यक्ष: इस पर मैंने अभी अपना निर्णय नहीं सुनाया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : इस पर नहीं। जिस एडजोर्नमेन्ट मोशन का जिक्र मैंने नहीं किया है, किस वजह से नहीं किया है इस बारे में आप मेरे से मेरे चेम्बर में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन यहां पर उस पर बहस नहीं होगी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : 28-3-74 को 11 व्यक्ति मरे और कल 2 व्यक्तियों की और मृत्यु हो गई।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आप सीनियर मेम्बर हैं। आपको सदन की परम्पराओं का पालन करना चाहिये। इस सदन की और अन्य सदनों की यह परम्परा रही है कि स्थगन प्रस्ताव पर, जिनका निर्णय नहीं दिया जाता है, उनका यहां पर उल्लेख नहीं किया जाता है। इस मामले में फिर भी थोड़े रूल्स को रिलेक्स किया गया है लेकिन रूल्स

(श्री अध्यक्ष)

के प्रतिकूल ही काम किया जाय उसकी आज्ञा में नहीं दे सकता हूं। इसलिये आप, मैंने जिन स्थगन प्रस्तावों का निर्णय नहीं दिया है, उनका कृपा कर के उल्लेख न करें।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : हम भी कोलेबोरेट हो जावेंगे। शराब से लोग मर गये हैं।

श्री **अध्यक्ष** : जिस स्थगन प्रस्ताव का तीन दफा जिक्र हो चुका है उस पर बार बार कहना उचित नहीं है।

(श्री गुमानमल लोढ़ा के पुनः बोलने पर)

Not to be recorded.

श्री गुमानमल लोढ़ा : + + +

श्री अध्यक्ष आप : एक दल के नेता हैं और सीनियर मेम्बर हैं। जो व्यवस्था है उस सम्बन्ध में मैं आप से आशा करता हूं कि उसका आप पालन करेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जैसी आपकी आज्ञा। आदमी मरते जा रहे हैं। दो आदमी और मर गये हैं। इसलिये आप प्रिवेन्टिव एक्शन लें।

श्री अध्यक्ष : यह काफी है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जैसी आज्ञा।

मैं निवेदन करना चाहता था उस प्रश्न के बारे में जिसकी जानकारी चाही गयी है। कुछ समय पहले एक स्थगन प्रस्ताव दिया था' और उसके बाद में मुख्य मंत्रीजी ने ··

श्री अध्यक्ष : इस वजह से इसका जिक्र नहीं किया कि यह अन्डर कन्सीडरेशन है। आप पराम्परा को तोड़ कर नयी परम्परा नहीं डालेंगे।

मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि दोनों को ही इसी वजह से नहीं रखा है कि आप जानकारी करलें चेम्बर में आकर। आपको जानकारी भी हो जावेगी और सुनकर सन्तोष भी हो जावेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जैसी आपकी आज्ञा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दो स्थगन प्रस्ताव हैं। पहला इस सम्बन्ध में है कि राजस्थान में 1969-70 के बीच में सिविल असिस्टेन्ट सर्जन्स की पोस्ट्स के लिये डी. पी. सी. की मिटिंग हो रही थी उसमें लगभग राजस्थान के 439 डाक्टर्स सम्मिलित हुए थे पर खेद का विषय यह है कि 4 वर्ष का समय हो गया और 439 डाक्टर्स में से केवल 39 डाक्टर्स या तो प्रभावशाली होंगे या प्रभावशाली व्यक्तियों से सम्बन्धित होंगे उनका रिजल्ट आउट हो गया पर आज चार वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी 400 डाक्टरों का परिणाम आज तक नहीं निकाला गया है।

इससे अधिक दुखद स्थिति और कौनसी होगी जिसके कारण उनका कन्फर्मेशन नहीं हो सका है। उनकी कान्फीडेन्सियल रिपोर्ट (सी. आर.) खो जाने के कारण राज्य सरकार चार सौ डाक्टरों का रिजल्ट रोके हुए है। उसको निकालने में हिचकिचाहट कर रही है। इससे राजस्थान के डाक्टरों का भविष्य अन्धकारमय हो रहा है। यह बड़ा महत्व का प्रश्न है। इस बारे में सरकार से स्टेटमेंट दिला सकें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

दूसरा मेरा निवेदन राजस्थान होमियोपैथी चिकित्सा बोर्ड के बारे में है। उसकी अनियमित कार्यवाहियों के कारण आपने उसे भंग कर दिया। 30 फरवरी 73 को भंगकर दिया और श्रीमान् मोतीलालजी कक्कड़ को प्रशासक नियुक्त कर दिया। नियमानुसार साल भर खत्म होने पर उनकी नियुक्ति भी समाप्त हो गई। धारा 49 के अन्तर्गत नये बोर्ड का गठन इस बीच में हो जाना चाहिये

+ + + मा. अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अंकित नहीं की गई।

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

था। पर न बोर्ड नये रूप से गठित आप कर पाये और न प्रशासक की अवधि आपने बढाई। इस तरह अधरभूल में बोर्ड का काम चल रहा है। अजीब स्थिति बन गई है। बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन मिलने का ठिकाना नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है राज्य सरकार इस बारे में अध्यादेश निकालना चाहती है। जो मेरे ख्याल से अनुचित है जब कि विधान सभा का सत्र चल रहा है। राज्य सरकार सत्र के दौरान विधान सभा में इस प्रश्न को क्यों नहीं लाती है? बाद में अध्यादेश निकालना जनतन्त्र की भावना के बिल्कुल विपरीत होगा। पिछले डेढ़ मास से बोर्ड के अनेक महत्वपूर्ण मामले पेण्डिंग पड़े हैं। निर्णय लेने वाला सक्षम अधिकारी नहीं है कोई। वहां पर पिछले एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी तनखा के चिट पर दस्तखत कर दिये और चले गये जबकि वेतन मिलना चाहिये था मार्च में। इस प्रकार की भयंकर अनियमितताएं इन्होंने भी की हैं। अब इन्होंने तो चूंकि अपना वेतन लेने के लिये ऐसा किया है पर आज जो स्टाफ है उसको वेतन कौन देगा? न रजिस्ट्रार है न प्रशासक। इस संबंध में सरकार एक वक्तव्य देकर स्थिति स्पष्ट करे।

अन्तिम प्रार्थना मेरी यह है कि मेरा एक स्थगन प्रस्ताव आपने मन्जूर नहीं किया। सरकार की अनाज की राष्ट्रीयकरण की पालिसी फेल हो गई।

श्री अध्यक्ष : वही फिर। मैं तो नियमानुसार जो कार्यवाही करने की है वही करूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जब तक इस समस्या का समाधान सरकार नहीं करती, मैं स्थगन प्रस्ताव लाता रहूंगा इस बारे में। आप सुनेंगे नहीं तो मजबूर होकर सुनाने का और रास्ता अपनाना होगा। आपका ध्यान आकर्षित इस बारे में अगर किया जावे तो वह अनुचित नहीं होगा। लोकतांत्रिक तरीकों से होगा, प्रजातांत्रिक तरीकों से ध्यान आकर्षित करता रहूंगा। इस बारे में लोगों को राशन किस तरह से मिल सकेगा पूरा राशन मिलना चाहिये इस बारे में स्टेटमेंट जल्दी दिलाने की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

समिति का प्रतिवेदन

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री **शंकरलाल लाल** : मैं सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थान करता हूं।

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल विद्युत कटौती से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति का बाईसवां प्रतिवेदन।

(2) राजकीय उपक्रमों के संचालन मण्डल, सेवा नियम तथा श्रमिकों। कर्मचारियों की समस्याएं आदि से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति का तेईसवां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष : श्री दिनेशराय डांगी।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, सरकारी आश्वासनो सम्बन्धी समिति, समिति के दूसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : दिनांक 30 मार्च, 1973 को श्री योगेन्द्रनाथ हांडा सदस्य विधानसभा द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित संकल्प पर अग्रेतर विचार होगा...

पूर्व विचारित अशासकीय संकल्प को पुनः प्राथमिकता देने संबंधी व्यवस्था का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री गुमानमल लोढ़ा : ग्रान ए पाइन्ट आफ ग्रार्डर सर। ग्रध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न 30 मार्च, 73 को इस सदन में डिसकस हुग्रा। विचार होने के बाद एक क्लोजर मूव किया गया। क्लोजर मूव होने के बाद उस पर सारे दिन वादविवाद हुग्रा ग्रौर बिना वोट लिये ही उस दिन यह प्रश्न समाप्त हो गया।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को लेकर व्यवस्था का प्रश्न इस तरह पैदा होता है कि नियमों के ग्रनुसार यह उस दिन समाप्त हो गया। ग्रब क्यों लिया जा रहा है इस पर सरकार ग्रपनी स्थिति स्पष्ट करे।

जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर ग्रादि ग्रलग ग्रलग स्थानों के लोगों ने ग्रपने विचार प्रकट किये। पर राज्य सरकार मूक दर्शक बनी बैठी रही। जब तक राज्य सरकार ग्रपनी स्थिति स्पष्ट न करे तब तक यह प्रश्न इसी तरह से ग्राता रहेगा ग्रौर ग्रापस में कटुता बढती रहेगी। ग्राखिर दोनों तरफ भावनाएं तीव्र हैं। इससे ग्रापस में विद्वेष का वातावरण बनेगा। क्या सरकार यह इस राज्य के हित में उचित समझती है? इसलिए राज्य सरकार ग्रपना स्टेण्ड इस बारे में स्पष्ट करे यह निहायत जरूरी है।

श्री ग्रध्यक्ष : मुझे मदद करें। स्पष्ट कर दें थोड़ा ग्रपना पोइन्ट ग्राफ ग्रार्डर।

श्री गुमानमल लोढ़ा : संविधान की धारा 174 के ग्रनुसार विधान सभा को बुलाना, सत्र समाप्त करना या प्रोरोग करना ग्रादि ग्राता है। इसके सैक्शन दो का सब क्लाज ए इस तरह है :

"(2) The Governor may from time to time—

(a) prorogue the House or either House,

(b) dissolve the Legislative Assembly."

इस सिलसिले में रूल्स ग्राफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट ग्राफ बिजनेस की दो धाराग्रों की तरफ भी ग्रापका ध्यान दिलाऊंगा। एक तो है ग्रध्यक्ष महोदय,

एक तो धारा ग्रध्यक्ष महोदय, 26 ग्रौर 27 की ग्रोर ध्यान ग्राकर्षित करना चाहूंगा–

"27 Resumption of adjourned debate on private member's Bill or resolution—(1) When on a motion being carried the debate on a private member's Bill or resolution is adjourned to the next day allotted for private members' business in the same or next session, it will not be set down for further discussion unless it has gained priority at the ballot.

(2) When the debate on a private member's Bill or resolution is adjourned sine die, the member in charge of the Bill or the mover of the resolution, as the case may be, may,

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

if he wishes to proceed with such Bill or resolution on a subsequent day allotted for private members business....the relative precedence of such Bill or resolution shall be determined by ballot."

धारा 26 की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो उसी सत्र के अन्दर, यदि कोई एक दिन संकल्प या प्राइवेट मेम्बर बिल्स विचाराधीन हो तो और उस विवाद होने के पश्चात् यदि उसके बारे में निर्णय नहीं किया जा सके तो दूसरे सत्र में प्रिसीडेन्स करके लिया जा सकता है। अलग से या दुबारा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो धारा 26 है इसमें प्रोविजन्स के अन्दर 24 और 25 के उपरान्त भी प्रिसीडेन्स दिया जा सकता है और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्राईवेट मेम्बर्स बिल के बारे में चाहते हैं अब मैं आपका ध्यान धारा 256 की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा—

"On the prorogation of the House all pending notices other than notices of intention to move for leave to introduce a Bill shall lapse and fresh notices, shall be given for the next session:

Provided that a fresh notice shall be necessary of intention to move for leave to introduce any Bill in respect of which sanction or recommendation has been granted under the Constitution if the sanction or recommendation, as the case may be, has ceased to be operative."

श्रीमान के समक्ष 257 भी निवेदन करना चाहूंगा। अब 256, 257, 26 और 27 को पढ़ने के बाद और जो संविधान की धारा 174 मैंने निवेदन की, इन सबको पढ़ने के बाद अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक प्रावधान ऐसा लगता है कि एक सत्र के अंदर कोई सकल्प या प्राइवेट मेम्बर बिल रह जाय, पूरा न हो सके तो उसको नेक्स्ट डे केरी ओवर किया जा सकता है उसको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है।

परन्तु सत्र के समाप्त होने के बाद में उस संकल्प को दुबारा विचार करने के लिये प्रिसीडेन्स देने की आवश्यकता है। मेम्बर्स, सदस्य जिन्होंने रखा है, अपनी इन्टेंशन जाहिर करे जैसा आपके सामने और भी संकल्प है। सिन्धी शरणार्थियों को झुंझुनूं जिले में बसाने का सवाल है उसके बारे में सैसन को समाप्त होने के बाद, प्रिसिडेन्स होने के बाद इस प्रश्न को फिर से कन्टीन्यूशन लेने के लिए बैलेट की आवश्यकता रहती है। मैंने दो मुद्दे उठाये है, बाकी मैं समराइज कर देता हूं—एक तो राज्य सरकार स्पष्ट करे और क्षेत्रीय भावनाओं को बार बार उभारने का अवसर न दें ताकि राजस्थान के बढ़ते हुए चरणों में रुकावट न हो और क्षेत्रीय भावनाओं को स्थान न मिले और राजस्थान मूक दर्शक बन कर डिवाइड एण्ड रूल करता रहे। कभी जोधपुर में हड़ताल तो कभी जयपुर में हड़ताल। आपस में द्वेष हो इसके बारे में राज्य सरकार को पहले नीति स्पष्ट करके चलना चाहिए और दूसरा जो पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया इस

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
कान्स्टीट्यूशन के पाइन्ट के अन्दर कृपया आप अपनी रूलिंग और व्यवस्था देने का कष्ट करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपका पाइन्ट आफ आर्डर है, मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं। जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है यह मसला कई बार इस प्रांगण में आ चुका है और अब यह मोहताज है मुख्य मंत्री जी पर, हम इस पर सहमत हैं, इस पर मुख्य मंत्री जी वक्तव्य दे दें तो मेरे ख्याल से जो उग्रता है वह कम हो जायगी।

दूसरी और जिस रूलिंग का हवाला दिया है, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो रूल्स हैं, हाऊस के कन्वेन्सन हैं, ये चलते चलते रूल्स की शेप ले लेते हैं और उसका रूपान्तरण हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, सन् 1952 से लेकर अब तक इस सदन की परम्परा रही है, टेड्रीशन रहा है—नान आफिसियल डे पर कोई रिज्योलूशन समाप्त नहीं हुआ है तो वह दूसरे सैसन में लिया जाता रहा है। यह परम्परा है। इन परम्पराओं ने नियमों का रूप धारण कर लिया है। इसलिए रूल्स की रिजिडिटि के साथ नहीं होता है। इसलिए सदन में जो मोशन समाप्त नहीं हुआ हो वह दूसरे दिन आ सकता है, दूसरे सैसन में आ सकता है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय ने स्वयं ने इन रूल्स को रिलेक्स करके बाई इम्पलीमेन्टेशन बिजनिस में रखा है और बिजनिस के आधार पर यह प्रश्न आज लिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में जो परम्परा का निवेदन किया, इस सदन की [illegible]शन रही है और ट्रेडीशन, परम्परा इतनी सशक्त हो गई है कि ये नियम स्ट्रिक्टली यह एप्लीकेबिल नहीं होते है। रूल 307—

"307—Residuary powers.—All matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Speaker may, from time to time, direct.

मैं इस पर इम्फेसिस देता हूं—"in such manner as the Speaker may, from time to time. direct."

इसलिए यह आसन 1952 से लगातार अब तक इस प्रश्न पर बराबर अपनी मान्यता प्रकट करता रहा है और जो सुदृढ़ परम्परा बन गई है इसलिए इस परम्परा से नहीं हटा जा सकता है और मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी वक्तव्य दें तो यह प्रश्न सहज रूप से सुलझाया जा सकता है।

श्री केदारनाथ : you see rule 257 also.

"A motion resolution or an amendment which has been moved and is pending in the House shall not lapse by reason only of the prorogation of the House."

अगर हाऊस प्रोरोग हो जाय तो यह काफी नहीं हैं, जो पेन्डिग है वह लैप्स हो जायगा। यह प्रेक्टिस है, परम्परा है। इसको आज कन्टीन्यू किया जा सकता है।

Page No 48

(48)

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय··

श्री अध्यक्ष : बोलना है तो बोलें···

श्री शंकरलाल : बोलने की बात नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में यह बताया गया हाऊस एडजोर्न होने से समाप्त नहीं होता। जैसा माननीय आचार्य जी ने कहा परम्परा बन गई है और परम्परा रूल्स का रूप धारण कर लेती है। वह जब बनता है जब रूल्स में प्रावधान नहीं हो। यहां तो जब रूल्स में स्पेसिफिक प्रावधान हैं और जो नियम 27 है उसमें स्पष्ट लिखा है–जब किसी प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर किसी गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक या संकल्प पर वाद-विवाह उसी या अगले सत्र में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये नियत किये गये अगले दिन तक के लिये स्थगित कर दिया जावे तो उसे आगे चर्चा के लिये तब तक नहीं रखा जायेगा जब तक कि उसे शलाका में पूर्ववर्तिता प्राप्त न हो गई हो।

जब गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक या संकल्प पर वादविवाद अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया जाये, तो यथा स्थिति विधेयक का प्रभारी सदस्य या संकल्प का प्रस्तावक, यदि वह गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए नियत बाद के किसी दिन ऐसे विधेयक या संकल्प पर चर्चा जारी रखना चाहता हो, स्थगित वाद-विवाद को पुनः आरम्भ करने के लिए सूचना दे सकेगा और ऐसी सूचना मिलने पर ऐसे विधेयक या संकल्प को सापेक्ष पूर्ववर्तिता शलाका द्वारा निर्धारित की जायेगी।

* Rule 27/(2) says-when the debtate on a privtae member's Bill or resolution is adjourned sine die the member in charge of the Bill or the mover of the resolution, as the case may be, may if he wishes to proceed with such Bill or resolution on a subsequent day allotted for priate member business, give notice for resumption of the adjourned debate.....

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि नियम 27 है वह बिलकुल स्पष्ट है। इसके अन्दर कोई ऐसा सन्देह नहीं है कि अगर कोई भी गैर सरकारी संकल्प एडजर्न हो गया है और आगे के लिये कोई जारी रखना चाहता है, जिसने कि संकल्प रखा है तो उसको उसकी पूर्व सूचना देना पड़ेगी। इसलिए माननीय हांडा जी की इसकी सूचना नहीं है आगे जारी करने के लिए तो फिर आगे सूची में आ ही नहीं सकता।

इसलिए माननीय गुमानमल जी का जो प्रश्न है और पाइन्ट आफ आर्डर है वह बिल्कुल सही है। दूसरी बातों की तरफ नहीं जाते हुए नियम 27 को देखें तो बिलकुल स्पष्ट है जो, भी लैप्स हो जाये चर्चा हो सकती है, लेकिन उसी हालत में जबकि गैर सरकारी सदस्य ने उसकी सूचना दे दी हो और दी नहीं है और जहां तक 307 का हवाला माननीय आचार्य जी ने दिया है कि अध्यक्ष महोदय की ऐसी शक्ति है कि वह नियमों में नहीं होते हुए भी किसी चीज के लिए समय दे सकते हैं। नियमों में नहीं होते हुए दे सकते हैं लेकिन जहां नियमों में है तो मैं समझता हूं कि 307 भी लागू नहीं होगा और नियम 27 में बिलकुल स्पष्ट है कि बिना पूर्व सूचना के डिबेट जारी नहीं रह सकती इसलिए जो पाइन्ट आफ आर्डर

(श्री शंकरलाल)
गुमानमल जी ने रखा है वह बिलकुल सही है और उसके अनुसार 27 में आगे चर्चा नहीं हो सकती।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 26 के प्रोवाइजो की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं :

Business outstanding at end of day का proviso—

"Provided that notwithstanding anything contained in rules 24 and 25 any such business which is under discussion at the end of that day shall be set down for the next day allotted to business of that class and shall have precedence over all other business set down for that day."

इसमें कोई नोटिस की जरूरत नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान रूल 26 के प्रोवाइजो की तरफ आकर्षित किया। मैं निवेदन करता चाहता हूं कि माननीय गुमानमल जी ने रूल 27 की तरफ आकर्षित किया। जहां तक नोटिस का तालुक है पहले तो रूल की तरफ ध्यान आकर्षित किया। जहां तक नोटिस का ताल्लुक है पहले तो रूल की तरफ मैं अपने विचार आपके सामने निवेदन करता हूं उसके पहले यह स्पष्ट करूंगा कि लास्ट टाइम जब इस पर विचार-विमर्श चल रहा था और सदन की कार्यवाही स्थगित की गयी थी उसके बाद माननीय हांडा जी, जिनका कि प्रस्ताव था, वह स्वयं उपाध्यक्ष महोदय के चेम्बर में गये और इस मसले को तय कराया और उस समय डेफ़र मानकर नेक्स्ट प्राईवेट मैम्बर्स डे के लिए यह फिक्स-अप हुआ और फिर इस सदन के अन्दर यह पहले से तय था और हाइकोर्ट का रेज्योल्यूशन माननीय हांडा जी का विचाराधीन है इस प्रकार की रूलिंग उपाध्यक्ष महोदय की थी। बिजनेस में फिक्स्ड था। उस स्थिति में आज की तारीख में लोढ़ा जी यदि आपत्ति उठाते हैं कि प्रस्ताव की पहले सूचना मिलनी चाहिए थी तो वह स्थिति आज सम्भव नहीं है क्योंकि नोटिस हांडा जी ने दिया और मोखिक रूप से दिया और निर्णय दिया और फिक्स-अप करवाया और यह मानते हुए कि इस प्रकार का प्रस्ताव रखना चाहिए था उस प्रकार का नोटिस देने की आवश्यकता नहीं समझी गयी और आवश्यकता थी भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि स्थिति बिलकुल स्पष्ट है।

मरु प्रदेश के डवलपमेंट के लिए भी रेज्योल्यूशन था और उसके ऊपर मैंने क्लोजर मोशन रखा लेकिन माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और यह गम्भीर मसला है मैंने उसको प्रेस नहीं किया। आज हाईकोर्ट का मसला भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस सम्बन्ध में इस सदन के अन्दर चर्चा नहीं हो सकी। केवल प्रस्तावक महोदय ने अपने विचार प्रकट किये और श्री गहलोत साहब ने अपने विचार प्रकट किये और डिबेट कन्टीन्यू थी। गहलोत साहब की स्पीच कन्टीन्यूड थी और वह खतम नहीं हुई थी इसलिए मैं समझता हूं कि जिस मसले के ऊपर चेयर से एक दफा रूलिंग आ गयी है उसके अन्दर आज कोई

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
करने की स्थिति नहीं है और डिबेट को चलने दी जाये और इसी के ऊपर विचार किया जाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पाइन्ट आफ आर्डर सर।

श्री अध्यक्ष । पहले एक का तो निर्णय हो जाने दीजिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष : आप कुछ कहेंगे ? अच्छा कहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्ज यह है कि जो माननीय सदस्य श्री लोढाजी ने पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया है मैं समझता हूं कि वह इनवेलिड है। जो आज हाउस का बिजनेस फिक्सड है उस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपना माइन्ड एप्लाई करके पहले ही प्रायोरिटीज फिक्स कर दी। जैसा कि फर्स्ट प्रायोरिटी माननीय योगेन्द्रनाथजी हांडा का जो पिछला संकल्प है उसको आलरेडी माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रायोरिटी दे दी है और उसके बाद में दूसरे रेज्योल्यूशन इन आर्डर आफ प्रायोरिटी के अन्दर तय किये हुए हैं।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो यह प्रायोरिटीज तय की हैं किस आधार पर तय की। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन को इस बात के बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय को रूल 307 में पूरी शक्ति है, जो कि नोटिस वगैरह के मामलात में रिलेक्सेशन दे सके। इसलिए रूल 26 का जो प्रोवाइजो है उसके अनुसार जो बिजनेस पिछली दफा बहस हुई थी वह नेक्स्ट प्राईवेट मेम्बर्स डे पर आयेगा। यह प्रोवाइजों के अन्दर है। अब बैलट के अन्दर प्रायोरिटी आनी चाहिए उसके सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपना निर्णय देकर प्रायोरिटी फिक्स कर दी है। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने यदि नोटिस की आवश्यकता थी तो उसको नोटिस मानकर उसको सामने रख कर कि हाईकोर्ट का मसला पेन्डिंग है इस पर विचार किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, अपना माइन्ड एप्लाई करके सिर्फ प्रायोरिटी फिक्स की है।

इसलिए यह अधिक से अधिक उस रूल में रिलेक्सेशन, जिसमें कि नोटिस देने की आवश्यकता और है तो भी रिलेक्स करके प्रायोरिटी फिक्स करता है, इसलिए इसके पीछे माननीय अध्यक्ष महोदय का जो निर्णय है उसको री-ओपिन नहीं किया जा सकता और जो उन्होंने निर्णय दिया है वह बाकायदा नियमानुकूल है। अपनी शक्ति के आधार पर रिलेक्सेशन करते हुए यह निर्णय दिया है। इसके लिए मैं समझता हूं कि हाईकोर्ट वाले संकल्प पर विचार पहले किया जाना चाहिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में यह कन्वेन्शन रहा है और पिछली विधान सभा में नान-आफिशयल रेज्योल्यूशन – ग्रामीण जलप्रदाय को स्ट्रैन्थन करने के लिए, गांवों में पानी पहुंचाने के लिए एक सक्षम जल बोर्ड का गठन किया जाये इस सम्बन्ध में भी पिछली विधान सभा

Page No 51

(51)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
में रेज्योल्यूशन था और मुझे जैसा याद पड़ता है वह रेज्योल्यूशन दो दफा....

एक माननीय सदस्य : तीन बार।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दो या तीन बार नान-आफिशियल डे पर कन्टीनुअसली वह रेज्योल्यूशन चलता रहा था। तो मैं समझती हूं कि उस कन्वेन्शन को मद्देनजर रखते हुए माननीय सदस्य ने जो अपना आब्जेक्शन उठाया है वह आप रूलिंग देते समय उसका भी ख्याल रखें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, ओन ए···

श्री अमृतलाल गहलोत : इस चीज की व्यवस्था देने से पहले यह देखना होगा कि क्या क्लोजर मूव हो चुका है

श्री पी.के. चौधरी : नहीं हुआ था।

(व्यवधान–शोरगुल अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आपको भी उत्तर देने का समय मिल जाएगा।

श्री अमृतलाल गहलोत : रूल्स 27 क्लियर है। कोई भी कन्वेंशन रूल को सुपरसीड नहीं कर सकता है। इसमें क्लियर है।

"When the debate on a private member's Bill or resolution is adjourned sine die, the member in charge of the Bill or the mover of the resolution as the case may be, may, if he wishes to proceed with such Bill or resolution on a subsequent day allotted for private member's business, give notice for resumption of the aajourned debate..

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : But not after the ruling of the Chair.

श्री अमृतलाल गहलोत : And on receipt of such notice the relative precedence of such Bill or resolution shall be determined by ballot.

नोटिस दिया नहीं है इसलिए लिया नहीं जा सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय..

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : रूल नम्बर 26 है वह तो जो सदन में जिस समय प्रोसीडिंग्स चल रही हो उसी समय के लिए लागू होता है, अगले सत्र के लिए नहीं। रूल्स नम्बर 26 को, जो चौधरी साहब ने रखा है, वह जो प्रोविजो रखा है वह इसी सत्र में लागू होता है, अगले सत्र में लागू नहीं होता। जो शंकरलालजी ने 27 रूल को रखा है वह इस सत्र के लिए लागू होता है, उसके लिए पहले से सूचना देना आवश्यक है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो यह है कि इस सम्बन्ध में मैंने जो रिजील्यूशन मूव किया उसके बाद केवल एक ही भाषण हुआ, वह माननीय सदस्य जनार्दनसिंहजी गहलोत का था, जो भी पूर्ण भाषण नहीं था। उसके बाद में पी. के. चौधरी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

साहब, माननीय सदस्य जनार्दनसिंह गहलोत और माननीय सदस्य, जो जयपुर से आते हैं व्यास, हम लोग उपाध्यक्ष महोदय से मिले और उन्होंने यह रूलिंग दे दी थी कि यह प्रस्ताव जो है, संकल्प अगले सदन में चालू रहेगा। अब बिजनेस एडवाईजरी कमेटी की···

श्री **मोहनराज (बाली)** : रूलिंग कहां दी थी, आप तो चैम्बर में मिले थे।

(कई मा. सदस्य एक साथ बोलने लगे–अश्रव्य)

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आप बोलना चाहें तो आपको समय दे दूंगा। एक एक माननीय सदस्य बोलें।

श्री **दीपंकर** : आप बोलने दें अध्यक्ष महोदय..

श्री **योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : एजंडे में मौजूद है, माननीय सदस्य जरा जल्दी कर रहे हैं। मैं बात कह रहा हूं। इस बिजनेस एडवाईजरी कमेटी को मूव करने से पहले यह...

(शोरगुल–अश्रव्य)

बिजनेस एडवाईजरी कमेटी को मीट करने से पहले मैं ब्रांच में गया और मैंने यह कहा कि मैं इस रेजोल्यूशन को आगे ले जाना चाहता हूं और बिजनेस एडवाईजरी कमेटी ने मेरे रेजोल्यूशन को इन्कलूड कर लिया और बिजनेस एडवाईजरी कमेटी की, जो कुछ रिपोर्ट है, उसे सदन के अन्दर प्रस्तुत कर दिया गया और बिजनेस एडवाजरी कमेटी के अन्दर यह..

(व्यवधान– अश्रव्य)

हाण्डा साहब रिटर्न में नोटिस नहीं दिया है आपने।

श्री **योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : रिटर्न का प्रश्न नहीं है।

(शोरगुल–व्यवधान–अश्रव्य)

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य क्या इस परम्परा को मिटायेंगे कि जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हों तो बीच में बोलें ही ?

श्री **योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : यह कह रहे थे कि लिखित में देने की बात कही है, लिखित में सूचना देने की बात है, सूचना मैंने पिछले सत्र में..

श्री **दीपंकर** : पहले लिखित में दी तो अब भी लिखित में देनी चाहिए।

श्री **योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : कहीं भी लिखित में जरूरी नहीं है। रूल्स 257 बहुत क्लियर है :

> "A motion, resolution or an amendment, which has been moved and is pending in the House, shall not lapse by reason only of the prorogation of the House—"

यह बिल्कुल 26 के बाद है जो बिल्कुल क्लियर है। इसमें कोई 'इफ' नहीं है, कोई 'बट' नहीं है। दिस इज क्लियर रूल विदिन इफ एण्ड बट।

श्री **अध्यक्ष** : और कोई साहब फरमाना चाहेंगे ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय,

श्री **दीपंकर** : रिटर्न में तो नहीं दिया है। मैं अर्ज करना···

श्री दीपंकर : मैं बोलना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत हो तो मैं बोलूं (श्री लोढ़ा के बोलने के लिए खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष : पहले दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं): अध्यक्ष महोदय, जो पोइन्ट आफ आर्डर माननीय लोढ़ा साहब ने रेज किया और उसके समर्थन में शंकर-लाल जी ने पढ़ा है, हम चाहें इसके लिए चर्चा करना चाहें तो अध्यक्ष महोदय की आज्ञा होगी तो चर्चा भी होगी यदि उनकी रूलिंग होगी तो। परन्तु यह ऐसा सब्जेक्ट है जो भारत सरकार के विचाराधीन है और हम यहां अननेससरीली आपस में लडें नहीं, अपनी भावनाओं को बिगाडें नहीं। अच्छा यह होगा कि मुख्य मंत्री जी आश्वासन दे दें और उसके बाद सब्जेक्ट लेप्स समझना चाहिए क्योंकि 27 के अगेंस्ट में कई तरह के ऐसे सेक्शन हम यहां कह सकते हैं, कन्वेंशन कह सकते हैं और अध्यक्ष महोदय की धारणा है, उनकी इच्छा है तो उसके आधार पर रख सकते हैं। हम आज भी आसन की गरिमा को मानते हैं, उनका आदर करते हैं।

लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि कम से कम हमको यह मान कर चलना चाहिए कि इसकी आवश्यकता नहीं रही है। सेक्शन 27 बिल्कुल क्लियर है, अप्रोप्रियेट सेक्शन है। मूवर ने नोटिस दिया नहीं है, बैलट पर चढ़ा नहीं है और गल्ती से सूची में आ गया है तो हटा देना चाहिए और अननेसेसरीली चर्चा नहीं होनी चाहिए, यही मेरी अर्ज है।

(व्यवस्था-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आपके कहने का मतलब है कि अध्यक्ष की व्यवस्था की जरूरत नहीं है। आपने जो कहा हैं उसके बाद कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं हैं ?

श्री दीपंकर : मेरा यह मतलब नहीं है। आपकी व्यवस्था की तो जरूरत है ही। यह तो मैंने पहले ही निवेदन किया कि आपकी व्यवस्था सर्वोपरि है लेकिन रूल बिल्कुल क्लियर है, यह आज के एजेंडे में नहीं आना चाहिए और गल्ती से आ गया है तो हटा दें।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय,

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया: पोइन्ट आफ आर्डर, पोइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : There is already one point of order pending before the House.

एक पोइन्ट आफ आर्डर तो तय हो जाय।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : इस सदन के अन्दर · · ·

श्री अध्यक्ष : पोइन्ट आफ आर्डर पर कोई पोइन्ट आफ आर्डर नहीं। अगर आप बोलने की इजाजत चाहेंगे तो समय दे दूंगा लेकिन पोइन्ट आफ आर्डर का बहाना करके नहीं।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : पोइन्ट आफ आर्डर करके तो दे सकते हैं।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री **रामकिशन** : अध्यक्ष महोदय, माननीय लोढ़ा साहब ने जिस रूल का जिक्र किया है असल में उन्होंने अंग्रेजी के मार्फत दिया है जब कि सदन की भाषा हिन्दी में है।

(श्री राम किशन)

हिन्दी की किताब को देखे तो इसका अर्थ यह नहीं निकलता है जैसे इसमें साफ लिखा हुआ है, 27 के खण्ड (2) में :

संकल्प पर चर्चा जारी रखना चाहता हो, स्थगित वादविवाद को पुनः आरम्भ करने के लिये सूचना दे सकेगा . . .

इसमें लिखा है कि दे सकेगा, देना होगा नहीं है, देना होगा तो कम्पलसरी होता।

श्री दीपंकर : इसका अर्थ यही निकलता है कि लिखित में सूचना देनी होगी।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में जो व्यवस्था देना चाहें वे दें। अंग्रेजी में बोलने से गलत अर्थ निकला है, सूचना देना जरूरी नहीं है इसमें दे सकेगा है, अगर नहीं देगा तो भी कण्टीन्यू है, क्योंकि मौखिक सूचना दे दी है। मैं समझ पा रहा हूं कि सूचना दी जा चुकी है लेकिन देना जरूरी नहीं है। इसलिए लोढ़ा साहब ने जो आपत्ति रखी है मैं समझता हूं कि आवश्यक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब आप भारतीयाजी, बिना पोइन्ट आफ आर्डर के ही फरमाइये।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पोइन्ट आफ आर्डर आपके सामने आया है वह बिजनेस एडवाईजरी कमेटी . . .

(शोरगुल—व्यवधान—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : बिजनेस एडवाईजरी कमेटी ने इस पर बखूबी विचार करने के बाद और अध्यक्ष महोदय की इस पर मंजूरी लेने के बाद बिजनेस की सूची में आ चुका है। दूसरा जो इसके मूवर हैं उन्होंने इस सदन के सामने इस बात को रखा है कि सूचना उन्होंने दी है। राइटिंग में सूचना देना जरूरी हो, ऐसी बात नहीं है। रूल 257 और 307 पूरी तरह से लागू है। 26 का प्रोविजो लागू होता है और इस पर आप आदेश फरमा दें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट और। यह सूचना जो . . .

(कई मा. सदस्य एक साथ बोलने लगे-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरसिंह। श्री शंकर सिंह रावत।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आथोरिटी के बाद कोई नहीं बोल सकता। भारतीया इज एन आथोरिटी। . . .

श्री शंकरसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यहां पर अपना अपना पक्ष रख रहे हैं जिससे ऐसा मालूम पड़ता है कि माननीय सदस्य किस पक्ष में है और अपना अपना पक्ष यहां पर रख रहे हैं। माननीय अध्यक्ष, मुझे यह निवेदन करना है कि जनहित को कोई बात यहां पर, इस सदन के अन्दर आवे तो सभी सदस्यों को निष्पक्ष होकर उस पर विचार करना चाहिये। जब यह आज के बिजनेस में आ गया है तो हमारा अधिकार है उस बिजनेस की मांग करने का और उस पर बोलने का। चाहे मुख्य मंत्री महोदय इस पर वक्तव्य दें या न दें बिजनेस में आ जाने के बाद सदस्यों को इस पर बोलने का मौका दिया जाना चाहिये। माननीय अध्यक्ष, कृपया

(श्री शंकरसिंह रावत)
सदस्यों को अपने उद्‌गार प्रकट करने का मौका दीजिये ।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री वृद्धि चंद्र जैन ।

श्री **वृद्धिचंद्र जैन** : अध्यक्ष महोदय, अभी हांडा साहब ने 257 साइट किया था । यह इन्फरमेशन दी, यह कहा कि उन्होंने इसकी ओरल इन्फरमेशन दी थी । ओबलीगेटरी जो सूचना दी जानी चाहिये यह लिखित रूप में दी जानी चाहिये । यह 254 में पढ़ देता हूं : "इन नियमों के द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना सचिव को सम्बोधित कर के लिखित रूप में दी जायेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी और सूचनालय में छोड़ दी जायेगी जो कि इस प्रयोजन के लिए रविवार या सार्वजनिक छुट्टी के दिन को छोड़कर प्रत्येक दिन समय समय पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के लिये खुला रहेगा । अधिसूचित समय के बाद छोड़ी गई सूचनायें अगले खुलने वाले दिन दी गई समझी जायेंगी ।"•• यह सूचना जो है अध्यक्ष महोदय, लिखित में आनी चाहिये और ओरल रूप से दी गई सूचना कोई वकत नहीं रखती है ।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके हैं । आप एक दफा बोल चुके हैं । जो माननीय सदस्य इस विषय पर एक एक बार बोल चुके हैं, उनका दुबारा इस विषय में बोलना अनुचित है ।

श्री **जनार्दनसिंह गहलोत** : सदस्य अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं ।

श्री **मीठालाल** : अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो नियम 254 और अन्य नियम बताये गये हैं किन्तु प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी जो नियम हैं, उन नियमों में नियम 257 स्पष्ट बताया है:—

"कोई प्रस्ताव, संकल्प अथवा संशोधन, जो प्रस्तुत किया गया है, और सदन में लम्बित है, केवल सत्रावसान होने के कारण ही व्यपगत नहीं होगा ।"

श्री अध्यक्ष : **और** कोई माननीय सदस्य प्रकाश डालना चाहते हैं ?

श्री **पी. के. चौधरी** : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आप तो फर्मा चुके हैं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा ।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन के अन्दर एक संवैधानिक प्रश्न रखा था । मुख्य मंत्री महोदय या राज्य सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य हो जाये तो मैं इस प्रश्न को वापिस लेने को तैयार हूं परन्तु यह न समझा जाना चाहिये कि मैं या मेरा दल इस संकल्प के पक्ष या विपक्ष में है । यह तो कान्स्टीट्यूशनल क्वेश्चन रेज किया गया है ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : गिरधारीलाल जी भार्गव, जो नीचे भाषण कर रहे हैं उसी को उनके दल के नेता यहां साफ कर रहे हैं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जहां तक संकल्प का प्रश्न है उसके बारे में हमने बराबर अपने विचार यहां पर व्यक्त किये हैं•

Page No 56

(56)

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने विचार व्यक्त नहीं किये हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यहां यह घोषणा करें मुख्य मंत्री महोदय अपना स्पष्टीकरण करें या वक्तव्य दें तो मैं अपना पाइंट आफ आर्डर वापिस ले सकता हूं वरना अध्यक्ष महोदय आप अपना निर्णय दे दें।

श्री अध्यक्ष : श्री नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन करना यह है कि मैं इस बात से एग्री करता हूं। यहां से प्रारंभ करता हूं...

श्री अध्यक्ष : कब से ?

श्री यशवन्त सिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो रूल पेश किये गये हैं, एक चीज प्राइमा फेसी लेता हूं ? वह यह चीज है कि प्रायोरिटी बैलेट से होगी। इसलिए डिस्क्रीशन अध्यक्ष महोदय के हाथ में नहीं रहता। वास्तव में नोटिस देना आवश्यक है। जैसा कि कहा है इस पर नोटिस आना आवश्यक है और उसके बाद प्रायोरिटी बैलेट से होगी। यह जो प्रिसीडेन्स है, वह पढ़ देता हूं।

Rule 25.—"Precedence of private member's resolutions. The relative precedence of resolutions, notices of which have been given by private members, shall be determined by ballot, to be held in accordance with the orders made by the Speaker, on such day as the Speaker may direct"

तो मेरा निवेदन यह है कि इसके अन्दर एक चीज है, मेम्बर के जिम्मे नोटिस देना जरूरी है। उसमें यह भी लिखा है नोटिस इन राइटिंग। फिर भी स्पीकर महोदय, इस रूल को ओवर रूल कर सकते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि डिफरेन्ट मेम्बर्स के रिजूलूशन है और इसलिए यह नोटिस देना आवश्यक है। और उसके बाद बैलेट से प्रायोरिटी तय होगी। अगर यह नोटिस नहीं दिया जाता है तो सब्सीक्यून्ट वर्क लिखा हुआ है। वरना वह नहीं लिया जा सकता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह कन्डीशन वेव हो

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : It is a wrong interpretation of the Rules,

श्री पी. के. चौधरी : नाहर साहब ने जो इन्टरप्रिटेशन दिया है वह गलत दिया है।

Rule 25.—The relative precedence of resolutions, notices of which have been given by private members, shall be determined by ballot, to be held in accordance with the orders made by the Speaker, on such day as the Speaker may direct.

यह प्राविजन मानते हैं। यह पेन्डिग रिजोलूशन है इसको मानते हैं। बाकी का बैलेट से तय होगा। 26 का प्राविजन दूसरा था। जो पेन्डिग रिजोलूशन है उनको रखकर उसके बाद में ऐड होगा। दूसरी बात जो रूल 308 और 307 है। 307 में है।

(श्री पी. के. चौधरी)

Residuary powers-All matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Speaker may, from time to time, direct.

स्पीकर ने डिसीजन दे दिया है ।....

308—says—If any doubt arise as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the decision of the Speaker shall be final."

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : किस बात पर बहस हो रही है, यह मालूम है माननीय सदस्य!

श्री रघुनाथ विश्नोई : मुझे मालूम है।

अध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पाइंट आफ आर्डर के जरिये आपका ध्यान आकर्षित किया है। माननीय हांडा जी का जो रिजोलूशन है उसका नोटिस दिया जाना आवश्यक था। नोटिस के दिये बिना, उसको कार्यसूची में नहीं रख सकते। यह प्रश्न यहां पर विचाराधीन है। माननीय अध्यक्षजी, पहले भी आपको अच्छी तरह से विदित है कि झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने यह बात उठाई थी कि उनका एक संकल्प था जो यहां पर सालों तक चला और उसके लिए बराबर नोटिस दुबारा दिया गया था। यह अनिर्णीत संकल्प सदन में विचारार्थ रहा और अनिर्णीत रूप में रहा और वह सत्र समाप्त हो गया तो दुबारा उस नान-आफिशियल रिजोलूशन के ऊपर दुबारा बैलेट के लिए जिन माननीय सदस्य का वह संकल्प था, दुबारा उसका नोटिस जरूरी देना पड़ता है कि इसको रखा जाये जबकि सरकार की ओर से जवाब नहीं हो और वह अनिर्णीत रहा हो। इसलिए इसमें नोटिस का होना और वह भी लिखित में होना बहुत जरूरी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बैलेट का प्रश्न नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बैलेट में बराबर विचाराधीन रखा है। बैलेट का जो प्रश्न है वह नये रिजोलूशन के लिए है, उसके लिए होता है परन्तु माननीय सदस्य हांडा के लिए यह जरूरी था कि वह लिखित में नोटिस देते। उनको भी यह इनफार्मेशन देनी चाहिये थी। क्योंकि उनका भी पहले प्रायोरिटी में आयेगा।

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय,.

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : आप करेक्ट कर दीजिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्रश्न रूल्स और नोटिस का है। अपने अपने विचार लोगों ने रख दिये हैं। वह चाहे जो हों, वह इस रूप में लेना जरूरी था। क्या वास्तव में अनिर्णीत संकल्प फिर दूसरे सत्र में चल सकता।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
है ? परन्तु माननीय हांडा जी ने जो गलती कर दी है, वह नहीं करनी चाहिए थी। व्यवस्था अध्यक्ष महोदय, पर निर्भर है। उस पर विचार करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : अब मुझे सम अप् करना पड़ेगा। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री लोढ़ा जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। उसमें कुछ व्यवस्था का प्रश्न भी है और कुछ व्यवस्था से अलग भी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : व्यवहारिक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : व्यावहारिक भी है। उनका मुख्य प्रश्न यह है कि जो आज यह प्रश्न पहले वाला आया हुआ है, जो माननीय सदस्य, सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य का हाईकोर्ट के सम्बन्ध में है। उस प्रश्न पर व्यवस्था चाहते हैं। उन्होंने दुबारा उसका नोटिस नहीं दिया है। और जब तक वह नहीं दिया जाये तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि वह नियमानुकूल आया है। इसलिए यह नियमानुकूल नहीं आया है एक तो यह बात। दूसरा पाइण्ट आपने यह कहा है कि जब एक सत्र हो चुका है तो वह आटोमेटिकली, स्वतः ही लैप्स हो जाता है। इसलिए वह नहीं आना चाहिये।

दूसरी बात, कान्स्टीट्यूशन के बारे में हवाला दिया है। दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि अगर व्यवस्था दें तो मैं अपनी बात को वापिस भी ले लेता हूं। यह तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अगर वह वापिस लेना चाहें तो यह उनकी स्वेच्छा की बात है। मेरे सामने ऐसे ही प्रस्ताव हैं। कार्यसूची के अन्दर आज की बहस के लिये जो रखे गये हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मेरा निवेदन यह था, आपकी व्यवस्था के पहले यदि यह चाहते हैं कि मैं भी कुछ कहूं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। उस स्थिति में पक्ष में और विपक्ष में कोई स्थिति बनाने की बात हो तो मैं इस स्थिति में नहीं हूं। लेकिन पक्ष और विपक्ष के आग्रह हो मेरे बोलने के बाद भी तो मेरा बोलना व्यर्थ रहता है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, इसमें दो बातें हैं • •

श्री फूलचन्द जैन : सदन की राय ले लीजिये। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो मुख्य मन्त्री के वक्तव्य के बाद ही साफ किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह समझूं . .

श्री हरिदेव जोशी : इस स्थिति में माननीय सदस्य भी इस सदन के सदस्य हैं। मैं भी इस सदन का सदस्य हूं। आप भी राजस्थान के लिए शुभाकांक्षा करते हैं। मैं भी राजस्थान के लिए शुभाकांक्षा करता हूं। आप सभी लोग मुझ से मिलते भी रहते हैं। आप सभी लोग मुझ से बातें भी करते रहते हैं। इस सारे परिप्रेक्ष्य में हम सोचते हैं तो मैं यह उपयुक्त समझता हूं कि यहां पर तनाव नहीं बढ़ाया जाये। और इसके प्रति ज्यादा कुछ नहीं किया जाये। और यह समझें जो

(श्री हरिदेव जोशी)
बात कही गई है, वह गुडविल में लें तब तो ठीक। वर्ना मैं समझता हूं कि एक पक्ष अपनी राय रखता है और दूसरा पक्ष अपनी राय रखता है तो यह स्थिति बनी ही रहती है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय

श्री अध्यक्ष : तो व्यवस्था के बारे में इस स्थिति में माननीय सदस्य यदि चाहते हैं कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय वक्तव्य दें तो प्रश्न समाप्त हो जाता है नहीं तो मुझे व्यवस्था देनी होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, पर निर्भर करेगा।

श्री फूलचन्द जैन : वक्तव्य तो वक्तव्य होगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनें।

जब एक प्रश्न सदन में उठाया गया है तो मुझे तो व्यवस्था देनी ही है। देना भी चाहता हूं। कुछ कान्स्टीट्यूशन का हवाला देकर, विधान का हवाला देकर, कुछ रूल्स आफ बिजनेस का हवाला देकर यह बात कही गई है, कि कार्य सूची में जो यह प्रस्ताव है, वह शायद भूल से आ गया है. यह नहीं आना चाहिए था।

श्री मीठालाल : आ गया है।

श्री अध्यक्ष : कैसे भी हो यह लैप्स हो जाना चाहिए था। परम्पराओं के अनुकूल भी ऐसी आपति उठाते तो भी व्यवस्था दी जाती। तो मैं निवेदन करता हूं कि यह जो कार्य सूची पर प्रस्ताव आया है, यह न तो भूल से आया है, न नियमों के प्रतिकूल है।

मैं यहां उन अधिकारों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, जिनके द्वारा सदन की व्यवस्था के लिए अध्यक्ष को अधिकार है कि अध्यक्ष किसी भी नियम को सस्पेण्ड कर सकते हैं। जैसा कि मैं समझे हुये हूं, मैं उन अधिकारों का प्रयोग करने की कोशिश नहीं करूंगा। कान्स्टीट्यूशन के आर्टिकल 174 का हवाला दिया गया है। यह आर्टिकल सत्रावसान के बारे में है। जहां तक संविधान के आर्टिकल का प्रश्न है वह सहायक हो सकता है, वह मैं नहीं समझता हूं। उसमें केवल सत्रावसान की बात की गई है, उसकी प्रक्रिया तथा परिणामों के विषय में उसमें कुछ नहीं कहा गया है। इसका उल्लेख हमारे प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में है। नियम 26, 27 तथा ~~24 और~~ 25 का भी हवाला दिया गया है। हमारे नियमों की स्थिति इस सम्बन्ध में यह है

नियम 26 को मैं आपके सामने पढ़ देता हूं :

"Private member's business set down for the day allotted for that class of business and not disposed of on that day shall not be set down for any subsequent day, unless it has gained priority at the ballot held with reference to that day;"

मगर उसके अन्दर जो प्राविजो है उसमें स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। इसने इसको महदूद कर दिया है। जो प्राविजो लगा दिया है उसमें, वह उसे महदूद कर देता है। वह यह है :

(श्री अध्यक्ष)

"Provided that notwithstanding anything contained in rules 24 and 25 any such business, which is under discussion at the end of that day shall be set down for the next day allotted to business of that class, and shall have precedence over all other business set down for that day."

इसमें "नाटविथस्टेंडिंग" है। "नाट विथस्टेंडिंग रूल 24 एण्ड 25" । इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। 24 और 25 में बैलट की बात कही गई है, उसके नाटविथस्टेंडिंग कहा है। जो प्राविजो लगा है वह यह है, "notwithstanding anything contained in rules 24 and 25"

यह बात कही गई। बैलट वाली बात नियम 24-25 में दी हुई है, अतः वह एप्लीकेबल नहीं होती है। अब इसलिए उसका परिणाम यह होता है कि वह बिजनेस जो उस रोज अनिर्णीत था वह आगे के लिए रख देते हैं।

अब सवाल केवल यह रहा कि क्या क्लोजर हो गया था ? क्या वाद विवाद बन्द हो गया था या अनिर्णीत रहा था ? मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि क्लोजर नहीं हुआ था। मैंने सदन की प्रोसीडिंग मंगवाई है, वह सुना देता हूँ, उसमें शब्द लिखे हुए हैं :

"श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: 30-3-73 अनिर्णीत

सदन की यह राय है की राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड-पीठ जयपुर में स्थापित की जावे।	(वाद-विवाद अगले सत्र के लिए जारी रखा गया)"

यह प्रोसीडिंग के संक्षिप्त विवरण के शब्द हैं, जो मैंने पढ़ कर सुनाये। इसलिए प्रस्ताव पर विचार उस रोज अनिर्णीत था, वह सदन के आगे के सत्र के लिए जारी रखा गया था उस दिन, वह मुलतवी हुआ और आगे के लिए उसको रखा गया। उस रोज अनिर्णीत रहा।

इसके साथ ही रूल 27 का हवाला दिया है, उसमें यह कहा गया है कि उसका नोटिस देना चाहिए था, जब तक नोटिस नहीं दिया जाय तब तक आ नहीं सकता। उसके शब्द गौर से पढ़ेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जायगी। उसमें है :

"When on a motion being carried the debate on a private member's Bill or resolution is adjourned to the next day allotted for private member's business in the same or next session, it will not be set down..."

इसको पोस्टपोन करने के लिए कोई मोशन नहीं था। नार्मल वे में डिसाइड हो गया अगले दिन के लिए।

"When on a motion being carried the debate on a private member's Bill or resolution is adjourned to the next day allotted for private member's business......"

इसमें कोई मोशन था नहीं। इसलिए मोशन, बगैर मोशन का सवाल है। क्योंकि मोशन हुआ नहीं, इसलिए रूल 27, जिसका रेफरेन्स दिया गया, वह उस पर लागू नहीं होता है।

(श्री अध्यक्ष)

इसके अलावा भी काफी अर्से से मुझे इस विधान सभा में सदस्य की हैसियत से रहने का सौभाग्य मिला है, और मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन परम्पराओं का जिक्र किया है, आप सभी उन बातों से परिचित हैं। कोई नान-आफिशियल रिजोल्यूशन, गैर सरकारी प्रस्ताव सदन में आया, अनिर्णीत रहा तो एक एक वर्ष, दो दो वर्ष, तीन तीन वर्ष तक वह चलता रहा है अनिर्णीत रूप में और जहां तक मुझे जानकारी है उसमें बैलट दुबारा नहीं हुआ है। जहां तक मुझे जानकारी है माननीय रघुनाथ विश्नोई का एक प्रस्ताव था वह पेयजल के सम्बन्ध में था। वह 6-9-68 को, 16-8-69 को, 30-3-70 को आया 1968 से 1970 तक अनिर्णीत स्थिति में चलता रहा। मैं इसके सम्बन्ध में फिर चैक करना चाहता हूं, मुझे इसकी पक्की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है इसमें बैलट नहीं हुआ है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बैलट नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : जहां तक मुझे जानकारी है, सूचना आपकी ठीक हो सकती है, बैलट उसमें नहीं हुआ है। सदन की बंधी हुई परम्पराओं के अनुसार भी तथा रूल्स 26-27 के आधार पर भी गौर करते हुए मेरा इस सम्बन्ध में यह निर्णय है, यह लिस्ट आफ बिजनेस पर आया है, यह सही तरीके से आया है, इसमें कोई गलती नहीं है तथा कोई रूल को सस्पेन्ड करने की जरूरत नहीं है।

एक पाइन्ट और रह गया, एक मुद्दा उठाया था, जब सत्र प्रोरोग हो गया, प्रोरोग होने के साथ में कितना भी और कार्य हो, वह समाप्त हो जाता है, इसलिए चाहे कोई प्रस्ताव निर्णीत हो चाहे अनिर्णीत, कोई भी स्थिति हो वह सत्रावसान के साथ समाप्त हो गया, प्रोरोग होने के साथ, इसलिए यह प्रस्ताव भी समाप्त हो गया...

श्री रघुनाथ विश्नोई : यही प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में हमारी प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के जो नियम हैं, उनसे स्पष्ट मार्ग दर्शन मिलता है...

एक माननीय सदस्य : समझ नहीं पाये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपका समझ से वास्ता नहीं है।

श्री दीपंकर : सभी समझ में घपला कर दिया।

श्री अध्यक्ष : 257 का माननीय सदस्य ने हवाला दिया, वह मामला स्पष्ट है, जो पेंडिंग बिजनेस इस प्रकार का है, बावजूद इसके कि सत्र प्रोरोग हो गया, सत्रावसान हो गया, वह लेप्स नहीं होगा। वह मैं पढ़ देता हूं :

"A motion, resolution or an amendment, which has been moved and is pending in the House, shall not lapse by reason only of the prorogation of the House."

इसलिए प्रोरोग होने की वजह से यह प्रस्ताव लैप्स हो नहीं सकता, नियमानुकूल

(श्री अध्यक्ष)

लैप्स नहीं हो सकता—ऐसा मेरा मानना है, यहां की परम्पराओं के अनुसार, और नियमों के अनुसार, और मैं समझता हूं कि इसमें दुबारा बैलट की जरूरत नहीं थी। इसलिए इस सम्बन्ध में मेरा निर्णय यह है :

प्रक्रिया के नियम 26 में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसा कोई कार्य, जो गैर सरकारी कार्य के लिए नियत किये गए दिन के अन्त में चर्चाधीन हो, उस वर्ग के कार्य के लिये नियत अग्रिम दिन के लिए रख दिया जायेगा और उसे उस दिन के लिए रखे गये अन्य सब कार्यों पर पूर्ववर्तिता होगी।

इसी संदर्भ में प्रक्रिया का नियम 257 उल्लेखनीय है जिसके अनुसार कोई प्रस्ताव अथवा संकल्प, जो प्रस्तुत किया गया है और सदन में पेंडिंग है, केवल सत्रावसान होने के कारण लैप्स नहीं होगा।

इसलिए इस पर जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उसको मैं रूल आउट करता हूं। आगे की कार्यवाही चालू हो।

माननीय सदस्य जो बोलना चाहें।

श्री मोहनराज : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। गत सत्र में जब इस प्रस्ताव पर विचार चल रहा था, उसके पूर्व ही मैंने और मेरे दूसरे कई साथियों ने अपने संशोधन पेश किये थे इस प्रस्ताव में। आज जो हमें यह सूची मिली है, उसके अन्दर संशोधन प्रस्ताव नहीं हैं। आज यह प्रस्ताव चर्चा के लिए आया है तो हमारे संशोधन प्रस्ताव भी वितरित किये जायं ताकि हम बहस में पार्टीसिपेट कर सकें।

श्री अध्यक्ष : मैं जानकारी कर लेता हूं। आप बोल लीजिये। आपको समय मिल जायगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा निवेदन है कि अच्छा होता यदि माननीय मुख्य मंत्री इस पर अपना वक्तव्य दे देते, ताकि सारी कन्ट्रोवर्सी समाप्त हो जाती।

श्री मोहनराज : यह बहुत अच्छा सुझाव है। हम इसकी ताईद करते हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : एकमत से आपका डिसीजिन मान लिया जाय तो आप बोल लें।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : माननीय मुख्य मंत्री अपना वक्तव्य पहले दे दें जिससे स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो जायगी। गवर्नमेण्ट का व्यू है, माननीय मुख्य मंत्री का व्यू है, वह हमें मालूम हो जाय तो उस पर हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। गवर्नमेण्ट का व्यू आ सकता है और उस पर विचार हो सकता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : किस कानून के तहत आ जाय।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : Leader of the House can intervene at any time.

श्री श्रीराम गोटेवाला : कभी भी कह सकते हैं लीडर आफ हाउस। उनमें हमारा पूरा कान्फीडेंस है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा समय लूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आखिर यह प्रश्न है बेंच का, यह प्रश्न कान्स्टीट्यूशन के अन्तर्गत भी है इसका निर्णय यह इन कन्सल-

(निरंजन नाथ आचार्य)

टेशन विथ सुप्रीम कोर्ट होगा। ऐसी स्थिति में मुख्य मंत्री जी कोई वक्तव्य देते हैं और उस वक्तव्य में यह ध्वनि हो कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट इस प्रश्न पर इन कन्सलटेशन आफ सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगी। यह निर्णय करना राज्य सरकार के अधीन है नहीं, यह निर्णय अन्ततोगत्वा केन्द्रीय सरकार इन कन्सलटेशन विथ सुप्रीम कोर्ट करेगी। यह निर्णय वहां पर होने वाला है तो इसे विवाद में न डाला जाय। मुख्य मंत्री जो कोई सोल्यूशन मस्तिष्क में रखते हों और राज्य सरकार तटस्थ होकर इस प्रश्न को केन्द्रीय सरकार को सुपुर्द करने की स्थिति में हो तो मेरे खयाल में केन्द्रीय सरकार के सम्मुख इस प्रश्न को रखा जाकर वहां से निर्णय लिया जाय।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उद्विग्नता को परे रखते हुए, पैशन्स को परे रखते हुए यदि इस प्रश्न को मुख्य मंत्री जी इस ढंग से ले लें तो यह विवाद इस प्रांगण पर समाप्त हो सकता है।

श्री दीपंकर : माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है, वह विथड्रा करने की स्थिति में हो तो मुख्य मंत्री को कहना चाहिये, अन्यथा नहीं कहना चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक मेरा सवाल है, माननीय सदस्य मुझे कन्ट्रोवर्सी में न डालें, न कोई मुझे राय दें। मैं अपनी बात साफ कर दूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम सारी कन्ट्रोवर्सी को समाप्त करते हैं। इस संबंध में मुख्य मंत्री स्पष्ट कर दें कि वह क्या करना चाहते हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : हम आपको निवेदन कर रहे हैं तो फिर कन्ट्रोवर्सी का प्रश्न कहां आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : सदन के कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि मुख्यमंत्री वक्तव्य दें। मैं समझता हूं कि उन पर छोड़ देना चाहिए कि किस स्टेज पर वह अपना वक्तव्य देना चाहते हैं, यह उनकी मर्जी पर छोड़ दें और सदन की कार्यवाही आगे चलाई जाए।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री हरिदेव जोशी : मैं सदन को स्पष्ट कर लूं...

श्री भानुकुमार शास्त्री : सरकार के रूप में आप कन्ट्रोवर्सी का विषय तो बने ही रहेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : बड़ा फर्क है। एक तो डिबेट का जवाब देना है। वह बिल्कुल भिन्न चीज है और दूसरे जब आप मुझसे एक प्रकार से कन्सीलिएटरी रोल की बात कहते हैं उसमें और इसमें बड़ा फर्क है। मेरा कन्सीलिएटरी रोल विदाउट डिबेट ही होगा। उसमें इस सदन को मुझ पर विश्वास करके चलना होगा। अगर एक भी माननीय सदस्य मेरी उस स्थिति को डेमेज करते है तो मेरी तैयारी नहीं पहले स्टेटमेंट देने की, किन्तु यदि आप इन्सिस्ट करते हैं और डिबेट पर उतरते हैं तब सरकार की ओर से उत्तर होगा उस डिबेट का।

कई मा. सदस्य : बिल्कुल ठीक है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : माननीय मुख्य मंत्रीजी संबंधित लोगों को विश्वास में लें, अपने कक्ष में बुलाकर, बातचीत करें और तब तक डिबेट चालू रह सकती है।

श्री **हरिदेव जोशी** : मैं कम्युनिस्ट पार्टी के नेता से निवेदन करूंगा कि अगर आप विश्वास-पूर्वक चलना चाहते हैं तो प्रोसीज्यर और वे सारे तरीके मुझ पर छोड़ दीजिये और अगर उस पर नहीं चलना चाहते है तो चेम्बर में आज लेने देने और बार्गेनिंग की बात थोड़े ही है ? यह इश्यू ऐसा नहीं है, आप उत्तेजना में मत आइए, जिसके अंदर इस पक्ष या उस पक्ष का यह या वह करने की कोशिश करूं। इन्टरस्टेड परसन्स की एक राय हो सकती है, मगर मुझसे एक प्रकार का रोल प्ले करवाना चाहते हैं तो आपको मुझपर छोड़ना होगा, आप अपनी बात को मुझ पर मत डालिये।

श्री **अध्यक्ष** : श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

श्री **जनार्दन सिंह गहलोत** : सोच लें।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : यह माननीय सदस्य सोच रहे हैं।

श्री **अध्यक्ष** (विभिन्न दलों के नेताओं से): आप मेरे चेम्बर में आ जायं।

(कई माननीय सदस्य साथ साथ बोलने लगे)

श्री **केदारनाथ** : मेरा सुझाव है कि···

(1.54 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री **खेतसिंह** : मेरा निवेदन है कि सभी दलों के नेता अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में गए हैं और इस सिलसिले में बात करना चाहते हैं। मैं समझता हूं यदि सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित किया जाए तो अच्छा होगा।

कई माननीय सदस्य : बहुत बढ़िया।

श्री **उपाध्यक्ष** : क्या सदन की अनुमति है कि 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाए ?

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 1.55 बजे स्थगित हुई व पुन म.प 2.16 बजे प्रारम्भ हुई)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अशासकीय संकल्प

राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड–पीठ को जयपुर में स्थापना

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री जनार्दन सिंह गहलोत!

श्री **जनार्दनसिंह गहलोत** : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र के अन्दर विधान सभा के अन्दर माननीय श्री योगेन्द्रनाथ हांडा का हाई कोर्ट की बैंच की जयपुर में स्थापना का जो प्रस्ताव आया था मैं उस पर अपने विचार रख रहा था और उस बीच में ही सत्र समाप्त हो गया। इसलिये अपनी जो बातें बाकी रह गयी थीं उनका अब मुझे जिक्र करना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान हाई कोर्ट की बैंच का प्रश्न पिछले 16 वर्ष से इस बात के लिये पड़ा है कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार इस बात के लिये फैसला करे। इस विधान सभा के अन्दर, सन् 1957 के अन्दर, उस समय की विधान सभा के 176 सदस्यों में से 107 सदस्यों ने राजस्थान सरकार को यह ज्ञापन पेश किया

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
था कि हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में स्थापित की जाय और इसी विधान सभा के 184 माननीय सदस्यों में से 118 सम्माननीय सदस्यों ने राज्य सरकार को अपना ज्ञापन पेश किया कि राजस्थान हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में दी जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम पर जनता के द्वारा चुन कर आये हैं, जनता के द्वारा मत दिये जाने के कारण से हम इस राजस्थान विधान सभा में बैठे हैं और राजस्थान सरकार में भी बैठे हैं · ·

श्री दीपंकर : 118 में से कई लोग इन्कार हो गये हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में निवेदन करना है कि जब राजस्थान विधान सभा के अन्दर हम लोग जनता के नुमाइन्दे बन कर यहां पर आते हैं और राजस्थान की जनता के नुमाइन्दों की नुमाइन्दगी पर ही राजस्थान सरकार और भारत सरकार बनती है। 118 सदस्यों ने अपना ज्ञापन पेश किया तो उत्तरदायित्व इसका राजस्थान सरकार पर आ जाता है कि इस समस्या का निपटारा कोई हल निकाल कर करे। राजस्थान सरकार का सम्बन्ध इस समस्या से सीधा नहीं है तो भारत सरकार को भी, जो भी बात तय करनी हो, बताये, जिससे भारत सरकार और राजस्थान सरकार जन प्रतिनिधियों की भावना को जो ठेस पहुंच रही है और जो 16 वर्ष से इस बात के लिये तरस रहे हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट की बैंच यहां जयपुर में स्थापित हो, उसका फैसला करे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग चाहे यहां पर किसी भी क्षेत्र से चुन कर आये हों किन्तु राजस्थान प्रान्त के 11 जिले ऐसे हैं जिनका सीधा सम्बन्ध हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में स्थापित होने से है ताकि सीधा और सस्ता न्याय प्राप्त कर सकें। 11 जिले हैं, जयपुर, सीकर, सवाई माधोपुर, कोटा, टोंक, अजमेर, झालावाड़, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, बूंदी। इसके अलावा गंगानगर और बीकानेर के लोगों की भी इस सम्बन्ध में पूर्ण सहानुभूति प्राप्त हो रही है कि वह जयपुर के अन्दर सस्ता न्याय प्राप्त कर पायें।

आज हम यह सभी मान कर चलते हैं कि राजस्थान एक पिछड़ा प्रदेश है जहां पर अधिकांश आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के हैं जिनको न्याय प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है। वे इस खर्चे को उठा नहीं सकते।

आज भरतपुर, धौलपुर के गरीब आदमी को न्याय प्राप्त करने के लिये जोधपुर 605 किलो मीटर पर जाना पड़ता है जब कि जयपुर में अगर बैंच हो तो 294 किलो मीटर पर ही उसे न्याय प्राप्त हो जावेगा।

(शोरगुल : अश्रव्य : व्यवधान)

बूंदी से जोधपुर 529 किलो मीटर जाना पड़ता है जब कि जयपुर 250 ही किलो मीटर आना पड़ेगा। यह सब कहने की मेरी मंशा केवल यह है कि गरीब को न्याय सस्ता मिले।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

अब कुछ लोग क्षेत्रीय भावनाओं का उभार कर इस सही मामले को भी दबाना चाहते हैं यह उचित नहीं है। हम जोधपुर डिविजन की प्रगति मन से चाहते हैं। वहां के साथियों से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। वे जो भी भावना रखें राजस्थान के हित की दृष्टि से क्षेत्रीयता की भावना को उभारने की बात न करें। हमारा निश्चित तौर से राजस्थान के नेतृत्व में और राजस्थान के नेता में विश्वास है। पर मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके पीछे बहुत बड़ी भावना इस बात से जुड़ी है कि जो समस्या आज हमारे गरीब काश्तकार, गरीब तबके के लोगों के सामने है उनको सस्ता न्याय मिले। खास तोर से उस स्थिति में जब कि भारत में कई जगह हाई कोर्ट की बेंचें हैं। फिर राजस्थान में ही क्यों नहीं ? जब मध्य प्रदेश में ग्वालियर और इन्दौर में बेंचें हो सकती हैं, महाराष्ट्र में नागपुर में हो सकती है फिर राजस्थान ने ऐसा कौनसा गुनाह किया है। क्या हम सस्ते न्याय के लिये भी अपील नहीं कर सकते ? न्याय के मन्दिर में जाने के लिये आज गरीब जनता तड़प रही है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारी इस मांग पर गम्भीरता से ईमानदारी से जो कि सही माने में गरीब तबके के लोगों की है, ध्यान दिया जाय।

मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे कुछ सम्माननीय सदस्य और विरोधी पक्ष के लोग, जिनमें खास कर जनसंघ के लोग हैं, जनता की भावना उभाड़ने की बात करते हैं। अभी अभी सदन से बाहर श्री गिरधारीलालजी भार्गव अपना भाषण दे रहे थे वे कुछ और कह रहे थे और उनके दल के लीडर और कुछ। कांग्रेस वाले इस भावना के पीछे इस मत के नहीं हैं। वे अनुशासन में रहना चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे दल का यह निर्णय है कि जयपुर में हाई कोर्ट की बेंच आनी चाहिये।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, उनको अलग से मौका दे दीजियेगा। उपाध्यक्ष महोदय, कहा यह जाता है कि गरीब आदमी हाई कोर्ट में नहीं जाता। हम कहते हैं जाने की आदत डालेगा। आज गरीब भी चाहता है कि उसे न्याय मिले। दब कर वह नहीं रहे। पहले बड़े बड़े जमींदार उसका शोषण करते थे और न्याय भी प्राप्त नहीं होने देते थे। इसलिये मैं गरीबों को न्याय प्राप्ति की बात करता हूं। मैं कह रहा था इस बीच में ही गिरधारीलालजी नाराज हो गये थे। हम कांग्रेस में बैठ कर जयपुर में बेंच लाने के लिये जनसंघ से ज्यादा चिन्तित हैं। पर हम अनुशासन में रह कर यह सब करना चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हमने आने से इसे नहीं रोका है, यह कांग्रेस है जिसने रोका है। कांग्रेस शासन में बैठी है और वही रोक रही है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : राजस्थान में हमारी पार्टी के नेता और राजस्थान के मुख्य मंत्री हम सबके नेता है चाहे जोधपुर के हों या जयपुर के हों। उनमें हम सबका विश्वास है। हमारे वे सर्वमान्य नेता हैं। वे

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
इस बारे में भी फैसला करेंगे हमें सब को स्वीकार होगा। हम जनसंघ की तरह नहीं हैं गिरधारीलालजी दरवाजे पर खड़े होकर भाषण में कह देंगे पर यहां और बाहर उनके दल के नेता चुप रहेंगे। वे व्हिप को नहीं मानेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : फिर ये झगड़े ही काहे को होते हैं। आपके नेता कह दें फिर। हाई कोर्ट ले आवें। कौन रोक रहा है आपको ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : यह इसलिये कह रहा हूं कि इस मसले पर आपके गुमानमलजी यहां इस पर क्लोजर मूव करते हैं और आप दरवाजे पर भाषण देते हैं।

(शोरगुल : अश्रव्य)

अब जनसंघ दल ने यह फैसला कर रखा है तो ऐसे नेता क्यों रखे हैं जो अपने दल की बात पर नहीं चले ? मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जयपुर डिविजन के लोगों का धैर्य टूटने लगा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : धैर्य ही नहीं आपकी पार्टी भी टूटने लगी है। धैर्य आप के आदमी ही तोड़ रहे हैं। उनको रास्ते पर लाइये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच आनी चाहिये। जोधपुर के लोगों को कठिनाई अगर है तो हम उनके साथ हैं। डेजर्ट का प्राब्लम हल करने के लिये हम तैयार है उनके विकास में पैसा लगाने को तैयार हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : भीख नहीं मांगते हम आपसे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हमारा हक मांगते हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : हमारी केवल मात्र भावना है। हम आपके विकास में पूरे सहयोगी हैं। हम चाहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र के लोगों को भी न्याय मिल सके। उनकी बात सुनी जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान हाई कोर्ट के अब तक जो न्यायाधीश रहे हैं उनकी भी मान्यता यही रही है कि जयपुर में बैंच आने से कोई परेशानी की बात पैदा नहीं होती। यहां के लोगों को न्याय सुलभ हो सके इसके लिये बच की हम मांग करते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में आज जितने केस पेण्डिग हैं उनमें खास तौर से बहुतायत जयपुर डिविजन के केसों की है। जिसमें से भी केवल जयपुर जिले के 2100 के लगभग केस हैं। इसी प्रकार सीकर के 184, भरतपुर-धौलपुर के 461, सवाई माधोपुर के 176, टोंक के 92, अजमेर के 946, जयपुर 475, झालावाड 150, झुंझनू 160, अलवर 125—9 जिलों के आंकड़े सदन में रखे हैं। आज इतने कैसेज पेन्डिग पड़े हैं कि कैसेज का निपटारा नहीं होता है। रोजाना तारीखें पलटती रहती हैं और उसका नतीजा क्या होता है ? रोजाना आवागमन के लिए ट्रान्सपोर्टेशन की परेशानी रहती है, उसमें काफी कठिनाई होती है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूँ यह गंभीरता की बात है। जयपुर डिविजन के इतने

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

कैसेज हाई कोर्ट में पेन्डिंग पड़े हैं । इन सारी कठिनाइयों के अन्दर जायं, इन सारी गम्भीरता पर जायं और भारत सरकार से इस मामले पर निर्णय करवायें ।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षिप्त में ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : इस अवसर पर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि सम्माननीय सदस्यों को काफी चर्चा करनी है लेकिन राजस्थान जो कि एक बड़ा क्षेत्र है । इसका क्षेत्र मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, इसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है और दूसरी तरफ इसका क्षेत्र गुजरात से लगा हुआ है । काफी विस्तृत क्षेत्र है ।

आज बाड़मेर जिला, जो केरल की स्टेट से ज्यादा है, राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट केरल की स्टेट से ज्यादा है और जब केरल जैसे छोटे से राज्य में दो हाई कोर्ट की बैन्च हो सकती है तो फिर राजस्थान जैसे बड़े प्रान्त में क्यों नहीं ? जनता की बात राजस्थान सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके प्रति गम्भीरता से निवेदन करना चाहता हूं जिस केरल स्टेट से बड़ा हमारे राजस्थान का बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है और उसमें बैन्च है और इधर जयपुर में बैन्च स्थापित नहीं की जाय ? इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात समाप्त करते हुए यह कहना चाहूंगा कि न्याय सस्ता और सुलभ कराने के लिए एक गरीब भी न्याय के लिए खड़ा हो सके और जिसके लिए राजस्थान की जनता 16 साल से सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है और जब उस प्रयत्न की काफी सीमा हो गई है । 16 वर्ष की सीमा काफी हो गई है और आज तक एक चुनौति के रूप में खड़ी है । मैं ज्यादा न कहते हुए माननीय नेता महोदय से यह निवेदन करूंगा आप कोई न कोई हल निकालें चाहे भारत सरकार से सम्बन्धित हो तो भारत सरकार से निर्णय करावें । इतनी बात कह कर समाप्त करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री ।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान जैसे विशाल देश के अन्दर उच्च न्यायालय की बैन्च जयपुर में स्थापित हो, इसके लिए कई वर्षों से यहां विवाद चल रहा है । मैं सोचता हूं हम जिस सस्ते न्याय की बात करते हैं और यह चाहते हैं कि एक जन साधारण व्यक्ति को सस्ता न्याय सुलभ हो तो फिर बैन्च के प्रश्न को एक राजनैतिक पहलू से न देख कर किसी दल की प्रतिष्ठा का प्रश्न न बना कर जयपुर में सस्ता, सुलभ न्याय प्राप्त करने के लिए बैंच खोली जानी चाहिए....

एक माननीय सदस्य : यह जन संघ का निर्णय....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : एक दल के अन्दर भी, उपाध्यक्ष महोदय, मत भिन्नता हो सकती है लेकिन मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा और अच्छा यह होगा कि वे अपनी नीति स्पष्ट कर दें कि राज्य सरकार बैंच लाना चाहती है अथवा नहीं लाना चाहती है, उच्च न्यायालय की बैंच खोलना चाहती है या नहीं खोलना चाहती है । उनको एक स्पष्ट निर्णय दे देना चाहिए । मैं सोचता हूं यदि वे स्वयं को कन्ट्रोवर्सी फिगर

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

नहीं बनाना चाहते हैं और उनका यह ख्याल हो कि मेरा वक्तव्य विवादास्पद है तो फिर भारत की प्रधान मंत्री है, गृह मंत्रालय को आर्बीट्रेटर बनाकर इस मामले पर निर्णय करके एक रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन हमारी सरकार मौन है और दूसरी और जनता का यह मत है कि यहां उच्च न्यायालय की बैंच होनी चाहिए। यह कहना कि कांग्रेस तो चाहती है लेकिन बाहर जाकर जनसंघ भड़काता है और हम उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो मैं कांग्रेस को कहूंगा यह दुरंगी नीति न अपनाये और मत ले लें, व्हिप न अपनायें, आप वोट ले लीजिये। कौन जयपुर में बैंच चाहता है और कौन जयपुर में बैंच नहीं चाहता है। इस विषय को अन्दरूनी मत छोड़ कर और यदि सरकार चाहती है कि यहां बैन्च हो तो उनको वक्तव्य देने में आपत्ति क्या है? अगर इस कन्ट्रोवर्सी में न पड़ना चाहें तो मैं समझता हूँ भारत के वरिष्ठ नेताओं पर इसका कार्यभार छोड़ा जा सकता है लेकिन अनिर्णीत छोड़ कर अधिक विवादास्पद न बनाया जाय कि हमने उच्च न्यायालय की बैन्च, जो कान्स्टीट्यूशनल डिसिजन है, उसमें फैल हो जायेंगे तो मैं समझता हूँ भारत के अन्य भागों में जहां इस प्रकार की बैन्चें हैं–उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है तो क्या वहां के कान्स्टीट्यूशनल में डिफरेन्सेज हो जाते हैं? आज केवल एक प्रश्न कि कान्स्टीट्यूशनल डिफरेन्स हो जायगा इसलिए हम बैन्च न खोलें यह कोई आपका आर्गूमेंट नहीं होगा।

वकील फीस लेता है फिर चाहे वह जयपुर में हो, भारत में हो, भारत की राजधानी दिल्ली में हो वकील कितनी फीस लेगा प्रश्न यह नहीं है लेकिन प्रश्न यह है कि एक आदमी अपनी पेशी पर कितनी बार आता है। आज जयपुर में बैन्च हो तो पूर्वी क्षेत्र वाले व्यक्ति जोधपुर में नहीं जायेंगे। मुझे मालूम है हाई कोर्ट के अन्दर 10–10, 12–12 वर्षों तक कैसेज चलते रहते हैं और केसेज चलाने वाले व्यक्ति दुनियां से चले जाते हैं तब भी उनके कैसेज चलते रहते हैं। यदि हमारी सरकार यह निश्चय कर ले कि गरीबों को सस्ता न्याय देने के लिये बैन्च स्थापित होती है तो मैं समझता हूं सरकार की किसी प्रतिष्ठा या मर्यादा का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। इसके बारे में पहले के जो हमारे मुख्य मंत्री थे, कई विचार व्यक्त किये थे। मैं यह चाहूंगा केवल हटधर्मिता के आधार पर छोड़ कर हम यह चाहें राजस्थान के अन्दर हमने विभाजन कर दिया जोधपुर को हाई कोर्ट, रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में, विधान सभा जयपुर में रख दिया है इस प्रकार के विचार आयेंगे तो इस प्रकार के विचार नहीं आने चाहिये। क्षेत्रीयता का भावना भी नहीं रखी जानी चाहिये। जयपुर हमारा है, अजमेर हमारा है, उदयपुर हमारा है, कोटा हमारा है, सारा भारतवर्ष हमारा है। यह क्षेत्रीयता की भावना मैं समझता हूं उचित नहीं है। कोई किसी का कुछ अहित नहीं होता है। आज जोधपुर के एक दरवाजे से निकल कर दूसरे कमरे में आकर यहां बैठते हैं तो यह तो नहीं कह सकते हैं कि मेरा घर छोड़ दिया, यह सारा भारतवर्ष हमारा घर है। हम अपनी व्यवस्था से और अपने हिसाब से अपने घर को सुन्दर और व्यवस्थित करते हैं। अब सुन्दर और व्यवस्थित बनाने के लिये इसे कहां रखा जाय जिससे गरीबों को सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त हो सके और

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

यदि जयपुर में गरीब जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है तो यहां रखने में कौनसी आपत्ति है ? यदि जयपुर के अन्दर बैन्च स्थापित की जाय तो मैं समझता हूं इसमें कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है मैं राज्य सरकार से पुनः निवेदन करता हूं अधिक समय न लेता हुआ यही कहूंगा कि राज्य सकार स्पष्ट निर्णय सामने रखे और नहीं रखती है तो यह विवाद अनिश्चित काल तक चलता रहेगा और कोई खून खराबा हो सकता है। आज कई जगह डिमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। अगर राज्य सरकार की नीति साफ है तो राज्य सरकार को चाहिये कि एक स्पष्ट घोषणा करें। मैं चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी जो अपनी स्पष्ट नीति रखते हैं वह सदन में रखें। यदि कोई विवादास्पद विषय नहीं बनना चाहते हैं तो किसी पर छोड़ दें यह निर्णय किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन !

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी अवसर प्रदान करें।

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते थे कि इस मोशन के मूवर में हमारा नाम था उस आर्डर में लेंगे या किस तरह से लेंगे ?

श्री दीपंकर : दोनों ही पक्षों को सुनना चाहिए। पूर्वी क्षेत्र के लोगों द्वारा एक ही बात कही जाये और दूसरे साइड की नहीं सुनें तो यह उनके साथ में न्याय नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री रामकिशन।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपका अंत ही अंत में बोलना, बहुत अच्छा रहेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जो जानकारी चाही है वह इतनी चाही है कि जो नाम ले रहे हैं और गये समय में मूवर थे उसके आधार पर ले रहे हैं या कैसे ले रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : पार्टी मेम्बर्स के आधार पर।

श्री रामकिशन !

श्री **रामकिशन** (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच स्थापित हो इसके लिए अगर राजस्थान में कहीं विवाद होता है तो इस सदन के लिए चिन्ता का कारण है। उपाध्यक्ष महोदय, कौन नहीं चाहेगा कि अपने प्रदेश का विकास न हो, यह कौन नहीं चाहेगा कि वहां के नागरिकों के लिये जो जिन्दगी की साधारण सुविधा है वह नहीं मिलनी चाहिये और यह कौन नहीं चाहेगा कि जोधपुर, बाड़मेर या जैसलमेर क्षेत्र का विकास नहीं हो। यहां विवाद जैसलमेर का नहीं है, बाड़मेर का नहीं है, या जोधपुर का नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां सवाल केवल इतना सा है कि है कि राजस्थान के इस अन्चल में काफी बड़ी आबादी रहती है और जोधपुर जाने में जो खर्चा होता है और कष्ट होता है उसको किसी प्रकार से कम कर दिया जाये। क्या जोधपुर का कोई माननीय सदस्य यह कहने की स्थिति में है कि पूर्वी क्षेत्र के लोगों के लिये हमेशा कष्ट में रहना जरूरी है। अगर ऐसी उनकी भावनायें हैं तब तो मैं समझता हूं कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे दृष्टिकोण को उन्होंने नहीं समझा।

श्री दीपंकर : (अश्रव्य)

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, इनको रोक दिया जाये। या तो माननीय सदस्य व्यवस्था सीखें नहीं तो मैं बोलना बन्द कर दूंगा।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने पक्ष को सही ढंग से नहीं रख पा रहे हैं। हमारी यह कतई भावना नहीं है कि जोधपुर का महत्व कम हो जाये। हमारी यह कल्पना भी नहीं हो सकती कि किसी प्रकार से एक बैंच के फैसले में कहीं विरोधाभास हो जाये। जो तर्क दिया जाता है जोधपुर से आने वाले सम्भाग के माननीय सदस्यों की तरफ से उसमें आम तौर से दो बातें कही जाती हैं। अगर खण्डपीठ यहां रहेगी और मुख्य पीठ वहां रहेगी तो दोनों के फैसले में विरोधाभास हो सकता है। यह तर्क अपने आप में बहुत कमजोर है। आखिर वहां भी तो खण्डपीठ बनी हुई है और जोधपुर में भी अलग अलग बैंच फैसला करती हैं। क्या उनके फैसले एक दूसरे के विपरीत नही होते। तो जोधपुर के माननीय सदस्यों का यह कहना है कि कोई इस तरह की कानूनी दिक्कत पैदा हो जायेगी उसमें तो ज्यादा दम नहीं है। अब सवाल रहता है जोधपुर का महत्व कम नहीं हो। तो जोधपुर का महत्व न तो हाई कोर्ट के रहने से है और न हाई कोर्ट के एक हिस्से को बैंच बना दें और जयपुर में उसको स्थापित करदें उससे है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे राज्य का सम्पूर्ण विकास कैसे हो। अगर जोधपुर के माननीय सदस्य अपना रुख सख्त रखेंगे तो पूर्वी अंचल के लोग भी अपना रुख सख्त रखते हुए चले जायेंगे और वह निरन्तर मांग करेंगे कि बहुत बड़ी आबादी जो कि ज्यादा राजस्व देती है लेकिन उनका योजना में बहुत कम हिस्सा है, इसके लिए निरन्तर मांग बढ़ती चली जायेगी उससे आगे चल कर ज्यादातर नुकसान जोधपुर सम्भाग का ही होगा। इस संबंध में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आंध्र और तेलंगाना का विवाद क्या था दोनों ज़गह के एक भाषाभाषी लोग, एक ही संस्कृति के लोग हैं लेकिन उनकी स्थिति केवल यह थी कि तेलंगाना में विकास की दर कम थी, लोगों को न्याय नहीं मिलता था, रोजगार नहीं मिलता था और तेलंगाना का राजस्व और आबादी ज्यादा होने के बावजूद भी····

श्री दीपंकर : पंडित जी आप ऐसी बात कह रहे हैं कि राजस्थान में पूर्वी क्षेत्र अलग बनाने की मांग को बल मिले।····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामकिशन : उनको उनका हिस्सा नहीं मिलता था। इसलिए ऐसी स्थिति पैदा होती है तो इसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी जो कि सही पक्ष को सुनना नहीं चाहते। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा खास तौर से निवेदन यह है कि यहां खण्डपीठ की मांग की जा रही है और अभी सम्पूर्ण हाई कोर्ट को लाने की बात नहीं की जा रही है और जब खण्डपीठ को लाने की बात की जा रही है तो यह कोई नयी मांग नहीं है। हम चाहते हैं कि राजस्थान के निर्माण की स्थिति को हम देखें।

(श्री रामकिशन)

जब उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का निर्माण हुआ था तो अलग अलग रियासतें थीं। कोटा में हाई कोर्ट था भरतपुर में हाई कोर्ट था, जयपुर में हाई कोर्ट था और उदयपुर में हाई कोर्ट था। जब सारे राजस्थान का निर्माण हुआ तब भी कई हाई कोर्ट्स और उनकी बैंच अलग अलग चलतीं रहीं। जयपुर में भी काफी समय तक चलती रही लेकिन जब अजमेर का मर्जर हुआ और कमेटी बैठी कि राजधानी कहां रहे, हाई कोर्ट कहां रहे। इस सारी बात की रिपोर्ट की गयी तो उसमें एक लाइन कह दी गयी कि हाई कोर्ट एक ही जगह हो। उसको मानना बहुत जरूरी नहीं था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता कि अन्य राज्यों में भी हाई कोर्ट की बैंच हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी अभी अभी उत्तर प्रदेश के दौरे से आये हैं और हम भी आये हैं। वहां के चुनाव घोषणा पत्र को देखें तो उसमें भी न्याय को डीसेन्ट्रेलाइज करने की कोशिश है। यह तो तय हो गया है कि हाई कोर्ट की बैंच लानी है। झगड़ा यह है कि वह मेरठ में हो या आगरा में हो। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बढ़िया रास्ता यह होगा कि सदन के नेता श्री जोशीजी एक कार्यकर्ता भी हैं, मैं केवल मुख्य मंत्रीजी की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूं बल्कि सम्पूर्ण राजस्थान की भलाई के लिए बात कर रहा हूं कि वह सदन की भावनाओं को समझ कर कोई प्रभावशाली कदम उठायें जिसमें जोधपुर के लोगों की भावनाओं की कद्र रहे और पूर्वी क्षेत्र के लोगों की भावनाओं की भी कद्र रहे और इस सम्भाग के लोगों को जो आर्थिक कठिनाई है, लोगों को धौलपुर और करौली से जाना पड़ता है। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि करौली का केवल एक ही मामला है। तो इससे ही मालूम पड़ता है कि करौली के लोग क्यों नहीं जा पाते हैं।

श्री मोहनराज : करौली का एक ही मामला है इससे ही मालूम पड़ता है कि कोई केस नहीं है।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आप वकील हैं और आपका दिमाग वकीलों की तरह चलता है। उसका कारण केवल यह है कि आर्थिक कठिनाइयों की वजह से लोग धौलपुर, करौली और भरतपुर से जाने की स्थिति में नहीं है और जब पैसे की वजह से नहीं जा पाते हैं तो राज्य सरकार को प्रावधान करना चाहिए, एक गारन्टी देनी चाहिए कि जिन लोगों के कैसेज हाई कोर्ट में जायें और जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण से जोधपुर नहीं पहुंच पाते हैं उनको आर्थिक रूप से सरकार कम्पन्सेट करे। अगर ऐसा होता है तो मुझे दिक्कत नहीं है फिर जोधपुर के बजाय आप चाहे हाई कोर्ट शिलांग में ले जायें। कहीं भी रख दें लेकिन राज्य सरकार की परिस्थिति ऐसी नहीं हैं कि राज्य सरकार सारा खर्चा बरदास्त कर ले। तो फिर बस यह एक ही तरीका रह जाता है कि हम शक्ति चाहे न्याय की हो चाहे प्रशासन की हो हम डीसेन्ट्रेलाइज करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करूंगा कि जो आपके दल का दर्शन है वह लोकतांत्रिक समाजवाद का दर्शन

(श्री रामकिशन)
बन चुका है और इसमें सत्ता आर्थिक शक्ति, न्याय प्रशासन की सारी शक्ति का विकेन्द्रीकरण लाजिमी है। या तो आप अपने दल के प्रति निष्ठावान नहीं हैं या फिर आपने दर्शन को समझा नहीं है···

श्री दीपंकर : हम सब समझते हैं पण्डितजी। यह क्या कहना चाहते हैं···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दीपंकरजी की खोपडी में घुस गया है कीडा।

श्री रामकिशन :····मैं कहना चाह रहा था कि सारे सवाल पर सदन के माननीय सदस्य कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे कहीं कटुता भी नहीं आये और यहां जनता के लिए भी न्याय मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में कई तरह के तरीके निकाले जा सकते हैं। एक तरीका यह हो सकता है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शर्त लगाई कि मैं बीच में जा सकता हूं लेकिन सम्पूर्ण सदन की स्वीकृति से। मैं समझता हूं कि इसमें हमें दिक्कत नहीं है क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी जो सोचेंगे वह सारे राज्य के कल्याण की दृष्टि से सोचेंगे। और कहीं प्राइम मिनिस्टर का सवाल है तो प्राइम मिनिस्टर के नाम से तो अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है लेकिन यह सवाल ऐसा नहीं है। यह सवाल दूसरे ढंग का है हम सदन के सभी माननीय सदस्य मैं समझता हूं कि चर्चा कर लें, विचार कर लें। हम इस राय के हैं अगर मुख्य मंत्रीजी इस संबंध में रास्ता निकाल सकते हैं तो हमें आपत्ति नहीं है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से जोधपुर सम्भाग के माननीय सदस्यों से एक ही निवेदन करूंगा कि इस मामले पर ठण्डे दिमाग से सोचें और अगर ठण्डे ढंग से नहीं सोचा और राजस्थान में ऐसी स्थितियां पैदा हो गई तो उसके लिए इधर के लोगों पर जिम्मेदारी नहीं होगी बल्कि उधर के लोगों पर होगी।···

श्री निरंजननाथ आचार्य: ओन पोइन्ट आफ आर्डर सर।·····ओन ए पोइन्ट आफ इन्फार्मेशन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, यह प्रश्न मुख्य मंत्रीजी पर छोड दिया जाना चाहिए। उस वक्त विचार विनिमय चल रहा था और अब भी माननीय सदस्य अपने विचार रख रहे हैं। मैं समझता हूं और मेरा विश्वास है कि जिन माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है वह दल अपनी सहमति प्रगट करने की स्थिति में है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर वाद-विवाद इस सदन के प्रांगण पर न हो और माननीय मुख्य मंत्रीजी पर इस प्रश्न को छोड दिया जावे ऐसी इस सदन में सहमति प्रकट कर दी जावे तो कई बातों से वंचित रह सकेंगे वाद-विवाद के सम्बन्ध में।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तकरीर करने से पहले···

श्री उपाध्यक्ष : आप तो स्वयं विधिवेता हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कौने से नियम में बोल रहे हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं तो जो आचार्य साहब की तकलीफ है उसी को सपोर्ट करते हुए कुछ अपना मत बताते हुए तकरीर

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
करूंगा और तकरीर करने से पहले गुजारिश करना चाहूंगा ··

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि आप स्वयं विधिवेत्ता हैं, मैंने आपसे नियम पूछा है कि कौन से नियम से बोल रहे हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं यही नियम है और इसी नियम में तकरीर करूंगा। मैं गुजारिश यह करना चाहता हूं ··

श्री उपाध्यक्ष : तकरीर का तो मैंने मौका दिया नहीं है अभी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप चाहें जब मौका दे दीजिए मेरी रिक्वेस्ट साफ है। मुझे यह इन्फार्मेशन कम्यूनिकेट हुई है और इसको आप पोइन्ट आफ इन्फार्मेशन ही समझ लें, मेरी गुजारिश यह थी कि जो आचार्य साहब ने बात रखी है, वह प्रश्न इस किस्म का है जिसमें खांमखां कोई तफरीह पैदा हो यह हमारा अपोजीशन दल उसको पसन्द नहीं करता है। हम यह समझते हैं कि राजस्थान एक यूनिट है और जो ताकतें इस किस्म की बात करती हैं और तोड फोड और टुकड़ों में बंटने की बात करती हैं हव उनको नफरत की नजर से देखते हैं। हम इसको कण्डेम करते हैं और हमारी मान्यता है कि···

श्री उपाध्यक्ष : यह भाषण की तारीफ में आता है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : तो मैं आपसे मुख्तसिर में अर्ज कर दूं कि यह मेरे पार्टी की ओर से जोरिल्यूशन है और इसलिए मैं यह गुजारिश किया चाहता हूं···

श्री उपाध्यक्ष : पार्टी की तरफ से कोई रिजोयूल्यूशन नहीं है मेरे पास।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हांडा सहाब ने रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य हांडा साहब की तरफ से है, पार्टी की तरफ से नहीं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वह हमारी पार्टी का ही नजरिया है मेरी गुजारिश यह है कि अगर वह मुख्य मंत्रीजी कुछ इस किस्म की बात फरमा दें कि वे इस मामले को सेंट्रल गवर्नमेंट को···

श्री दीपंकर : कण्डीशन इम्पोज कर रहे हैं···

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरी समझ में नहीं आता कि दिमाग का पारा ठीक क्यों नहीं रहता है···

श्री दीपंकर : मेरा पारा तो ठीक ही रहता है आप अपना देखें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ बर्फ की थैलियां रखिए जिससे ज्योंहीं किसी माननीय सदस्य को गुस्सा आए उस पर बर्फ रख दिया जावे।

(व्यवधान–अश्रव्य)

मैं सही सही बात रख रहा हूं उसको आप सुन लीजिए यह दूसरी बात है कि वह मंजूर

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

हो या न हों। मेरा सुझाव है माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि अगर मुख्य मंत्रीजी इस किस्म की बात सदन को फरमा दें कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट पर छोडने को तैयार हैं प्राइम मिनिस्टर पर छोडने को तैयार हैं। हम रिजोल्यूशन को प्रेस नही करना चाहते हैं तो इसको प्रेस करने से विवाद बढेगा और ख्वाम-ख्वाह रंजिश पैदा होगी इसलिए मेरी गुजारिश है कि मुख्य मंत्रीजी इस किस्म का कोई विश्वास दिला दें सदन में ताकि हम इसको विथ्ड्रा कर सकें। यह इन्फार्मेशन जो,·····

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, अब तो मामला ही बदल गया। अगर रिजोल्यूशन के मूवर माननीय मुख्य मंत्रीजी के किसी बयान पर वापस लेना चाहते हों तो हम समझते हैं कि सदन के अन्य माननीय सदस्यों को भी आपत्ति नहीं है। हम लोगों ने भी चर्चा की थी और अगर मुख्य मंत्रीजी इस बारे में कुछ कहते हैं तो मैं समझता हूं कि मैं ही क्यों बोलूं आगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बोल ही रहे हैं।

(व्यवधान–शोरगुल–अश्रव्य)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : बर्फ की थैली मंगाई जाय आपके लिए।

श्री दीपंकर: आपको तो देरी से समझ में आई बात, आपके लिए ही पहले चाहिए बर्फ की थैली।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामकिशन : मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं उसको मैं आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हूं और जिन माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव मूव किया है उन्हीं के दल के माननीय सदस्य ने यह सूचना दी है कि वह मुख्य मंत्रीजी पर इस मामले को छोड़ना चाहते हैं। इसलिए मैं भी इस भावना के साथ कि मुख्य मंत्रीजी पर इस मामले को छोडने से राजस्थान का सम्पूर्ण हित होता हो, हमें भी इसमें आपत्ति नहीं है और इसलिए मैं भी इस शर्त के साथ कि माननीय मुख्य मंत्रीजी कुछ कहेंगे, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : मैंने जो निवेदन किया था उसके ऊपर ऐसा लगता है कि माननीय सदस्यों ने गौर नहीं फरमाया। मैंने यह निवेदन किया था कि मेरे ऊपर कोई कण्डीशन हो कि मैं यों कहूं या यों कहूं ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री रामकिशन : कंडीशन कुछ नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : और दूसरी चीज मेरी यह थी कि हाउस यूनानिमसली इसको मुझे कहता हो तो ही मैं कहूंगा।

श्री फूलचन्द जैन : आप जो कुछ भी वक्तव्य दें इस सदन के अन्दर उसके बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : यही मेरा मकसद है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह देख लीजिए कि दीपंकरजी आपके भाषण के बीच में नहीं बोलेंगे और बाद में भी नहीं बोलेंगे।

श्री दीपंकर : हम तो हमारे नेता महोदय के इशारे पर खड़े रहने वाले हैं। ये तो हमारे नेता हैं, इसमें आपको संदेह क्यों हो रहा है ?

(व्यवधान--अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामकिशन : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ...

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामकिशन : माननीय दीपंकर ने कहा कि हम नेता के इशारे पर खड़े रहते हैं और उनके इशारे पर बैठ सकते हैं। तो वे बीच बीच में खड़े होते हैं तो क्या वह भी इन्हीं के इशारे पर खड़े होते हैं।

श्री दीपंकर : जो बात होती है वह पोइन्ट आउट करनी पड़ती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता महोदय।

श्री हरिदेव जोशी : जो स्थिति मैंने कही है वह आप पूछ लीजिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने सदन के माननीय सदस्यों से जो इस हाई कोर्ट की बैंच के प्रश्न के पक्ष या विपक्ष, दोनों के बारे में विचार कर रहे हैं, मैंने उनकी भावना को जानने की कोशिश की है और उन सब से यह निवेदन किया है कि इस मामले को हाई कोर्ट के मामले को, बैंच के मामले को सेंट्रल गवर्नमेण्ट या प्राइम मिनिस्टर पर छोड़ दिया जाय और इस कण्ट्रोवर्सी को यहां पर नहीं बढ़ाया जाय। मैं समझता हूँ कि पक्ष और विपक्ष के लोगों ने इस बात को समझा है प्रान्त के हित में और उन्होंने यह माना है कि प्रान्त के हित में होगा यदि ऐसा कर दिया जाय, यह बहुत उचित है। इस भावना को हमारे साथी ने व्यक्त किया इस भावना के साथ कि हम भी इस कण्ट्रोवर्सी को बढाना नहीं चाहते।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का अत्यन्त ही कृतज्ञ हूं और भाव विह्वल हूं कि उन्होंने एक अत्यन्त ही जटिल स्थिति के समाधान के लिये एक बहुत ही समाधान कारक और कन्स-ट्रक्टिव रुख अख्तियार किया है। माननीय सदस्यों के इस रुख के लिये मैं अपनी ओर से और राज्य सरकार की ओर से कृतज्ञता प्रगट करता हूं। मैं यह सब इसलिये कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज मैं इस देश में क्या हो रहा है इसको आप और हम सब देख रहे हैं। इस देश में अपना विरोध प्रकट करने के लिए और पार्टी के हितों को साधने के लिए कहीं गवर्नर के हाथ से उसकी स्पीच की किताब छीनी जाती है। किसी जगह पर गवर्नर का घेराव किया जाता है। किसी जगह पर हिंसा का वातावरण उभारा जाता है। कहीं पर क्या हो रहा है, कहीं पर क्या हो रहा है। मैं किसी के साथ में, किसी दूसरे प्रान्त के बारे में कोई दूसरी बात नहीं कहना चाहता मगर आज राजस्थान भारत के अन्य प्रान्तों के लिये, आज राजस्थान की कांग्रेस पार्टी भारत की अन्य कांग्रेस पार्टियों के लिये, आज राजस्थान का विरोधी पक्ष, भारत के दूसरे विरोधी पक्ष के लिए एक उदाहरण के रूप में सामने आकर खड़ा

(श्री हरिदेव जोशी)

हुआ है। जिस देश में आज यह महसूस किया जा रहा हो कि इन स्थितियों में पालियामेन्टरी डेमोक्रेसी जीवित नहीं रहेगी अथवा जीवित रहेगी? क्या इसके लिए कहीं कोई खतरा तो पैदा नहीं होगा। जहां इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो गई हों और विचार गंभीरतापूर्वक चलते होंगे वहां पर राजस्थान की विधान सभा ने सर्व सम्मति से इस प्रश्न को आज अपने बीच में क्लोज करने और किसी तीसरी शक्ति के ऊपर छोड़ने का जो फैसला किया मैं उनके इस निर्णय के प्रति नत-नतमस्तक होता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र के मायने में मेरी राय सर्वोपरि हो, यह हरगिज नहीं हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा प्रचन्ड भी अगर एक व्यक्ति की आवाज को नहीं सुनना चाहता है तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि वह-प्रजातन्त्र नहीं है। प्रजातन्त्र के अन्दर अंधेरे कौने में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको उच्च सिंहासन में बैठने वाला व्यक्ति कान खोल कर सुने तो उस अन्धेरे कौने में बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को संरक्षण में लाया जायेगा, यह कहा जा सकता है और इसीलिये हम इस प्रजातन्त्र के अन्दर विश्वास करते हैं, उनका यह कर्तव्य हो जाता है, यह धर्म हो जाता है कि हम दूसरे पक्ष को अगर वह यह विश्वास करता है, यह महसूस करता है कि मेरी उपेक्षा हो रही है, या उपेक्षा की जा रही है तो हम उसे अधिक समय दें और अधिक धैर्यपूर्वक सुनें और उसकी बात को समझने की कोशिश करें। जो लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसा लगता है कि परोक्ष में वे प्रजातन्त्र की जड़ों को कमजोर करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : (कुछ सदस्यों द्वारा आपस में वार्ता करते रहने पर) माननीय सदस्य शांत रहें।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रश्न यह है कि राजस्थाना के यूनिफाइड हाई कोर्ट के प्रश्न को फिर से विचारा जाये और हाईकोर्ट की बैन्च जयपुर के अन्दर स्थापित की जाये। एक लम्बा इतिहास है इस बात का मेरे को उस लम्बे इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न केवल इतना है कि यहां पर हाई कोर्ट की बैन्च होनी चाहिये अथवा नहीं होनी चाहिये। एक पक्ष यह मानता है कि ला कमीशन ने यह फैसला किया कि यूनिफाइड हाई कोर्ट होनी चाहिये। दूसरा पक्ष यह कहता है कि फैसले को लिवाने में कुछ पक्ष है...

(सांय 3.04 बजे)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

अमुक लोगों ने यह कहा कि यूनिफाईड कोर्ट ही ठीक है। यह होना चाहिये और बैन्चेज नहीं होनी चाहिये। फिर पक्ष यह आता है कि राजस्थान के इस अंचल में अत्यन्त असुविधा पैदा हो रही है। उस असुविधा का समाधान किया जाना चाहिये। अब इस प्रश्न का फैसला दो-तीन तरीके से हो सकता है या तो यह हो कि हम विवाद को अत्यन्त ही उग्र कर दें और राज्य सरकार को और भारत सरकार को मजबूर करदें। दूसरा प्रश्न यह हो सकता है कि हम बुद्धि से काम लें, सही प्रजातान्त्रिक तरीकों को अख्तियार करें और अगर हम कोई तरीका स्वयं निकाल सकते हैं तो हम निकालें और अगर यह नहीं हो सकता है, अगर हम अपने आपको

(श्री हरिदेव जोशी)

अशक्त अथवा असमर्थ समझते हैं कि हम इधर का फैसला करते हैं तो वे नाराज होते हैं और उधर का फैसला करते हैं तो वे नाराज होते हैं और उसका फैसला करते हैं तो वे नाराज होते हैं। तब विवेक का तकाजा यह है कि हम जिन्हें तटस्थ समझते हैं वे इसका फैसला करदें और हम उसे शिरोधार्य कर लें। इस सदन ने आज यह फैसला किया। कान्स्टीट्यूशनल पोजीशन भी, अध्यक्ष महोदय यही है। राज्य सरकार ने यहां से बैन्च उठाने का फैसला नहीं किया था। ला कमीशन के फैसले को एक प्रकार से एक्जीक्यूट किया था अगर वह समय आ गया है कि इस फैसले के ऊपर पुनः विचार किया जाये तो भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस बारे में फैसला करेगी।

अध्यक्ष महोदय, जब जयपुर में किसी प्रकार की गतिविधियां शुरू होती हैं बैन्च को यहां लाने के बाबत में यहां पर कभी प्रदर्शन होता है, यहां पर कभी डेपूटेशन आते हैं तो उसकी नैचरल कलोरली यह है कि जोधपुर के अन्दर उसके सिम्पेथेटिक रिएक्शन होते हैं और वहां पर भी इसी प्रकार के प्रदर्शन, मेमोरेन्डम और क्रियाएं प्रक्रियां शुरू होती है। हमारे यहां पर लोगों का मुंह बद नहीं है। अखबारों के मुंह बन्द नहीं है। तब स्थितियां यह होती है कि जो लोग विवेक नहीं रखते हैं वे बाज मरतबा अविवेकपूर्ण कार्यवाही कर दिया करते हैं। अभी यहां से एक माननीय मंत्री महोदय जोधपुर गये थे। जोधपुर में उनका घेराव हुआ, उनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ। ये स्थितियां यहां पर भी हो सकती हैं, वहां पर भी हो सकती है। बात यह है कि आज देश में जिस प्रकार का तनाव है। इस तनाव भरे वातावरण के अन्दर हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वह कितनी ही निष्ठा से क्यों न करते हों, मगर उसको एक्सप्लाइट किया जाता है गलत तत्वों के द्वारा। इसलिए आज जो इस सदन ने फैसला किया है कि हम इसे भारत सरकार पर छोड़ते हैं, मैं इसे अत्यन्त ही विवेकपूर्ण फैसला मानता हूं। बाज मर्तबा हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं। और इस देश ने देखा कि हमारा छोटा सा काम कितना बड़ा अहित कर सकता है। हम किसी क्षेत्र के विकास के लिए नारा खड़ा कर सकते हैं। मगर 5 वर्ष बाद वह नारा क्या रूप ले लेगा, इसको कोई नहीं जानता। जिस समय भारत विभाजन, जिस समय पाकिस्तान की मांग की गई थी तो उस समय इसके अन्दर कितना विष भरा हुआ है, इसकी कल्पना किसी को नहीं थी। मगर जब वह फोड़ा फूट कर मवाद निकला तो इस चीज की आज कल्पना की जा सकती है। इसलिए बाज मर्तबा कुछ लोग चाहें अपने आप को आगे लाने के लिए कुछ अमुक लोगों के हित के लिए, बहुत ही शुभनिष्ठा-पूर्वक काम करते हैं। तो हम कहीं उसके पीछे क्या अल्टीरियर मोटिव हैं, मैं ऐसा तो नहीं कहता हूँ। लेकिन यह हमेशा सोच लेना चाहिये कि हमारे काम से हमारे पड़ोसी जिले या प्रान्त को नुकसान तो नहीं होता है। यह बहुत मुमकिन है। हमारी भावनाओं में कुछ चीजों के भ्रम हैं। जैसा कि जो जयपुर में हाई कोर्ट की बैन्च के मसले पर है। संयम रख कर ही कुछ होता है। यह मेरी दृढ़ मान्यता है। आज आंध्र और तेलंगाना का प्रश्न ले लीजिये। कितना खून खराबा हुआ है। कितना ध्वंस हुआ है। लेकिन क्या मिल पाया। तो इस सारी पृष्ठ भूमि में, इसलिए मैं माननीय सदस्यों को

(श्री हरिदेव जोशी)

धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। पुनः पुनः इस बात के लिए कि आपने जो फैसला किया है कि इसके ऊपर वादविवाद नहीं होगा और भारत सरकार जो फैसला देगी, उसको मान्यता देंगे। इसके लिए मैं फिर धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री हांडा अपना प्रस्ताव वापिस लेते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारी, माननीय अध्यक्ष महोदय जब हमने यह संकल्प प्रस्तुत किया था उस समय मैंने भी कुछ दिशाओं की ओर संकेत किया था।

श्री अध्यक्ष : फार्मल विड्रावल हैं। आप विथड्रा कर लें।

एक माननीय सदस्य : बोलने से कोई फायदा नहीं है।

एक माननीय सदस्य : अच्छे वातावरण को बिगाड़ना कोई अच्छी बात नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने अधिकार को दो मिनट प्रयोग तो कर लूं।

श्री फूलचन्द जैन : आप पूरा प्रयोग कर सकते हैं। पर उससे कोई लाभ नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैंने अध्यक्ष महोदय, जयपुर हाई कोर्ट की बैंच के प्रश्न पर इसने कुछ ऐसी दिशा ले ली है। जिससे कि रीजनलिज्म और सेक्टरेजिम का प्रश्न बने। जैसाकि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा कि जो आज अच्छे वातावरण को माननीय सदस्यों को मिल जुल कर बनाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस वातावरण की ओर मैंने प्रारम्भ में संकेत किया। आज आज चाहे पूर्व राजस्थान का प्रश्न हो चाहें पश्चिम राजस्थान का प्रश्न हो। मैंने यह कहा था कि हाई कोर्ट की बैंच के प्रश्न को ऐसी शक्तियों और पार्टियों को देते हैं तो वह इसको प्रयोग में लाते हैं तो यह उचित नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, यही सबसे अच्छा मार्ग हो सकता है कि हम जो कोई वाद-विवाद है, दोनों पक्षों की जो दिलचस्पी है। तो इस राजनीति से सारे राजस्थान को बचाते हुये और जो बंटवारे की राजनीति, रीजनलिज्म की राजनीति, इम्बेलेंस की राजनीति और ऐसे तत्वों को प्रोत्साहित करें तो सबसे अच्छा यही एक रास्ता हो सकता है कि हम किसी तीसरी शक्ति को यह अधिकार दे दें। जैसा वह फैसला करें वह हमें मान्य हो। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह जो प्रस्ताव रखा गया है हाई कोर्ट की जयपुर बैंच के प्रश्न को भारत सरकार पर छोड़ा जाये। यह उचित हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री फूलचन्द जैन : क्यों लम्बा करते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : फार्मल विथड्रावल कर लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इसलिए मैं यह सबसे अधिक श्रेष्ठ बात मानता हूं

Page No 80

(८०)

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

यह पिछली बार भी मूव किया गया था। आज भी मैं इस बात पर प्रसन्न हूं कि सदन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। मैं इसके पक्ष में अपने को समर्पित करता हूं। मैं अपने संकल्प को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है कि जो प्रस्ताव सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने रखा था, उसे वापिस लेना चाहते हैं, वापिस लेने की स्वीकृति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं निवेदन करता हूं कि यह जो प्रस्ताव ...

श्री हरिदेव जोशी : यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : दूसरा संकल्प।

श्री पी. के. चौधरी।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, दूसरा संकल्प प्रस्तुत करें। इस बारे में मेरा एक निवेदन है कि यह प्रस्ताव भी ऐसा है कि जिसके परिप्रेक्ष्य में हम मिल रहे हैं। तो यहां पर कोई यह कहे कि हमारे यहां यह कमी है। दूसरा कहे हमारे यहां यह कमी है। माननीय सदस्य मुझे सुन लें तो मैं थोड़ा सा निवेदन करूं।

(कुछ माननीय सदस्यों के आपसी बातचीत करने से व्यवधान होने पर)

डेजर्ट डेवलपमेन्ट की बात समय समय पर आ जाती है। हरिजनों और आदिवासियों की बात भी समय समय पर कही जाती है। तो समझ में आता है लेकिन अगर किसी अमुक रीजन की बात करें तो एक दूसरे में प्रतिक्रिया पैदा होती है।

थोड़े दिनों पहले एक स्थान पर इसके बारे में चर्चा हुई थी। मैंने वहां भी जो भी भाई बैठे थे, उनको यह विश्वास दिलाया कि हमारे मन में किसी भी रीजन को पीछे रखने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। राजस्थान का अगर ओवर हाल डेवलपमेन्ट करते हैं तो हमें प्रतिष्ठा मिलती है और अगर राजस्थान का कोई हिस्सा यह महसूस करता है कि हम को पीछे रखा जा रहा है, कोई भाई यह कहे कि हमें जानबूझ कर पीछे रखा जा रहा है। तो निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन की निन्दा है। यह अशोभनीय बात है। आज हालात यह हैं कि आज एक जगह तनाव को लेकर बात होती है तो उसका रियेक्शन दूसरे स्थान पर होता है। और वहां पर कोई न कोई प्रदर्शन होता है, उस प्रदर्शन पर पुलिस को लाठी चलानी पड़ी, किसी विद्यार्थी के लाठी से चोट लग गई। तो नेचरल कोरोलेरी, विद्यार्थी खड़े हो जायेंगे। फिर सवाल यह आयेगा कि विद्यार्थियों पर अन्याय हो गया। पुलिस अधिकारी को सस्पेन्ड किया जाय। फिर दुबारा गोली चली। एक गोली चलने पर फिर गोली चली, गोली पर गोली चली। यह स्थिति होगी। हमारे प्रान्त के अन्दर अव्यवस्था पैदा न होवे, आपने इसकी गम्भीरता को

(श्री हरिदेव जोशी)
ध्यान में रख कर एक प्रकार का निर्णय एक उसमें किया है। कहीं कहीं इस प्रकार की बात चलती है इसलिए मैंने यह स्टेटिसटिक्स तैयार करवाये हैं कि किस जिले में कितना खर्चा किस किस चीज पर हुआ है। पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, और एक एक वर्ष की वार्षिक योजना में और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्दर। इसको मैं आप लोगों के विचारार्थ सक्यूंलेट कर सकता हूँ···

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कर दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने प्लानिंग डिपार्टमेंट को आदेश देने का फैसला कर लिया है कि स्टेट एवरेज से ज्यादा जहां कहीं किसी जिले के अन्दर खर्चा हो गया है उसके अन्दर उस मद में काम रोक दिया जाय। जैसे बांसवाड़ा जिले में, मान लीजिये, इलेक्ट्रिसिटी का खर्च, स्टेट एवरेज जो है, उससे ज्यादा बढ़ गया है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पर काम नहीं होवे और रोड्स पर कम काम हुआ है तो रोड्स का प्लान है, वह वहां जारी रहे। इरिगेशन के अन्दर मान लीजिये कि एक जगह पर पूरा हो गया है स्टेट एवरेज तो उसे वहां रोक कर उस पर पुनर्विचार करने के बाद आगे बढ़ाया जावे। इस परिप्रेक्ष्य में मैं निवेदन करूंगा, दूसरा प्रस्ताव भी इनडाइरेक्टली उसी प्रकार का प्रस्ताव है, जिससे एक प्रकार की हीट जनरेट होवे, लोग फिर पूर्व-पश्चिम की बात करें, फिर विवाद करें।

मैंने पी. के. चौधरी से बात की है, मैं अपेक्षा करूंगा कि इस बिन्दु को ध्यान में रख कर वह इस प्रस्ताव को प्रेस न करें।

श्री अध्यक्ष : आप प्रस्ताव को प्रेस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं ?

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री ने यह बात कही है कि डवलपमेंट का वर्क सारे जिलेवार विचार करके इस ढंग से होगा कि सब का इक्वीटेबल डवलपमेंट होगा। इस बात का आश्वासन दिया है, इस परिप्रेक्ष्य में मैं प्रस्ताव को प्रेस नहीं करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : दूसरा संकल्प ! श्री गुमानमल लोढा ?

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है। माननीय गिरधारी लाल व्यास जिस दिन से सदन में आये हैं, तब से आज तक बोले नहीं हैं। मुझे जानकारी यह मिली है, अध्यक्ष महोदय, यह पहले बोलते थे, लेकिन मुख्य मंत्री ने दबा दिया है, उनको वायदा किया है कि टिकट तब ही दिया जायगा जब बोलोगे नहीं। इससे माननीय सदस्य के अधिकार का हनन हो रहा है। यह प्रिविलेज का सवाल है। क्या स्थिति है, इसकी जानकारी हो। जिस दिन से यहां आये हैं, भीलवाड़ा के लोगों को पता नहीं है कि चुनने के बाद यह रहते हैं विधान सभा में या राजस्थान के अन्दर या बाहर—यह जानकारी नहीं है। उनकी चिट्ठियां आती हैं। इसलिए यह जानकारी दी जाय। एक माननीय सदस्य के अधिकार का हनन किया जा रहा है, दबाया जा रहा है या स्वेच्छा से वह नहीं बोल रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कौनसे कानून के अन्तर्गत आप जानकारी चाह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह राठौड़ कानून में है।

श्री शंकरलाल : राठौड़ कानून किसको कहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : जिसका कोई कानून न हो।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसका भाष्य तो खेतसिंह जी कर देंगे।

एक माननीय सदस्य : राठौड़ कानून को तो परसराम जी जानते होंगे, खेतसिंह जी नहीं।

राजस्थान में भारत पाक संघर्ष के संदर्भ में आये हुए सिन्धी शरणार्थियों को राजस्थान में भूमि आवंटन व बसाने की सुविधा

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: "सदन की राय है कि राजस्थान में भारत-पाक संघर्ष में आये हुए सिन्धी शरणार्थियों को राजस्थान में भूमि आवंटन किया जावे व बसाने के लिए सब सुविधायें दी जावें।" यह संकल्प भारत के उन सपूतों से सम्बन्धित हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हमले के समय भारत की सुरक्षा के लिए हिन्दुस्तान की बढ़ती हुई सेनाओं और हिन्दुस्तान के जवानों की सहायता करके अपने जीवन को दांव पर लगाया। अध्यक्ष महोदय, यह सबको विदित है कि 1971 के अन्दर पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और पाकिस्तान के हमला करने के साथ में जहां छम्भ के अन्दर संघर्ष

3·25 बजे

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

हुआ, पंजाब की सीमायें सुलगी। उस समय राजस्थान की सीमाओं के ऊपर भी बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। लोंगेवाला के अन्दर पाकिस्तान के टैंक रातों रात चले आये और हमारे रेगिस्तान के अन्दर, सरहदों के अन्दर बहुत बड़े हिस्से के ऊपर हमारी भारत की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया। सभापति महोदय, कुछ लोग ऐसे थे, उस समय छम्ब के अन्दर, सिन्ध के अन्दर, जिन्होंने भारतीय सेनाओं को इस बात की सूचना दी, कहां सो रहे हो, लोंगेवाला में पाकिस्तान घुस गया है, पाकिस्तान कब्जा कर लेगा। उनका इरादा था, सभापति महोदय, लोंगेवाला से बढ़ कर जैसलमेर के अन्दर जाकर हम अपना नाश्ता करेंगे, और पोकरण के अन्दर अपना लन्च लेंगे और जोधपुर में आकर डिनर करेंगे। यह सिन्धी शरणार्थी, जो आज बाड़मेर जिले के अन्दर आये हुए हैं, इन लोगों ने जान की बाजी लगा कर भारत के जवानों को कहा, कहां सो रहे हो, पाकिस्तान के टैंक बढ़ते आ रहे हैं, लोंगेवाला पर कब्जा हो चुका है, हिन्दुस्तान की सीमाओं पर खतरा पैदा हो गया है। उस समय भारत के सैनिक बन्धुओं ने, भारत के जवानों ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया, लोंगेवाला में पाकिस्तान के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया, भारत का झण्डा वहां से बढ़ कर छाछेड़ तक, सिन्ध के आगे जिलों तक जाकर लहराया। सभापति महोदय, आज उन शरणार्थियों की दुःख भरी कहानी मैं आपको बताऊं, जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया, जिनको सिन्ध छोड़ कर भारत में आना पड़ा। उनका कसूर यह था कि उन्होंने भारत के जवानों की मदद की। उनका अपराध यह था कि भारत का तिरंगा झण्डा छाछेड़ में जाकर लहराया गया। शिमला समझौते के अनुसार उस छाछेड़ को वापिस दे दिया गया सभापति महोदय, आज उन सिन्धी शरणार्थियों की क्या हालत है, एक लाख लोग, सिन्धी शरणार्थी, जो सिन्ध के बोर्डर के ऊपर, गुजरात बाड़मेर और जैसलमेर की सीमाओं के ऊपर पाकिस्तान के हिस्से में रहते थे, को वहां से

(श्री गुमानमल लोढा)

पाकिस्तान की सेनाओं ने खदेड दिया । वे हिन्दुस्तान में आये । हिन्दुस्तान में आने के बाद 1971 से 1974 आ गया, इस तीन साल के लंबे अर्से के गुजर जाने के बाद आज तक वह सिन्धी शरणार्थी बन्धु कैम्पों में हैं, बाड़मेर–जैसलमेर की गर्मी के भयंकर बालू टीबों और घरों की धरती के ऊपर पड़े हैं, जहां मनुष्य पानी के लिए चिल्लाता है, तड़फता है, वहां सिन्धी शरणार्थी, जिन्होंने भारत के लिए अपना जीवन देने का संकल्प किया, आज के दिन पानी के लिए तरस रहे हैं। सभापति महोदय, बार बार इसके लिए हमने निवेदन किया माननीय मुख्य मंत्री महोदय को भी और पुनर्वास मंत्री महोदय को भी कि इन सिन्धी शरणार्थियों को भारत में बसाया जाय, बाड़मेर के अन्दर, जैसलमेर के अन्दर, राजस्थान केनाल के ऊपर, अन्य स्थानों के ऊपर उनको भूमि आवंटित की जाय, उनको यहां पर नागरिकता के अधिकार दिये जायं, उनके बच्चे टीबों के अन्दर पड़े रहें, उनको स्कूलों में एडमिशन नहीं मिले, सभापति महोदय, जब वह विद्यालय में जाते हैं दाखिला लेने के लिए हो उनको धिक्कारा जाता है निकाल दिया जाता है। यह कह कर कि आप हिन्दुस्तान के नागरिक नहीं हैं। स्कूलों में उनको एडमिशन नहीं मिले, नौकरी के लिए जाते हैं, चाहते हैं कि हमें कोई भी नौकरी मिले, चपरासी बनें, क्लर्क बनें, लेकिन महोदय, उनको वहां पर भी टाल दिया जाता है यह कह कर कि हिन्दुस्तान के नागरिक नहीं हो आपको एन्टरटेन कर सकते हैं, नौकरी नहीं दे सकते । इस कारण से उनको नौकरी नहीं मिल सकती, पढ़ाई के लिए व्यवस्था नहीं हैं, नोकरी के लिए व्यवस्था नहीं है, रहने के लिए भूमि खरीद नहीं सकते । इसके अलावा छापे मार मार कर कस्टम के अधिकारियों ने, जो कुछ उनके पास था, उस पर कब्जा कर लिया है यह कह कर कि आप अवैध तरीके से पाकिस्तान से आए हो कपड़े का व्यापार करते थे तो उनके कपड़े पर कब्जा कर लिया । अन्य सामान जो लाए थे जिस समय वे पाकिस्तान से आए तो कस्टम्स विभाग ने कहा कि आप कहां से आए ? उनकी स्थिति आज यह है कि पाकिस्तान के वे दुश्मन भारत के हितैषी, उनको भारत सरकार नागरिकता के अधिकार देकर राजस्थान में बसाने के लिए तैयार नहीं। सभापति महोदय, राज्य सरकार आज उनके साथ में उनके जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रही है । वे तम्बुओं के अन्दर रहते हैं, मैंने चौहटन तहसील में हसानी का दौरा किया था, मैंने देखा कि जो तम्बू लगे हुए हैं, एक एक तम्बू के अन्दर जैसे जानवर रहते हैं, उस प्रकार से उनको वहां फंसाया गया है और वे वहां शांति से अपना जीवन गुजर नहीं कर सकते । उनको वह ज्वार दी जाती है जिसमें दोषी पदार्थ मिला रहता है जिसके कारण से अफीम के डोडे या अन्य चीज साथ में है, जिसके कारण वे सिंधी शरणार्थी खाने के बाद में बीमार हो जाते हैं और वह ज्वार भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है। स्थिति यह है कि आज वे दाने दाने को तरस रहे हैं। भारत के वे लाडले जिन्होंने भारतीय सेना की मदद की, वे यहां दानेदाने को तरस रहे हैं और जिन लोगों ने हिन्दुस्तान की सेनाओं का विरोध किया, उन लोगों को आज भी प्रोटेक्शन दिया है । यह विरोधाभास हमारी नीतियों में अत्यन्त आपत्तिजनक है ।

(श्री गुमानमल लोढा)

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उन शरणार्थी बन्धुओं के साथ राज्य सरकार को जिस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए वह नहीं करती। उनमें से कुछ परिवारों को बाड़मेर में भूमि एलाट की गई, उन्होंने जहां पर काश्त की थी, कुछ लोगों ने बाड़मेर जिले में चौहटन तहसील में शिव तहसील व अन्य स्थानों पर यह समझ कर कि राज्य सरकार, जब हमको किसी प्रकार से कोई चीज उपलब्ध नहीं करा सकती, रोजगार नहीं देती, तो मेहनत करके काश्त करके जीवन बितायें। राज्य सरकार ने दोनों तहसीलों में उनके काश्त को कुर्क कर लिया और जिस मेहनत के साथ उन्होंने काश्त की, उनकी लहलहाती खेती को सरकार ने कुर्क करके नीलाम कर दिया। ऐसे व्यक्तियों को गुजरात सरकार ने सब प्रकार का प्रोत्साहन दिया, रहने के लिए स्थान दिया, खाने पीने के लिए पूरी सुविधायें दी, शिक्षा की सुविधा दी, नौकरियां दीं और जितने प्रकार की अमेनिटीज और फैसिलिटीज हो सकती हैं वे दीं लेकिन दुर्भाग्यवश राज्य सरकार आज उन शरणार्थियों के साथ में इस प्रकार का व्यवहार कर रही है जैसे कि वे पाकिस्तानी हों, जैसे कोई देश के दुश्मन हों। मैंने पिछले सत्र में यहां शिक्षा इन्सपेक्टर का पत्र पढ़कर सुनाया था कि वहां किसी प्रकार का प्रबन्ध नहीं है, वहां बीमारियां फैल रही हैं, चेचक फैल रहा है लेकिन डाक्टर नहीं, दवाई नहीं, डिस्पेन्सरी का प्रबन्ध नहीं। आज स्थिति यह है कि राज्य सरकार से दुखी होकर वे लोग चाहते हैं कि हम किसी प्रकार से पाकिस्तान तो नहीं जायेंगे, उनका कहना है कि हमारी चितायें भारत की भूमि पर जलेंगी। इस कारण से सभापति महोदय, आज ये सिंधी शरणार्थी जिनकी लगभग संख्या एक लाख है बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की ओर देख रहे हैं। तीन साल के बाद में भी यदि उनका किसी प्रकार से पुनर्वास नहीं हो सकता, जमीन का एलाटमेंट नहीं हो सकता, नौकरियों में नहीं जा सकते, नागरिकता के अधिकार नहीं दे सकते तो आज के युग में इससे बढ़कर जघन्य अपराध नहीं हो सकता। You are cruel to the patriots who have sacrificed everything for the motherland. राज्य सरकार और मंत्रीजी इस मानवीय प्रश्न को, राष्ट्रीय प्रश्न को प्रदेश से ऊपर उठ कर देखें कि आज हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। मैंने तो बजट के समय भी कहा था कि हमने उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया। बंगलादेश के लिए अतिरिक्त कर लगा कर रकम भेजें हमें आपत्ति नहीं लेकिन जो छाछरो से इस देश में आए हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं? मंत्री महोदय डिटेल में विवरण दें। इन शरणार्थियों का बाड़मेर जैसलमेर में इनके पुनर्वास का प्रबन्ध नहीं किया गया तो उनमें से कुछ परिवार यहां से हट कर अपनी मेहनत के बल पर, अपना जीवन निर्वाह कर सकेंगे। कुछ परिवार सांडेराव में आए उन्होंने काश्त की, अपनी मेहनत से, भूमि से धान पैदा किया, इनमें मेघवाल भी हैं, बरोगा भी हैं, राजपूत भी हैं, सुमेरपुर में काश्त करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। मुझे इस बात का दुख है कि उनको वहां पर अपनी मेहनत से धान पैदा करके जीवन बसर करने का मौका नहीं दिया जाता। आज

(श्री गुमानमल लोढा)

सांडेराव में आर. ए. सी. के जवान तैनात किए हैं, उनकी फसल को कुर्क कर लिया, वहां अतिरिक्त जिलाधीश, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सारे का सारा सहकारी लवाजमा इस कोशिश में है कि किसी भी प्रकार से, उनकी जो फसल खड़ी है उनको नुकसान पहुंचे। उनके स्टैंडिंग क्राप को कुर्क कर लिया गया है और आपको जान कर आश्चर्य होगा कि रातों रात एक दिन में बिना किसी सूचना के 6,000) रुपये की उन पर पेनल्टी लगाई गई और अधिकारियों ने उस आज्ञा को बदल कर 96000 रुपये जुर्माना लगा दिया। किस लिए लगाया गया ? क्या इस बात के लिए कि उन्होंने पाकिस्तान की खिलाफत की, क्या इस बात के लिए कि वे पाकिस्तान में रह कर अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते ? पाकिस्तान में जहां इन शरणार्थियों के खून के प्यासे प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके सामने ये समर्पण नहीं करना चाहते। इनको अपने देश भारत, जाति व इस प्रदेश पर अभिमान है, अपने धर्म पर अभिमान है, ऐसा व्यक्ति पाकिस्तान से राजस्थान में आए तो उनकी फसल आप कुर्क करें ? इससे बढ़ कर राज्य सरकार के लिए शर्मनाक बात नहीं हो सकती। हम नियमों की बात करते हैं तो फिर मंत्रियों के बड़े बड़े फार्म्स बने हुए हैं, उनके रिश्तेदारों ने कब्जा किया हुआ है जयपुर से निकल कर बाहर जायं अजमेर रोड पर, दोनों तरफ फार्म्स मिलेंगे कोई मंत्री का है; कोई विधायक का है कोई अधिकारी का है। किसने एलाटमेंट किया ? अंधा धुंध कब्जे किए, उनके विरुद्ध अतिक्रमण का कानून नहीं, वहां से हटाए नहीं जाते, उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं होता है।

सभापति महोदय, जवाई कमाण्ड एरिया में आज कई लोगों ने, जो कि या तो मन्त्री हैं या मन्त्रियों के रिश्तेदार हैं कब्जा कर लिया है। सभापति महोदय, लोग जोधपुर से चल कर और उससे भी आगे चल कर उन लोगों ने जवाई कमाण्ड एरिया में जमीन पर अनधिकृत कब्जा कर लिया है। इनमें आपको सभापति महोदय, वह लोग ज्यादा मिलेंगे जो या तो मन्त्री हैं या मन्त्री थे या मन्त्रियों के रिश्तेदार थे या हैं। मैं अभी आपके सामने उनके नाम कोट नहीं करना चाहता अगर आवश्यकता हुई तो जरूर करूंगा। तो सभापति महोदय, इन सिन्धी शरणार्थियों ने कौनसा जुर्म किया है ? क्या अनधिकृत के सभी कानून उन्हीं गरीब लोगों के लिये हैं, इन लोगों के नहीं। इन लोगों ने जिन्होंने जवाई कमाण्ड एरिया की जमीनों पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है उनमें कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के है, कितने लोग ऐसे हैं जो कि पिछड़े वर्ग के हैं ? सभापति महोदय, लोग 100-200 मील से चलकर आकर बस गये है, कोई पूछने वाला नहीं है। सभापति महोदय, इनमें वही व्यक्ति हैं जो कि या तो मिनिस्टर थे या हैं या उनके रिश्तेदार थे या आज भी उनके रिश्तेदार हैं। लेकिन उनके खिलाफ में कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा नहीं की जाती है उन्हें आज वहां से बेदखल नहीं किया जाता है उन्हें आज कोई सेक्शन 91 के नोटिस नहीं देते हैं। सभापति महोदय, आज जो सिन्धी शरणार्थी है वह वे लोग हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान और पाकिस्तान क

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

लड़ाई के वक्त हिन्दुस्तान की मदद की थी। जिन्होंने भारत की मदद की, जिन्होंने यह चाहा कि भारत माता का झण्डा पाकिस्तान में लहलहा उठे, उनको आज बेदखल किया जा रहा है। उनकी खड़ी फसल को कुर्क करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज जो जवाई कमान्ड के अन्दर अनधिकृत कब्जा किये हुए बैठे हैं उन्हें कोई बेदखल नहीं कर रहे हैं।

इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करूंगा कि उन सिन्धी शरणार्थियों को यहां पर रीहेवीलिटेट किया जाय। और जो आज मामले उनके खिलाफ में रेवेन्यू बोर्ड में चल रहे हैं या जो कैसेज सबजुडिस हैं उन्हें समाप्त किया जाय। मैं सरकार से यह नम्र निवेदन करूंगा कि इन सिन्धी शरणार्थियों के रीहेबीलिटेशन के मामले को मानवीय दृष्टिकोण से हल किया जाय। उनके लिये कानूनी तर्कों को न लिया जाय। क्योंकि मानवीय दृष्टिकोण दुनिया के सभी कानूनों से ऊंचा होता है। उनके लिये नियमों में ढील होनी चाहिये। अगर आप मानवीय दृष्टिकोण से समस्या को हल नहीं करेंगे तो क्या सरकार के कानूनी नियम सभी उन सिन्धी शरणार्थियों के लिए ही हैं जिन्होंने भारत के सिपाहियों के साथ कन्धे से कन्धा लगा कर उनकी मदद की। क्या आप उस मदद का यही फायदा उन्हें दे रहे है कि उनको बेदखल कर रहे हैं, उनकी खड़ी फसल को कुर्क कर रहे हैं, जहां उनकी फसलें खड़ी हैं वहां पर आर. ए. सी. को तैनात कर रहे हैं? क्या आपका उनके साथ यही न्याय है?

जो लोग आज आपके कारण बेरोजगार हो चुके हैं, बेघरबार हो चुके हैं जिनका जीवन उजड़ गया है, जो शरणार्थी हो चुके हैं उनकी जिन्दगी आप और बरबाद करना चाहते हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप उन्हें रीहेवीलिटेट करिये, उन्हें जमीनें दीजिये। उनके साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनायें।

सभापति महोदय, इन्सानियत का कानून सबसे ऊपर है। इसलिए जो आज आप उन लोगों के साथ, जो कि 96 परिवार हैं, सान्डेराव में हैं, जिनमें मेघवाल, राजपूत, भील, दरोगा आदि जाति के लोग है, जिनकी काश्त वहां पर खड़ी है, उसको आप आर. ए. सी. द्वारा कुर्क करना चाहते हैं उन आर. ए. सी. के जवानों को आप हटायें। आज उनके बच्चे रो रहे हैं, उनके बच्चे बिलख रहे हैं, उन्हें रोने से बचाइये। आपके यह आर. ए. सी. के जवान, जो कि सिन्ध से वापिस आ गये, छाछोर से वापिस आ गये, हमारे देश के नौनिहालों के खून से जिस जमीन को हमने जीती थी, उन्हें वह लोग भेंट कर आये, वहां से वापिस आ गये उन्होंने उस जमीन को वापिस पाकिस्तान को भेंट कर दी।

लेकिन जिन लोगों ने आपके साथ कुर्बानी की, जिन्होंने आपको पाकिस्तान की जमीन जीतने के लिए रास्ता दिखाया उनके बच्चे आज बिलख रहे हैं कि हमें यहां रहने दो, हमारी काश्त को मत लूटो। आज जब भारत पाक युद्ध हुआ तब आपने बंगला देश के शरणार्थियों को सुविधायें दीं। खैर वह लोग तो वापिस चले गये हैं लेकिन यह लोग हमेशा के लिए भारत माता की गोद में रहने को आ गये हैं। यह कहते हैं कि हम वापिस नहीं जायेंगे अगर सभापति महोदय, हमने इन लोगों

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

को अच्छी तरह से रीहेबीलिटेट नहीं किया तो इन्हीं लोगों के रिश्तेदार, जो कि पाकिस्तान में रहते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि एक दिन अखण्ड भारत हो जावेगा और हम सभी एक हो जायेंगे वह क्या सोचेंगे। अब जब कि बंगला देश बन गया है, अब जब कभी भारत और पाकिस्तान का झगड़ा होगा तब इन्हीं बाड़मेर, जैसलमेर, की सरहद में रहने वाले पाकिस्तान के लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। आज भी भुट्टो भारत से लड़ने की तैयारी कर रहा है, आज से दो साल बाद कभी भी वह हिन्दुस्तान से लडने आ सकता है। कभी भी भारत पाक युद्ध भड़क सकता है।

सभापति महोदय, आज हम एअरकन्डीशन हाल में बैठ कर कुछ इधर उधर के मुद्दों पर विचार करते हैं और अगर उनके बारे में राज्य सरकार कोई वास्तविक हल नहीं निकालती है तो इसके अन्जाम बहुत बुरे होंगे। आज जो हमारा पाकिस्तान में रह कर कुशल क्षेम पूछते हैं, जो इस कृत्रिम बाउन्डरी को समाप्त करना चाहते हैं वह लोग हमारी मदद में उपस्थित नहीं होंगे। आज उन लोगों की मदद करना सारे नेशन की सिक्योरिटी के पक्ष में है। उनकी हमारे डिफेन्स के लिये बहुत बड़ी आवश्यकता है। उन लोगों को हमें कांफीडेन्स में लेना चाहिए। उनमें कान्फीडेन्स पैदा करना जरूरी है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उनके लिए आपको जमीनें देनी पड़ेगी, उनके बच्चों के लिए स्कूलें खोली जायं उन लोगों को सर्विसेज में उसी तरह प्रिफरेन्स दिया जाय जिस तरह कि पहले हिन्दुस्तान और पाकिस्तान हुआ जब लोग आये तो उनमें शरणार्थियों को जो सुविधायें दी गई थीं वह उन्हें दी जाय। जब आपने पहले वाले शरणार्थियों को सुविधायें दी तो इन्हें वन्चित क्यों रखा जा रहा है ?

सभापति महोदय, मुझे एक उदाहरण याद है कि भारत पाक युद्ध के दौरान इन शरणार्थियों के साथ चार बच्चे ऐसे भी आये थे जो कि पाकिस्तान में मेडीकल कालेज में पढ़ते थे। आपने उन्हें यहां पर भर्ती तो मेडिकल कालेज में कर दिया लेकिन उन्हें आप यहां पर कहते हैं कि तुम मेडीकल कालेज में पढ़ते जरूर हो लेकिन तुम इन्डियन नेशनल्स नहीं हो। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह लोग जिन्होंने हमेशा के लिए पाकिस्तान को छोड़ दिया और भारत माता की शरण में आ गये हैं यह लोग इन्डियन नेशनल कैसे नहीं हैं। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने आपकी भारत पाक युद्ध में मदद की उनके खिलाफ में आपने कोन्क्रीट केसेज बना दिये हैं। मैं कहूंगा कि उनको समाप्त किया जाय तथा इन लोगों को, जो कि सिन्धी शरणार्थी हैं, उन्हें नागरिकता के अधिकार दिये जायं। जब उन लोगों को नागरिकता के अधिकार देने की बात राजस्थान सरकार से करते हैं तो वह कहते हैं कि यह केन्द्रीय सरकार का प्रश्न है हमारा नहीं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हो सकता है यह केन्द्रीय सरकार का मसला हो लेकिन आप इसके लिये केन्द्रीय सरकार से लिखा पढ़ी करें और उन लोगों को नागरिकता के अधिकार देकर उन्हें अच्छी जगह बसायें चाहे उन्हें आप राजस्थान कैनाल के एरिया के अन्दर या

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

अन्य ऐसे ही उपजाऊ स्थानों में बसाया जाय। आज जिन लोगों की जमीनें, मकान और सब कुछ वहां पाकिस्तान में स्वाहा हो गया है आप उनको रीहेबीलीटेट करिये, उन्हें रीहेबीलीटेशन ग्रान्ट्स दीजिये। उन्हें सर्विसेज दीजिए। सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन लोगों में से जो कि टीचर हैं उन्हें समय पर तनख्वाहें नहीं मिलती हैं और इनकी बहुत ही खराब हालत है। उनके ग्रेड रिवाइज नहीं किये गये हैं और आज उनका हमारी राज्य सरकार द्वारा शोषण किया जा रहा है। मैं आपको एक ऐसे ही टीचर की, जो कि हैदराबाद में टीचर था और भारत पाक युद्ध में यहां आया था उसने यहां का हाल लिखा है उसकी करुण कथा में आपको सुना रहा हूं

We were all serving at for off places in districts of Hydera bad, Thatta and Dadu. Our families were at Chach ro and other villages of captured areas. We were therefore obliged to desert our duties and come over to our native places in three clothes. we don't want to go back to Pakistan and want to be settled here We, therefore, request that our problems given below may kindly be given sympathetical consideration and decided as early as possible—

1. That 14 teachers, whose services have been terminated by the Collector, Barmer, vide his Order No. 11641 dated 28-2-1974, may kindly be continued.

2 That the teachers, who are trained with experience ot lo to 20 years may kindly be given the scale of Rs. 110-230 Grade III.

3. That the teachers who are B. Ed. may be given the pay of Rs. 125 in grade 3rd scale of Rs. 110-230."

उसके आगे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि:-

4. That on closing of the camps we may kindly be taken up in regular line in primary and secondary schools respectively according to our qualifications and our service may kindly be continued.

5. That the arrangements for examinations in refugee schools may kindly be made.

6. That the scholarships and free books etc may kindly be given to deserving cases in refugee schools."

इस प्रकार से और भी कई मांगे उन्होंने मांगी हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें यह सुविधायें दी जायें। सभापति महोदय, जब पहले वाले शरणार्थियों को आपने सुविधायें दीं उसी तरह इन्हें भी दें। आपने शिमला पैक्ट करके आकर अपने फैसले कर लिये लेकिन आपने इनका मसला आपने उसमें नहीं रखा खैर आपने उनको मुआवजा देने के लिये पाकिस्तान सरकार को नहीं कहा तो आप उन्हें कम्पेन्सेशन दीजिये। क्योंकि आज वह लोग अपना घरबार सभी पाकिस्तान में छोड़ कर आये हैं। आज वह अनाथ हो गये हैं, बेघरबार हैं इसलिये आप उन्हें कम्पेनसेशन दें। राज्य सरकार को उन्हें रीहेबीलिटेट करने के लिये आवश्यक कदम

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

उठाने चाहिये। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह लोग बेघरवार हो गये हैं, इनका जीवन उजड़ गया है, यह लोग रेगिस्तान में पड़े हुए हैं, इनकी जिन्दगी बरबाद हो रही है उन्हें आप मदद करें आप उनके साथ मानवीय दृष्टिकोण से सोचें, अगर आप उनके साथ मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपनायें तो इसका असर हमारे देश में और प्रदेश में बहुत खराब पड़ेगा। सभापति महोदय, यदि इन शरणार्थियों को यहां बसा दिया गया, बाड़मेर की सीमा पर इनको, जो सिन्ध आदि स्थानों से आये हैं, तो ये आत्मनिर्भर व्यक्ति बन जावेंगे और मजबूत सीमा प्रहरी होंगे। भविष्य में जब भी पाकिस्तान से यदि हमारा कोई झगड़ा भी हुआ तो ये सैकिन्ड लाइन आफ डिफेन्स ही बन जावेगी। लेकिन यदि हमने इन शरणार्थियों के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ की तो हम अपने कर्त्तव्य से च्युत ही नहीं होंगे किन्तु यह एक नेशनल क्राइम भी होगा। इसलिये मैं राजस्थान सरकार और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन व्यक्तियों को रिहेबिलिटेट करने के लिये या तो एक आयोग का आप गठन करें, या कमेटी का गठन किया जाय और उसमें इन लोगों के रिप्रेजेन्टेटिव्ज को भी लिया जाय, इनकी समस्याओं को बैठकर सोचा जाय और निर्णय लिया जाय। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि एक साल पहले इन्हीं शरणार्थी बन्धुओं का बाड़मेर में बड़ा आन्दोलन भी हुआ था। जिलाधीश ने उनके साथ समझौता किया था किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि उसको भी नहीं निभाया गया। जो समझौता इन शरणार्थियों के साथ किया गया उनके साथ जो टर्म्स थे उनके अनुसार न तो उनको सहायता दी गयी, न उनको मदद दी गई, उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबन्ध किया गया, न ही उनको जमीन अलॉट की गयी और न ही उन लोगों को नौकरी में स्थान दिया गया मैंने इसलिये सदन के अन्दर आज यह संकल्प रखा है कि इन शरणार्थी बन्धुओं को बसाने के लिये राजस्थान सरकार भूमि आवंटित करे। जिस भूमि पर ये लोग बस गये हैं यदि राज्य सरकार वह भूमि किन्हीं दूसरे लोगों को देना चाहती है, जैसे सांडेराव के ही क्षेत्र को ले लीजिये, यदि आप इन समस्त परिवारों को वहां से हटा देते हैं, आपके पास ताकत है, सत्ता है आप उनको बेदखल करके उनको गिरफ्तार भी कर सकते हैं, उनकी फसल को कुड़क करके आर. ए. सी. लगाकर हटाने में सफल भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, संभवतः आप शक्ति के बल उनको वहां से हटा भी देंगे, आखिर उनको कहीं न कहीं तो जमीन का अलाटमेन्ट करना ही पड़ेगा। इनमें मेघवाल और अन्य जाति के व्यक्ति हैं। पाकिस्तान से ये लोग शरणार्थी बन कर आये हैं, वे अपने आप में खाना बदोश हैं जिनको राजस्थान की सहानुभूति की जरूरत है। इसको आप अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइये। माननीय सभापति महोदय, एक शरणार्थी बन कर पाकिस्तान से लोग आये और राजस्थान सरकार उसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना ले यह एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तुलनात्मक स्थिति जहां होती है वहां ही कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न बन सकता है। इसलिए राजस्थान सरकार इसको अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न न बना कर

Page No 90

(90)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

उनकी समस्या का हल करे और उनको बसाये तो यह एक बड़ी ऐतिहासिक बात होगी। आने वाली पीढ़ी कभी नहीं भूलेगी। इसलिए मैं इस संकल्प के द्वारा यह मांग करूंगा कि पाकिस्तान से जो शरणार्थी आये हैं उनको आप जीवनोपयोगी साधन उपलब्ध करायें। जिस प्रकार राष्ट्रीय लेवल पर अन्य शरणार्थी समस्याओं को डील किया था उसी प्रकार इस समस्या का भी निवारण किया जाय उनको मदद दी जाय, उनको मुआवजा दिया जाय और उनको जमीन दी जाय। सब सहूलियतें देकर राजस्थान सरकार उनको एक सीमा प्रहरी बना कर आगे आये तो उचित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे संकल्प को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मैं जानता हूं कि सदन के अन्दर उग्र विषय पर विवाद होने के बाद और अपने 2 विचार व्यक्त करने के बाद में कई माननीय सदस्यों को ऐसे अभागे, असहाय व्यक्तियों के बारे में विचार करने के लिए वह आकर्षण न हो, वह दर्द न हो, जो उनके प्रति सहानुभूति स्वाभाविक तौर से होने चाहिये वह नहीं है। क्योंकि इसमें न शहर के रहने वाले नागरिकों का हित है न उनकी विशिष्ट समस्यायें हल होती हैं। यह तो हम ऐसे असहाय लोगों को सहयोग देने की बात कर रहे हैं जिनका कोई सहाय नहीं है, जिनके लिये कोई सहारा नहीं है, जिनके साथ कोई कन्धे से कन्धा भिड़ा कर बाड़मेर के धोरों में लड़ने के लिए तैयार नहीं है। माननीय सदस्य इसमें दिलचस्पी न लें यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

सभापति महोदय, जनतन्त्रीय तरीके से हम अपना कर्तव्य समझ कर सीमा के प्रहरी इन अभागे व्यक्तियों के बारे में उचित निर्णय ले सकें राज्य सरकार इसके लिए मैं अपना यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : सभापति महोदय, हिन्दुस्तान पाकिस्तान के युद्ध के समय आये हुए शरणार्थियों के विषय में संकल्प प्रस्तुत हुआ है उस पर मैं भी अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब यह युद्ध चल कर समाप्त हुआ था मैं स्वयं पाकिस्तान से आये हुए अपने भाइयों की दशा अपनी आंखों से देखने के लिये छाछरो से अमर कोट तक गया था। मैंने उनकी दशा देखी थी। उनका शब्दों में चित्रण करना बड़ा कठिन हैं। वे सब ही किसान हैं। पशुधन उनके पास है। लगभग राजस्थान की सीमा सिंध की सीमा से मिली जुली होने के कारण लगभग एक जैसे हैं, व्यवहार, बातचीत भाषा और रहन सहन से भी लगभग एक जैसे हैं लेकिन उनकी बड़ी दुर्दशा थी। उनके पास पहिनने को पर्याप्त तन पर वस्त्र नहीं थे। भोजन के लिये पर्याप्त रूप से दोनों वक्त भोजन कर सकें ऐसी भी स्थिति नहीं थी। मैं छाछरो के अन्दर एक परिवार में बैठा था। जब मैं सिन्धी भाइयों से बातचीत कर रहा था, बातचीत करते करते एक सज्जन इस बात के लिये फूट कर रो पड़े और यह बताया कि शास्त्रीजी हिन्दुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो गयी। हमने हिन्दुस्तान को जिताने के लिये अपनी जान की बाजी लगाकर और अपनी तमाम शक्तियों को झोंक कर अपनी हिन्दुस्तानी फौजों की भरपूर मदद की थी। हिन्दुस्तान विजयी हुआ। मेरी लड़की, मेरी पत्नी, मेरी

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

बहिन को पाकिस्तान के दरिन्दे उठा कर ले गये। क्या हुआ होगा मेरी पत्नी का, मेरी बच्ची का और मेरी बहिन का ? यह कहते कहते वह फूट फूट कर रो पड़ा। ऐसे अनेक परिवार हैं जो भारत पाकिस्तान के युद्ध में नष्ट हुए हैं और अनेक कहानियां हैं उनके बारे में। ऐसे लोग पाकिस्तान को छोड़ कर यहां आये। इसलिये आये कि उन्होंने भारत को अपना देश समझ कर उनकी मदद की, और पाकिस्तान का विरोध किया। यह सरकार भी जानती है। भारत की सेना के सिपाहियों ने उनको आवाज भी दी थी आजाओ और यह बात पाकिस्तान भी जानता है। वे जानते हैं कि यदि वे वापिस पाकिस्तान चले गये तो उनके लिये मौत के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है और भारत में ये बड़ी आशायें लेकर आये थे। उन्हें आशायें थीं कि भारत सरकार हमारा भरण-पोषण का इन्तजाम करेगी। हम किसान हैं हम खेती करेंगें। जमीन हमें मिल जावेगी तो हम खेती करेंगे। पर यहां आने पर उनके साथ जो व्यवहार हुआ वह एक बन्दी से भी बदतर हुआ। विधि की विडम्बना मुझे यह लगी। हमने आजतक भारत सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से दो करोड़ से अधिक रुपया उन पर खर्च कर दिया। इस रकम में तो उनको अच्छी तरह से बसाया जा सकता था। पर आज वे शिविरों में बैठे हैं। जो एक तरह से उनके लिये यातना शिविर बने हुए हैं। केवल मुफ्त का राशन लेकर अपनी जिन्दगी बिता रहे हैं। उनके बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कोई प्रबन्ध नहीं है। उनके भविष्य की चिन्ता किसी को नहीं है।

आज वे राजनीति के षड़यन्त्र के शिकार बने हुए बैठे हैं। कड़ाके की सर्दी गरमी और बरसात में वे खुले में शिविरों में पड़े हैं। ठंड लगने से, लू लगने से, बरसात में वे निमोनिया से बच्चों की अकाल मृत्यु हो रही हैं। बच्चों की बड़ी दुर्दशा है। युवा भी बेसहाय बने पड़े हैं। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद सरकार ने उनको उन्हीं शिविरों में पटक रखा है।

एक विधि की विडम्बना देखिये पाकिस्तान भारत युद्ध हुआ। हमारे यहां पाकिस्तानी बन्दी थे जिन्होंने भारत के होनहार नौजवानों को हमारे सेनानियों को गोलियों से भूनकर हमारी भारत की धरती पर हमारे ही नौनिहालों का रक्त बिछा दिया। जो शत्रु जिन्होंने हमारी पवित्र धरती पर हमला किया। वे बन्दी के रूप में थे, यहां आये। उन पर हमने 36 करोड से अधिक खर्च कर दिया उनको हम बाइज्जत लौटा चुके। अच्छी अच्छी बैरकों में उनको रखा, अच्छे से अच्छा खाना उनको दिया। पर जिन्होंने इन दरिन्दों का मुकाबला किया जो इनसे लड़े, इनसे मोर्चा लिया और भारत की सेनाओं को आगे आकर रास्ता बताया उनकी जी जान से सहायता की, उनकी सहायता करने में अपने आपको भयंकर खतरों में डाला, अपना घर बार छोड़ दिया वे आज हमारे ही भाई होते हुए हमारे ही कैम्पों में यातनायें भुगत रहे हैं, सड़ रहे हैं। उनके लिए हम पुनर्वास की व्यवस्था करने को तैयार नहीं। हम उनको स्थायी रूप से जमीन देने को तैयार नहीं। जब कि जमीनें खाली पड़ी हैं। कहते यह हैं कि वे पाक नेशनल हैं जबकि स्थिति यह है कि अब वे पाक नेशनल बनकर वापिस पाकि-

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

स्तान जाने के बजाय मौत के मुंह में जाना अधिक पसन्द करते हैं। वैसे भी वे अगर वापिस चले गये या भेज दिये गये तो यह निश्चित है कि वे मौत मारे जावेंगे। पाकिस्तान उनको जीवित नहीं रहने देगा। वह भारत नहीं है, पाकिस्तान है यह याद रखना चाहिये आपको पाक नागरिक नहीं बन सकते अब वापिस। वे पाक के मुंह में जाने के बजाय मौत के मुँह में जाना अधिक पसन्द करते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर उनको बसाने में ढील क्यों? आज आप उनको पाक नागरिक मान रहे हैं इसलिए वे न यहां कोई व्यापार कर सकते हैं न खेती बाड़ी, उनका सैलसटैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, बैठे बैठे कैदियों की तरह जिन्दगी बिता रहे हैं, दस किलो राशन मिल जाता है उससे ही किसी तरह अपना जीवनयापन कर रहे हैं। पड़त भूमि आपके पास पड़ी है वह आप उनको नहीं देते। जब तक उनकी नेशनलिटी का फैसला नहीं होता तब तक हम कहते हैं कि उनको टेम्परेरी ही वह जमीन अलाट कर दी जांय, तब भी आप नहीं कर रहे हैं।

जब पाकिस्तान भारत युद्ध हुआ तब 20 हजार अल्पसंख्यक यहां से भागकर पाकिस्तान चले गये। उनकी भूमि आपके पास है वह भूमि इनको दे दें।

सभापति महोदय, आपको सुनकर दुःख होगा कि यह सारी जमीन आज वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोग आपस में बांट कर खा गये हैं। अपने नाते रिश्तेदारों के नाम उस सारी जमीन को अलाट करवाकर हड़प गये हैं। पर इन शरणार्थियों को वह नहीं दी जा सकी। इस प्रकार का अन्याय और किसी देश में देखने को नहीं मिलेगा। हमारे यहां देश पर मरने वालों की यह दुर्गति होती है। ऐसी दुर्गति आजतक किसी देश ने न कभी की है न कभी किसी जगह हुई सुनी गई है।

मैं नहीं कहता आपको ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के नाम स्थापित संस्था माणिक लाल वर्मा ट्राइबल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, उदयपुर ने अपनी ट्राइब वाल्यूम 7 नम्बर 2 सितम्बर, 1970 के अंक दी फ्रन्टियर भील्स एण्ड मेघवाल्स के पेज 25 पर लिखा है कि क्या स्थिति है वहां पर। इतने अरसे के बाद भी क्या राजस्थान सरकार उन भील मेघवालों को जो शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के भूमिहीन किसान हैं, मजदूर हैं, उनको भूमि दी जा सकी है कि नहीं इस पर उनकी ही लेखनी को मैं यहां आपके सामने रख रहा हूँ। वे लिखते हैं:—

In the border villages, there are some landless Meghwals and Bhils. The Government allotted land to them so that they can earn their livelihood this had not been smoothly operated. The land owning castes made very possible effort to deperivate Meghwals. Bhils from it. They feared that if they got the land then who will work on their fields. Again, Muslims have made a prestige issue not to allow Government to allot the land left by their migrant brothern and instead claimed that land.

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

वह जमीन उनको दिलाने के बजाय दूसरे लोगों ने उस पर नाजायज अधिकार वहां के तहसीलदार, पटवारियों और एस. डी. ओ. से मिलकर कर लिया है। यह है स्थिति।

माननीय सभापति महोदय, ऐसा लगता है कि शासन नाम की वस्तु वहां अस्तित्व में ही नहीं है। वे लोग अपने जानवर वहां से लाये हैं। पर उनको चराने के लिये चरागाह तक नहीं छोड़े गये। आखिर वे बसेंगे यहीं। बसाना हमें पड़ेगा। वे राजस्थान की इस धरती पर ही रहेंगे। संसार की कोई शक्ति उनको यह धरती नहीं छुड़ा सकती। यह आप याद रक्खें। आज और भी पड़त जमीन यहां पड़ी है। आप उस पर क्यों नहीं उनको बसाते हैं। 65 के युद्ध में और उसके बाद जो अल्पसंख्यक बाड़मेर जिले से भाग कर पाकिस्तान चले गये हैं उनकी जमीनें पड़ी हैं जो सरकार के खुद के आंकड़ों के अनुसार 297 एकड़ जैसलमेर में, 516 बीकानेर में 416 बाड़मेर में, 503 जालौर में इस तरह कुछ और जमीन इधर उधर पड़त पड़ी है। कुछ सरकार ने उस समय अलाट की भी थी, पर आज वे ही वहां से बेदखल किये जा रहे हैं इसलिये कि उन ने अनधिकृत कब्जा किया है क्योंकि उनको अभी भारत की नागरिकता नहीं मिली है। मैं कहता हूं इसमें गलती किसकी है ? क्यों नहीं सरकार इनकी नागरिकता स्वीकार करती है। देर क्यों लगा रही है। फिर यह भी किया जा सकता था कि उनको टेम्प्रेरी तौर पर जमीन अलाट की जाती, लैंड रेवेन्यू के नियमों के अनुसार आप अगर नाजायज कब्जा था तो दुगुना लगान ले सकते थे। आप आज उनको कैम्पों में पड़े पड़े राशन दे रहे हैं उससे तो यह अच्छा है कि आप उनकी शक्ति का उपयोग करते। आधे पूरे उनको काम पर लगाते। आप का रुपया भी, राशन भी बचता, वे भी काम पर लगते। आपका उत्पादन बढ़ता। एक तरफ आपके यहां अनाज का अभाव है। दाने दाने को लोग मोहताज हैं, आप पूरा राशन नहीं दे पाते लोगों को। त्राहि त्राहि मची है। गुजरात की स्थिति से घबरा रहे हैं। दूसरी तरफ आप उनको पड़े पड़े राशन दे रहे हैं पर काम पर लगाकर उनसे खेती में पैदावार नहीं बढ़वा सकते। इससे अधिक अकर्मण्यता सरकार की और क्या होगी। लोग अनधिकृत कब्जा करें, आप उनको राशन खिलाते रहें, पालते रहें, वे स्वयं अगर अनधिकृत कब्जा करलें तो आप उनको बेदखल करते रहें, वे अपने अधिकारों से वंचित रहें धन्धा उनको न मिले, खेती आप करने न दें बन्दी आप उनको मानते नहीं, पाकिस्तान वे लौटने वाले नहीं, आप खुद मानते हैं आप उनको नागरिकता के अधिकार देते नहीं यह सब एक प्रकार से विधि की विडम्बना ही कही जावेगी।

मैं कहना चाहूंगा कि 72 में भी पड तहसील में 24714, शिव में 155388, पचभद्रा में 5372, सिवाना में दो लाख 64 हजार बीघा काबिले काश्त भूमि पड़त है अकेले एक जिले में। आप चाहें तो अब भी उनको उन यातना शिवरों से हटाकर यहां बसा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जब तक नागरिकता नहीं मिलती तब तक अस्थायी तौर पर यह जमीन देते हैं। इससे आपका एक करोड़ रुपया जो उन पर खर्च हो रहा है वह बच सकता है। उनकी शक्ति जो

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
कुंठित पड़ी है, वह काम आवेगी। उनके सैंकड़ों हाथों को काम मिलेगा आपका उत्पादन बढ़ेगा और वे अपनी जिन्दगी अपने खेतों में पशुओं में परिवार में और बच्चों में रहकर मस्ती से बिताना प्रारम्भ करेंगे। पर आज जो आपने उनको शिविरों में डाल रखा है यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसे आप जितनी जल्दी हो समाप्त करें।

तो मैं सभापति महोदय, इस संकल्प के माध्यम से सरकार से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि यह शरणार्थी की समस्या गम्भीर समस्या है। आज जो आदमी जहां सदियों से रहता रहा है वहां चाहे उसकी झोंपड़ी ही क्यों न हो और दूसरी जगह उसे कहीं अच्छा मकान ही क्यों न मिलता हो, फिर भी छोड़ कर कभी नहीं जावेगा। पर आज जिस भयंकर परिस्थितिवश वे यहां आ गये हैं उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वे कितनी भयंकर परिस्थितियों में थे और कितनी विवशता से पाकिस्तान छोड़कर यहां आये हैं। अब आज हमारा यह नैतिक कर्तव्य है हमारा धर्म है कि हम उनको यहां बसाने के लिये हर सम्भव प्रयत्न करें। भारत सरकार को लिखकर नागरिकता दिलाने में जल्दी करें। हो सकता है इसमें विलम्ब हो तो इस बीच उनको अस्थायी तौर पर जमीन देकर आप काम लें उनसे। वे भी अपना जीवन निर्वाह ठीक तरह से हंसी खुशी कर सकें। फिर जब नागरिकता मिल जावे तो स्थायी कर दीजिये। बिना काम उनको शिविरों में रखने का खतरा आप अधिक मोल न लें। यह समस्या का समाधान नहीं है इससे समस्या उलझेगी। इसका अनुभव वही कर सकता है जो अपना घरबार छोड़कर उजाड़कर दूसरी जगह जाकर देखे कि कैसे छोड़ जाते हैं। हमारे दल के नेता माननीय गुमानमल जी लोढ़ा ने विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला है मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बारे में अपना दृष्टिकोण दलगत भावनाओं से ऊपर रख कर और शरणार्थियों को बसाने का दृष्टिकोण रख कर उनको बसायें, उनको धन्धे में लगाये उससे हमारी इकानामिक अर्थ व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा और जो पड़त भूमि है वह पड़त भूमि उनको दे दें। मैं समझता हूं वे लोग हमारे राजस्थान के विकास में सहायक सिद्ध होंगे। वे हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी सहायक सिद्ध होंगे और उनका जो पाशविक दृष्टिकोण है वह मानवीय दृष्टिकोण में आ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय सभापति महोदय जो आज संकल्प माननीय लोढ़ा साहब ने सदन के सामने रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्टूबर, 1972 की बात है प्राक्कलन समिति के साथ मैं स्वयं बाड़मेर गया था। जैसलमेर से बाड़मेर जा रहा था तो यह शिविर देखा। यह बाड़मेर के नजदीक ही है जहां शरणार्थी लोग निवास कर रहे थे। साथ में ऐडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। कितना राशन मिलेगा कितना राशन नहीं मिलेगा इसके बारे में मैंने डिटेल में जानकारी हॉसिल की। दूसरे दिन हमारी समिति के सदस्यों ने यह क्षेत्र देखने की इच्छा प्रकट की जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, जो हमारे कब्जे में आ चुका है। हमारे साथ आर्मी एक्सपर्ट भी थे क्योंकि वह आर्मी एरिया था और वह पाकिस्तान का

(श्री अमृतलाल गहलोत)

क्षेत्र भारतीय क्षेत्र में था इसलिये पासेज बनवाये गये । डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ था । सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ था । हम गडरा शहर में पहुंचे । हमने वहां टूटा हुआ गान्धी आश्रम देखा, एक मन्दिर भी देखा, हमने बन्कर देखे जो पाकिस्तान में सीमेन्ट कन्क्रीट के बने हुये थे जिन्हें वे छोड़ कर भाग गये । वहां का जलवायु वैसा है जैसा हमारा गडरा रोड का है । प्रश्न यह उठता है हमारे सामने जो व्यक्ति, जो हमारे भाई पाकिस्तान से इस भय से आतंकित होकर आ गये हैं कि अगर हमने वापिस प्रवेश किया तो जान की खैर नहीं है ।

हमारे पूर्व अनुभव के अनुसार पाकिस्तान की सरकार कुछ भी वायदा करें परन्तु शत प्रतिशत विश्वास नहीं किया जा सकता है । यहां पर अभी एक डेपूटेशन आया है । जैन साहब नहीं है, उनके पास आया था उनसे बातचीत करने का मौका मिला । दरअसल जो वापिस नहीं जाना चाहते हैं हम उन्हें जबरदस्ती नहीं भेज सकते हैं । अगर वे इच्छा से जाते हैं तो सब प्रकार का प्रबन्ध किया जाय । पाकिस्तान हाई कमिश्नर से बात की जाय, पाकिस्तान की सरकार से बात की जाय– जो स्वेच्छा से जाना चाहें । आज हम उन्हें विदेशी कहते हैं । अपने देश को लौटना चाहें तो स्वेच्छा से जाना चाहिए परन्तु नहीं जाना चाहते हैं तो जबरदस्ती नहीं भेजना चाहिए । आज वे कैम्पों में रहते हैं । मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करता हूं उनको जो खाना मिलता है, उनको जो राशन मिलता है वह काफी अच्छा है । उस पर जो मूल्य लगता है वह भी मैं समझता हूं यदि उसका मूल्यांकन किया जाय तो इस देश के प्रति व्यक्ति की आय से ज्यादा मूल्य का है परन्तु एक स्वाभिमानी व्यक्ति लगातार सरकार के भरोसे चलता रहे तो इस प्रकार का वह अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता है । वह यह चाहता है कि कोई सम्मानित धन्धे में लगे । अपने धन्धे में लग कर अपने श्रम से जीवन का उपार्जन करें ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा अब ज्यादा दिन कैम्पों में रहने की जरूरत नहीं है । यदि वे जाना चाहते हैं स्वेच्छा से तो पूर्ण सुविधा प्रदान की जाय और यदि नहीं जाना चाहते हैं तो उनको विदेशी नहीं माना जाय और उनको यहां की नागरिकता प्रदान करदी जाय । वे बिलकुल बे-घरबार हैं । पिछले वर्ष शरणार्थियों में एक मेडिकल कालेज का विद्यार्थी था । वह अपने देश में एडमिशन चाहता था । वह चाहता था यहीं पर शिक्षा प्राप्त करे । इस तरह के कई मामले हो सकते हैं । कोई विद्यार्थी है, कोई वकील है, कोई प्राध्यापक है । जैसी जैसी योग्यता है उनको उसी अनुसार यहां नौकरी देने के लिए प्रावधान किया जाय और दूसरे व्यक्ति आये हैं हो सकता है उसमें सम्पन्न लोग भी वहां पर हों । पहले जो शरणार्थी आये हैं जिनके लिए जो फारमूला तय किया कि उनको मुआवजा दिया जाय । स्वेच्छा से नहीं जा रहे हैं तो उनको मुआवजा देने के लिए भी सोचा जाय ।

अब रही जमीन की बात, मैं इस चीज के लिए सहमत नहीं हूं कि नाजायज कब्जा कर लें । और खेती करने लगे तो उनको दे दी

(श्री अमृतलाल गहलोत)

जाय। क्योंकि यह प्रश्न प्रशासन का होगा। मैं इस बात के लिए पूर्ण सहमत हूं कि उनको रोजगार दिया जाय–प्लाट खाली हैं तो दिये जांय। यह राज्य सरकार की नीति का सवाल है। परन्तु यदि वे जबरदस्ता कब्जा करलें तो इस तौर पर जमीन नहीं दी जा सकती है। परन्तु यदि खेती कर ला है तो यह मानवीय प्रश्न है।

हमारे यहां कई लोग सरकारी जमीन पर खेती कर लेते हैं उन पर पेनेल्टी लगा देते हैं लेकिन यहां पर पेनेल्टी भी लगा दी और फसल भी कुर्क कर ला तो यह दूसरी व्यवस्था नहीं होनी चाहिये। हो सकता है उनका जो लगान बनता है वह जोड़ दिया जाय और वसूल कर लिया जाय परन्तु जो श्रम से उत्पन्न किया है वह उनको छोड़ दिया जाय। आखिरकार कोई बेजा काम नहीं किया है। पेनेल्टी लगाई जाय और माल भी जब्त कर लिया जाय तो वे फिर करेंगे क्या और पेनेल्टी भी कहां से चुका पायेंगे ? कुछ लोग सान्डेराव की तरफ चले गये हैं, कुछ लोग कोटा की तरफ चले गये हैं। जो लोग किसानों का काम नहीं करते थे उनको उसी अनुसार रोजगार दिया जाय जिनमें उनकी रुचि हो···

(4.15 बजे)

(श्री रामसिंह यादव उपाध्यक्ष, पदासीन)

तीसरे एक जगह रखने में भी यदि कोई फर्क पड़ता है तो बाड़मेर इलाके में हिन्दू भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं। वे सभी इस देश के नागरिक हैं। मैं समझता हूं वहां पर रहने से यदि किसी तरह की कोई दुविधा पैदा होती है एक जगह बसने से तो कुछ योजना बनाई जाय और उनको अन्यत्र स्थानों पर भेज दिया जाय, जिससे उनका मानस और दिमाग पाशविक वृत्ति का रहा हो तो वह भी बदल जायेगा, क्योंकि वे पीड़ित हैं और पीड़ित व्यक्ति कुछ समय के बाद जब अपने मुल्क से दूर हो जाता है तो नये वातावरण के तौर पर नये देश में रहता है तो उसके विचार बदल जाते हैं और उस देश के अच्छे नागरिक बन जाते हैं। मैं समझता हूं उन लोगों को एक ऐसे स्थान पर बसाया जाय जहां सामान्य नागरिक के साथ घुलमिलकर जीवन व्यतीत करने का बहुत कुछ अवसर प्रदान हो। सवाल 1972 के अक्टूबर का मैं रख रहा हूं, मैं जाकर आया था और अब 1974 का अप्रेल चल रहा है याने इतने लम्बे अरसे के लिए मैं समझता हूँ कि इस मामले का निर्णय कर लेना चाहिए था। इसको इतने लम्बे अरसे तक अनिश्चित रखना हमारे लिए शोभाजनक नहीं है और यदि हो सके तो मेरे ख्याल से उपाध्यक्ष महोदय, जो धनराशि 1।।, 2 करोड़ की भारत सरकार ने प्रदान की है वह उनको लगातार पाल रही है, पोस रही हैं और उनके पालन में लग जाती है और वह उत्पादन नहीं कर सके। कुछ राशि मांगकर किसी विशेष धंधे के लिए ट्रेनिंग यदि इनको दी जा सके तो वह भी दी जाये और हो सके तो सरकारी नौकरियों में उनको प्रिफरेन्स दिया जाये, उनके लिए एज का भी रिलेक्सेशन किया जाये। परन्तु अब समय आ चुका है उपाध्यक्ष महोदय कि इन लोगों के भविष्य का फैसला हो जाये और इस देश में उनको नागरिक मान

(श्री अमृतलाल गहलोत)

उनको ऐसी जगह स्थापित किया जाये जहां यह समाज पर भार नहीं बनें और अपने आप उत्पादन कर सकें। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न चाहे जनसंघ के माननीय नेता ने उठाया हो यह सभी का माननीय प्रश्न है और जहां तक हो सके इसके जीवन की समस्याओं को शीघ्रातिशीघ्र राज्य सरकार अपने स्तर पर हल करे और भारत सरकार से जो कुछ भी मदद लेनी है उसको लेने का प्रयास करे यही कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गफ्फार अली।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का सोलहवां प्रतिवेदन

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था। मैं कार्य सलाहकार समिति के सोलहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। प्रतिवेदन इस पकार है :

"कार्य सलाहकार समिति की बैठक, दिनांक 3 अप्रेल, 1974 को मध्यान्होत्तर 2 बजे हुई। समिति के चौदहवें प्रतिवेदन में आंशिक परिवर्तन करते हुए सिफारिश करती है कि दिनांक 8 अप्रेल से 11 अप्रेल, 1974 तक लिए जाने वाले कार्य का बंटवारा इस प्रकार किया जाये :-

गुरुवार, दिनांक 4-4-74 शुक्रवार, दिनांक 5-4-74 शनिवार, दिनांक 6-4-74 रविवार, दिनांक 7-4-74	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 8-9-74	(1) राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1974 (2) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1974 (3) संविधान (32वां संशोधन) विधेयक, 1973 के अनुसमर्थन के सम्बन्ध में शासकीय सकल्प पर विचार एवं पारण।
मंगलवार, दिनांक 9-4-74	(1) जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 (2) उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 (3) राजस्थान तेंदू पत्ते (व्यापार का विनियमन) विधेयक, 1974 पर विचार एव पारण

(श्री खेतसिंह)

बुधवार, दिनांक 10-4-74	राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार एवं उसका पारण
गुरुवार, दिनांक 11-4-74	(1) मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1974
	(2) वर्ष 1969-70 के लिए अतिरेक मांगों तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक, 1973
	(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 107, 108, 109 एवं 478 से सम्बन्धित शासकीय संकल्प पर विचार एवं पारण।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-सलाकार समिति के 16वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कार्य-सलाहकार समिति के 16वें प्रतिबेदन पर जो कि माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने प्रस्तुत किया है उस पर सदन अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

(प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गयी)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग अपने वतन से विलावतन हुए और उन्होंने हिन्दुस्तान में आकर शरण ली उन लोगों के भविष्य के बारे में आज तक केन्द्र की हुकूमत कोई फैसला नहीं कर सकी यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हालात सुधरे हैं पाकिस्तान से जो हमारे ताल्लुकात थे वह शिमला समझौते के बाद उनमें कुछ सुधार आया है और मैं समझता हूं कि इस सब-कान्टीनेन्ट में जितने भी देश हैं चाहे वह बंगलादेश हो, चाहे वह हिन्दुस्तान हो और चाहे वह पाकिस्तान हो – यह हमारे ही मुल्क के टुकड़े हैं जो कि ऐतिहासिक जरूरत के बिना पर हुए उनके ताल्लुकात अच्छे हों और यह तीनों मुल्क आर्थिक और सामाजिक तरक्की करे यह जरूरी है और मैं समझता हूं कि ऐसे हालात पैदा होंगे कि इन तीनों मुल्कों के बीच में मनमुटाव हैं वह दूर होंगे और कुछ हद तक दूर हो चुके हैं। जो शरणार्थी या जो मुसीबत-जदा लोग जिन्दगी बचाने के लिए यहां आये वह उस लड़ाई के बाद से आज तक शरणार्थी की हैसियत से पड़े हुए हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिसका संबंध इन्सानियत से है, मानवता से है। मेरी मान्यता यह है कि आप उनको कितनी भी आर्थिक

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

सहायता दें एक दिन वह आयेगा कि उनकी जितनी मुसीबतें हैं वह दूर नहीं होगी और वह भिखारी बनकर रह जायेंगे हमको इस किस्म की सहायता करनी चाहिए कि वह अपनी जिन्दगी को सुधार सकें, आत्मनिर्भर हो सकें और हमारे इस मुल्क में अपना एक अच्छा किरदार अदा कर सकें। आप उनको खैरात के तौर पर राशन दे रहे हैं मेरी यह मान्यता है कि आप कितना ही अच्छे से अच्छा राशन दें और कितने ही अच्छे से अच्छे आदमी को भिखारी की हैसियत से मदद करते रहें साल दो साल तो फिर वह भिखारी बनकर ही रहेगा और वह सोसाइटी पर भार बनकर रहेगा और यह सोचेगा कि मुझे रोटी मिल रही है इसी तरह से मैं अपनी जिन्दगी बसर कर लूंगा। तो आपकी नीति इस किस्म की होनी चाहिए कि कोई आप पर भार बनकर नहीं रहे इस मुल्क के अन्दर और उसको यह चाहिए कि हम ऐसी व्यवस्था करें, ऐसे हालात पैदा करें कि उनको अपनी जिन्दगी बसर करने में सहायता दें, हर किस्म की लेकिन उनको मुस्तकिल सहायता न देकर यह न केवल हमारे फायदे में है और न उन लोगों के फायदे में है जो कि आज बेघर हैं और बेवतन यहां पड़े हुए हैं। यह कैम्प दो तीन साल तक चले और कोई व्यवस्था नहीं हो उसका मुझे बहुत अफसोस है। मैं यह चाहूंगा कि आपकी नीतियों में परिवर्तन होना चाहिए और जो भी इस किस्म की घटनायें घटें उसके फलस्वरूप कुछ भी नतीजे हों उसमें यह जरूर तय करना चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी पर किसी भी अंग को भार नहीं बनने दें। मैं यह समझता हूं कि अगर आप पाकिस्तान से बातचीत करें और वह लोग जो अपने घरों से अपने मकानों से उनको छोड़कर आये हैं वह इस बात के ख्वाहिशमन्द है और वह सुरक्षित समझें और वह जाना चाहें तो सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि जो लोग वतन से बिलावतन हुए हैं वह अपने वतन को लौटें और पाकिस्तान उनको सम्मान के साथ, इज्जत के साथ लेना चाहे तो सबसे बड़ा काम तो यह होगा कि वह जिस धरती पर पैदा हुए जिसके ऊपर उन्होंने अपनी जिन्दगी गुजारी, जिस आबो-हवा में वह पले और बड़े हुए वह अपने घरों को जायें, अपने खेतों और अपने खलि-हानों पर कब्जा करें, अपने मकानों में जायें . . . . तो अगर यह सम्मान के साथ में रह सकते हों जब तो मेरा सुझाव यह है कि सबसे बड़ा अच्छा काम है जो आपको अपने ऊपर लेना चाहिए और इस सरकार को केन्द्र की सर-कार से, केन्द्र की हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए और उनको पाकिस्तान की हुकूमत ने यह ऐलान किया था कि जो लोग लड़ाई के नतीजों पर घरों बेघरबार हो गए, मैं खुद सम्मान के साथ उनको लेने जाऊंगा, ऐसा भुट्टो ने बयान दिया। पर मैं नहीं मानता वो अपने इन बयानों पर कहां तक कायम रहे। वह एक दिन एक बयान देते हैं और दूसरे दिन दूसरा बयान देते हैं। तो उनके बयानों को तो हिन्दुस्तान की पोलिसी का आधार नहीं मान सकता लेकिन अगर हुकूमत वाकई सम्मान के साथ लेने को तैयार हो तो आपका पहला प्रयत्न यह होना चाहिए कि आप उनको सम्मान के साथ लौटायें। लेकिन

(100)

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

यदि वो यह समझते हों कि अब हमारी जिन्दगी वहां सुरक्षित नहीं है, या हम सुरक्षा से नहीं रह सकते तो आप उनको पाकिस्तान की टैरीटोरी में धकेल नहीं सकते। यह सैद्धान्तिक रूप से मेरी मान्यता है कि आप उनको अपना नागरिक मानें या न मानें, यह अलग से प्रश्न है, पर सवाल यह है कि जो बोर्डर पर रहते थे, जो लोग वहां से लड़ाई के फलस्वरूप या डर कर या जान बचाने के लिए आए, उनको आप उस टैरीटोरी में धकेलें यह उसूलन, सैद्धान्तिक रूप से गलत मानता हूं। मैंने तो केन्द्र की हुकूमत के सामने इन लोगों का भी समर्थन किया है जो लोग भुलावे में पाकिस्तान चले गए और वह वहां से आकर अपने मुल्क को छोड़ना नहीं चाहते उनके लिए भी अगर आप यह समझते हों कि वह हिन्दुस्तान में ही रह कर अपना भला कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि हम उनको यहां से निकाल ही दें चाहे उनका सम्बन्ध में किसी मजहब से हो। इसलिए इस आईन का जो बुनियादी उसूल है, इसके मूल सिद्धान्त हैं उसमें मजहब कहीं आड़े नहीं आता है। जो हिन्दुस्तान में पैदा हुआ या हिन्दुस्तान का रहने वाला है वह हिन्दुस्तान का नागरिक है, चाहे वह किसी मुल्क से ताल्लुक रखने वाला है तो मैं इस बात को मानने वाला हूं कि पाकिस्तान से पासपोर्ट लेकर जो लोग आए और दस दस, बीस बीस साल से यहां रहते हैं उनके लिए उनके केसेज की नजरसानी करना चाहिए और अगर वह गलतफहमी में या लालच में या किसी हालात के कारण यहां से चले गए, कोई वजूहात नहीं कि उनको यहां न बसाया जाय और उनको नागरिकता न दी जाय। ऐसे लोग जो लड़ाई के दौरान लुटखुस कर आए हैं उनके लिए मेरा सुझाव है कि केन्द्र की हुकूमत को और इस राज्य की हुकूमत को इस बात की कोशिश करनी चाहिए और वह केन्द्र की हुकूमत को कहें, इतनी बड़ी तादाद भी नहीं है, पचास साठ हजार से ज्यादा लोग नहीं हैं वे सब लोग ज्यादा अर्से तक कैम्प में रहें, आप खैरात देते रहें यह गवारा नहीं है। हमको यह भी गवारा नहीं है कि उनको भिखारी बना कर रखें। दूसरा सुझाव यह है कि उनको रिहेबिलेट करने के लिए उनको नागरिकता दी जाय और नागरिकता देकर उनको उनके टेस्ट के अनुसार, इनकी इच्छानुसार पेशा दीजिए। उनको जमीन दीजिए, यह मैं आवश्यक नहीं समझता कि जो सरहदी एरिया है, बोर्डर एरिया है उसमें उनको बसाया जाय पर मैं यह जरूर चाहूंगा कि उनको ऐसी जमीनें दी जायं कि जिसमें वे आसानी से काश्त कर सकें। अगर वह काश्त के अलावा कोई पेशा कर सकते हों, उनकी सहूलियत उनको उपलब्ध होनी चाहिए। राज्य सरकार को, केन्द्र की हुकूमत को उनको बसाने के लिए उनको पेशा देना चाहिए। उस पेशे में जो करते चले आ रहे हैं उसके अनुसार उनको पैसा देकर उनको बसाना चाहिए। और इस सिलसिले में कैटेगराईजेशन होना चाहिए। अब हर आदमी न तो इस बात का दावा करता है कि जमीन दे दो तो वह काश्त करें, अगर वह तिजारत करता है तो तिजारत करें, अगर वह जमीन पर काश्त करता है तो उसको जमीन दिलवा दें और हमारा यह कर्तव्य है कि हम अच्छी से अच्छी जमीनें जो हमको उपलब्ध हों वह हमको उनको देनी चाहिए। यह सही है कि दूसरों को बेघर

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

करके उनको बसाने की बात नहीं सोची जा सकती है, लेकिन उसके साथ साथ यह बात तो सोची जा सकती है कि हमारे बहुत से जो इस धरती के लाल हैं, जिनके पास सैंकड़ों बीघा जमीनें हैं और जिनको वो लोग छुपाए हुए हैं; वे उनके लिए कुर्बानी करें, चाहे गंगानगर के रहने वाले हों ग्रोर चाहे किसी और इलाके के रहने वाले हों, वे खुद इजहार करें कि राज्य सरकार उनकी जमीनें लेकर उनमें इसका वितरण करे और उनको बसाये। एक जगह बसाने की भी बात मैं नहीं सोचता हूँ और मैं यह मुनासिब भी नहीं समझता हूँ कि जहां से लुटखुस कर आये हैं उनको बोर्डर पर ही रखें। इसलिए कि आए दिन बोर्डर पर क्लैश-अप होते रहते हैं और हो सकते हैं। थोड़ा सा भी गलत कदम विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकता है और कौम के ताल्लुकात नाखुशवार हो जायं। मैं चाहूँगा कि बोर्डर से अलग रख कर उनको अच्छी जमीनें दी जायं। यह भी जरूरी नहीं है कि उनको बहुत दूर फेंका जाय और यह सवाई माधोपुर के कुछ नाले और खाले उनको दें यह भी मैं उचित नहीं मानता हूं। उनके लिए अच्छी जमीनें उपलब्ध होनी चाहिए। उनको काश्त के लिए साधन मुहय्या होने चाहिए, उनके मकान नहीं हैं तो इसके लिए जमीनें मिलनी चाहिए और उसके बाद उनका कर्जा मिलना चाहिए कि वह मकान अपना बना सकें और इन सब चीजों के लिए यह भी जरूरी नहीं कि सब चीजें केन्द्र की हुकूमत ही पूरा करे बल्कि इसमें हमारा भी कर्त्तव्य है कि हम उनको पूरी सहायता दें। जितना हम केन्द्र से ले सकते हों उतना हमको लेना चाहिए और जितना हम अपने पास से खर्च कर सकते हों, अपने साधन जुटा सकें वह हमको करना चाहिए।

आप मुलाहिजा फरमाइये कि इस मुल्क में 90 लाख आदमियों को 9 महीने तक अपने इशार से कुर्बानी करके फीड किया है। हमारी यह आज की परम्परा नहीं है, हमारी यह पुरानी परम्परा है कि जो दोस्त बन कर हमारे सामने आया है, जिसने हमारे इलाके में शरण ली, उसको हमने बहुत इज्जत के साथ रखा और बहुत सम्मान के साथ वापस किया। आपको मालूम है बंगला देश के जंग के वक्त बहुत से लोग जुल्मे सितम को सह कर और याहयाह की हुकूमत के शिकार होकर हमारे मुल्क में आए और उनको हमने शरण दी। हमने उनके लिए साधन जुटाये। हमने नौ महीने तक उनको खिलाया पिलाया और हमने उनको यह वायदा किया कि तुम जब जाओगे तब हम इज्जत के साथ भेजेंगे, हम तुमको निकालेंगे नहीं। हम यह भी कर सकते थे कि फौज खड़ी कर देते और उनको अपने मुल्क में घुसने नहीं देते, तो क्या नतीजा होता। इतिहास हमारे हालात पर आंसू बहाता और तवारीख में यह लिखा जाता कि जो लोग मुसीबत-जदा आए उनको फौज के जरिये पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच में खत्म कर दिया गया और विस्फाह कर दिया गया। तो हम आज गौरव के साथ दुनियां में सर उठा कर कह सकते हैं कि हमने हर उस इन्सान को कि जो हमारी शरण में आया, हमने उसको इज्जत की जगह दी है। वे लोग भी जो लुट खुस कर आए हैं इनकी बड़ी तादाद भी नहीं है कि जो हमारे लिए संकट पैदा कर दे और हमारे इलाके के लिए संकट पैदा हो जाय। हमारा इतना महान मुल्क

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

है, इतना बड़ा मुल्क है और मेरी समझ में हमारी यह मान्यता है कि लोग अगर इजहार से काम लें तो वह इतनी जमीनें उपलब्ध हो सकती हैं कि आसानी से बसाया जा सके। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि आप बोर्डर एरिया में तो उनको न बसायें तो बेहतर है क्योंकि जो दिमाग में जो तनकाह है, जो कडुवाहट उनके गले में है और जिस तरह से वे लुट खुस कर आए हैं, उसका नतीजा यह जरूर निकल सकता है कि वे कुछ दिनों तक बदले की भावना रखें और वह मैं समझता हूं कि सही नहीं होगा। जब दो कौमों के ताल्लुकात में सुधार हो रहा है, उस समय ये सारी चीजें गड़बड़ी पैदा कर सकती हैं। इसलिए बोर्डर एरिया से हटा कर उनको ऐसे इलाके में जल्दी से जल्दी बसाना चाहिए जो इलाके आपके नजदीक सही हों, जहां पर आसानी से बसा सकें और जहां पर अपनी जिन्दगी को आसानी से चला सकें। इस सिलसिले में मैं यह चाहूंगा कि इस सदन के कुछ लोग या कोई कमेटी या कोई कमीशन इस किस्म का निर्माण किया जाये जो उनकी हालात का पता चलाने को वहां पहुंचे और पूछे कि भाई आप क्या ख्वाहिश रखते हो। क्या आप जिस मुल्क से आये हो, जिसे अपना वतन समझते हो वहां वापिस जाने को तैयार हो। यदि वह चाहता है जाना तो हमें उस मुल्क का दरवाजा खटखटाना चाहिए। इसलिए उनसे गुफ्तगू की जाकर उनकी हालात का पता चलाना चाहिये। इस किस्म हालात पैदा करना चाहिये ताकि हम उनको बसा सकें। यह मेरा आपसे अर्ज करना है। मैं इस पोलिसी को कि आप उनको खिलाते रहें और वे आपके भरोसे पर जीते रहें, मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। यह पॉलिसी उनको खत्म करने की और भिखारी बनाकर रखने की है। इन्हीं अल्फाज के साथ जो तजवीज श्री गुमानमल जी ने यहां पर रखी है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धि चन्द जैन !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य श्री गुमानमल जी लोढ़ा ने जो संकल्प शरणार्थियों की समस्या के बारे में और उनको बसाने के बारे में प्रस्तुत किया है, उस सम्बन्ध में, मैं भी अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। शरणार्थी बाड़मेर जिला, जैसलमेर जिला और गुजरात प्रान्त में भी आये हैं। उनकी जो समस्या है बसाने की और नागरिकता की इन समस्याओं के बारे में राजस्थान सरकार को कोशिश करनी चाहिये। यह जो नागरिकता प्रश्न है, यह केन्द्रीय सरकार के अधिकार में आता है और इसके लिए राजस्थान सरकार ने जो प्रयास किए हैं वे ठीक हैं। आज इनको आये दो साल हो गए और आज तक इनको नागरिकता नहीं मिली हैं, काफी समय लगा दिया है और राजस्थान सरकार को इन पर दो करोड़ रुपया सालाना खर्च करना पड़ रहा है। इसलिए राजस्थान सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि जो इस देश में रहना चाहते हैं, उन शरणार्थियों को आप निकाल नहीं सकते हैं, अगर वे खुशी से जाना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं है क्योंकि आज तक वे उस देश के नागरिक हैं जब तक उनको नागरिकता का अधिकार यहां पर नहीं मिल जाता है। जब वे यहां पर ही रहना चाहते हैं तो उनको नागरिकता के अधिकार जल्दी से जल्दी दिये जाने चाहिए क्योंकि वे अपने आप पर और

Page No 103

(103)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

इस देश पर भी बोझा हो रहे हैं। हम उनको पूरा राशन देते हैं। पूरी खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। उनके केम्पस में रहने की व्यवस्था की गई है। राजस्थान सरकार ने जो प्रबन्ध किया है, वह ठीक है। मैंने इन कैम्पस को देखा है। वहां पर जो व्यवस्था है वह बहुत अच्छी है। खाने-पीने की जो सामग्री दी जाती है वह सुन्दर है। व्यवस्था अच्छी है और स्थिति यह भी है कि जो हमारे अनुसूचित जाति और जन-जाति के गरीब व्यक्ति हैं उन लोगों की हालत खराब है परन्तु शरणार्थियों को केन्द्रीय सरकार की सहायता से हम पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। इसलिए उनकी आदत इस प्रकार की हो गई है, काम नहीं करने की आदत हो गई है और मुफ्त में ही उनको खिलाते पिलाते रहे तो यह स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए उनको काम में लगाया जाये। वहां पर, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी कमीशन जो है, उनके द्वारा उद्योग धन्धे चलाये जा सकते हैं। खादी के उद्योग धन्धे वहां पर चल रहे हैं बार्डर एरियाज में, उस कार्य को विस्तृत करके उनको उनमें कार्य दिया जाना चाहिये।

मेरा यह भी निवेदन है कि यह जो शरणार्थी आये हैं उनका वजन बाड़मेर जिला और जैसलमेर जिला पर नहीं पड़ना चाहिये। उनको नागरिकता मिलती है तो वे हिन्दुस्तान के नागरिक हैं इसलिए उनका जिम्मा अकेले बाड़मेर जिला और जैसलमेर जिला ही संभाले यह तो नहीं होना चाहिये। हमारे यहां भूमि का प्रश्न है। हमने यह पाया है कि बहुत से अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों को अभी तक जमीनें प्राप्त नहीं हुई हैं। जो यहां के नागरिक हैं उनको जमीनें उपलब्ध न हो और इनको जमीनें अगर आपने दे दी तो आप एक नई समस्या पैदा करेंगे। हम चाहते हैं कि उनको बसाया जायें और इस प्रकार बसाया जाना चाहिये कि जहां पर जमीन उपलब्ध हो वहां पर उनको बसाया जाये। बाड़मेर जिले में किसी प्रकार से जमीन अवेलेबल नहीं है। राजस्थान केनाल में आप बसा सकते हैं।

(समय समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : सरकार की तरफ से उत्तर होगा....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : राजस्थान केनाल में बसाया जाये और इसका जल्दी से जल्दी डिसीजन होना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या और लोग नहीं बोलेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : गवर्नमेन्ट का रिप्लाय सुनना चाहते हों तो सुनें वरना 5 बजे बाद कार्यवाही स्थगित हो जायेगी। गवर्नमेन्ट रिप्लाय चाहते हैं तो मैं बोलूं। वरना माननीय सदस्य बोलें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उनकी खेती के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। कानून के हिसाब से अतिक्रमण होता है परन्तु आपने जुर्माना किया और फसलें भी कुर्क कीं, तो यह दोनों स्थिति ठीक नहीं है। अतिक्रमण किया है, जुर्माना हो गया तो फसल कुर्क नहीं होनी चाहिये। फसल कुर्क हो गयी तो जुर्माना माफ होना चाहिये ताकि उनको राहत मिले। यह व्यवस्था होनी चाहिये

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

और उनको नागरिकता के अधिकार जल्दी से जल्दी मिलने चाहिये। उनको राजस्थान केनाल एरिया में बसाये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये .....

श्री उपाध्यक्ष : श्री सज्जनसिंह।

श्री सज्जनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस मसले का कानूनी सवाल है, इन्टरनेशनल कानून है, उनको सिटीजनशिप मिले, कब मिले और क्या हो, इस पर विशेष तौर से मुझे निवेदन करना नहीं है।

जहां तक इस मसले का माननीय प्रश्न है, मैं बेसिकली यह मानता हूं कि जो पीड़ित है, दुखी है, असहाय है उनको सरकार की ओर से मदद मिलनी चाहिये। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, ये शरणार्थी दो बेसेज में आये हैं। एक तो वह बेस है जो युद्ध शुरू होने के पहले ही भारत में आ गया था और एक वह बैच है जो युद्ध के दौरान भारत में आया है। एज ए मैटर आफ फैक्ट अपर यह कुछ मैरिट है, अगर माननीय नेता जनसंघ दल के यह दलील पेश करते हैं कि उनको देश से प्रेम था, तो उनका यह प्रेम 25 वर्षों तक कैसे सोता रह गया, क्यों सुसुप्तावस्था में रहा, यह समझ में नहीं आता। जिस वक्त लाखों करोड़ों शरणार्थी भारतवर्ष के विभाजन के समय हमारे देश में आये उस समय इन्होंने स्वेच्छा से पाकिस्तान को अपना वेतनमान कर वहां पर रहना उपयुक्त क्यों समझा ? यह तो वे ही जाने। परन्तु पाकिस्तान की जो अन्दरूनी राजनीति है, उन परिस्थितियों के कारण, क्योंकि इनमें से अधिकांश वहां की अन्दरूनी राजनीति में भाग लेते थे, उस कारण यहां आये। माननीय नेता महोदय, जनसंघ दल ने बडी तारीफ के साथ पुरजोर शब्दों में यहां पर मांग की है कि इन लोगों को सांडेराव में जमीन देनी चाहिए, क्योंकि वहां पर इन्होंने खेती की है। तो इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे लोग, जो पाकिस्तान से युद्ध के समय नहीं वल्कि युद्ध के 8/9 महीने पूर्व यहां पर आये थे, पाकिस्तान की अन्दरूनी राजनीति के कारण क्योंकि आज भी उनके भाई वगैरह वहां पर रहते हैं और उनके कुछ परिवार यहां पर आये हैं। खैर वे आये तो उनका यहां पर स्वागत किया गया। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो हमारे मुल्क के नागरिक नहीं है, जो एक विदेश में राजनीति से पीड़ित होकर यहां पर शरण लें और हमारे देश की नागरिकता प्राप्त करने की इच्छा जाहिर करें, यह भी बर्दाश्त किया जा सकता है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, वे परिवार जिनका माननीय गुमानमलजी ने बड़ी हमदर्दी से जिक्र किया, उन्होंने 1972 में सांडेराव में जो जमीन तहसीलदार ने सीलिंग से प्राप्त की थी, उस भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया उस भूमि पर जाकर अनधिकृत कब्जा किया। साण्डेराव के समाज विरोधी तत्वों ने उनका स्वागत किया। क्योंकि वे लोग छोडना नहीं चाहते थे क्योंकि वह अनुसूचित जातियों और आदिवासियों की जमीन थी। इन आने वाले लोगों ने अपने हथियारों से उस जमीन पर कब्जा किया। उपाध्यक्ष महोदय, क्यों कि वह साथ में हथियार लेकर आये हुये थे। क्योंकि यह हरिजन पिछड़े हुये लोग थे।

(श्री सज्जनसिंह)
आज यहां उनकी हिमायत की जा रही है, जिन्होंने गरीबों के हकों को मारा है। गरीबों की रोटी छीनी है। उन लोगों की पैरवी की जा रही है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर उनको आंध्र में बसाया जाता है या उनको पंजाब में बसाया जाता है। लेकिन साण्डेराव की जनता उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। वहां ला एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा हो गई है। यह बात अलग है 1951 में तहसील नहीं की गई है। लेकिन 1972 में की जानी चाहिए। इस वक्त भी वह कहां काश्त करते हैं? उन गरीब लोगों को महरूम किया है। जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा कर रखा है। और हमसे ही हमदर्दी की भीख मांगें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनको कहीं भी बसायें लेकिन साण्डेराव की गरीब लोगों की रोटी छीनने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। वहां चाहे जो कुछ हो रहा हो, उन लोगों की फसलों को काट कर गरीब लोगों में बांटा जाये। उन लोगों को तत्काल वहां से निकाला जाये' वर्ना वहां खून खराबी होगी, झगड़े होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान में जो शरणार्थी आये हैं, उनको शरणार्थी न कह कर पुरुषार्थी कहना चाहिए उनको शरणार्थी नहीं कहना चाहिए।

श्री सज्जनसिंह : 25 वर्ष पहले वह क्यों नहीं आये?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लम्बे अरसे से उनका मामला अधरझूल में पड़ा हुआ है। राजस्थान में लाखों शरणार्थियों की व्यवस्था करनी है। दुःख यह है कि राजस्थान सरकार पुनर्वास की व्यवस्था कर नहीं सकी है। शरणार्थियों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक है। जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार उनकी संख्या 51,650 है। 47,826 शरणार्थी बाड़मेर के 25 तथा जैसलमेर के एक-एक शिविरों में। अक्टूबर, 1973 तक इन शरणार्थियों पर लगभग 2 करोड़, 6 लाख 50 हजार रुपये का व्यय हो चुका है। अगर राजस्थान सरकार कोई योजना बनाकर उनको बसाती तो मेरी मान्यता है कि इतनी रकम में राजस्थान सरकार इन शरणार्थियों को भली प्रकार बसा सकती थी। लेकिन सरकार ने उनको नहीं बसाया है। मैं यह भी निवेदन करूं कि केन्द्रीय सरकार ने स्पष्ट घोषणा की है कि उनको वापिस धकेला नहीं जायेगा। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी। लेकिन सरकार उनको सहायता करने में असफल रही है। मेरा निवेदन यह है कि ये पाकिस्तान का बार्डर के रहने वाले हैं। इनका रहन सहन और पशुपालन का धन्धा, सब भारत से मिलता जुलता है। पशुपालन और कृषि इनका मुख्य धन्धा है। ये लोग बड़ी संख्या में अच्छी नसल के पशु अपने साथ में लाये हैं। इस बारे में मेरा निवेदन है कि जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में, जहां पड़त भूमि पड़ी हुई है, वहां उनको बसा सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा पिछले युद्ध के दिनों में, जिन्होंने भारतीय सेना को मार्ग दिखाया है, जिन शरणार्थियों की वजह से भारत का गौरव बढ़ा है इन्हीं शरणार्थियों की वजह से भारत को विजय मिली है। इस युद्ध में जिन

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

शरणार्थियों के कई व्यक्ति मारे गये हैं, जिनके 15 व्यक्तियों को पाकिस्तान की सरकार ने बन्दी बना लिया है। इनके 49 व्यक्तियों को भारत की सेना ने प्रशंसा के प्रमाण-पत्र दिए हैं। उन 49 व्यक्तियों ने भारत की सेनाओं की मदद की है। पाकिस्तान पर विजय पाने में 49 व्यक्तियों ने सहायता की है। उनकी सूची हमारे पास मौजूद है। मैं कहना चाहूंगा कि आज कैम्पों में उनको दुःख के दिन काटने पड़े उससे बढ़कर और कोई दुःख की बात नहीं हो सकती है। उनको नागरिकता के अधिकार प्रदान करने के बारे में राज्य सरकार भारत सरकार को लिखती है क्यों नहीं इनको नागरिकता का अधिकार दिया जाता है। इसके पीछे राजनैतिक कारण काम कर रहे हैं। इसके कारण हमारे माननीय सदस्य को शंका हो रही है कि अगर इनको सीमा पर बसा दिया जायेगा तो जो पाकिस्तान के साथ तस्करी करते हैं, जिनका तस्करी का व्यापार चलता है, इन देश भक्तों के कारण उनका तस्करी का व्यापार बन्द हो जायेगा। उनको जो लाभ मिलता है, वह बन्द हो जायेगा। इस प्रकार के राजनैतिक तत्व किसी न किसी प्रकार इन शरणार्थियों को सीमा पर बसाने के बारे में रोड़ा अटकाते हैं। 1963 के भारत-पाक युद्ध में 20 हजार अल्प संख्यक समुदाय के व्यक्ति लगभग हमारे सीमावर्ती क्षेत्र से पाकिस्तान चले गये हैं। जिनके कारण बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जालौर जिलों में क्रमशः 297,4 .6,5616,2661 और 503 एकड़ भूमि खाली हो गई है। इसके अलावा लगभग 27 गांव पूरे के पूरे खाली हो गये हैं। भूमि हमारे पास पड़ी है। इससे अधिक मात्रा में इन क्षेत्रों में पहले सही पडत भूमि पड़ी हुई थी। अकेले बाड़मेर जिले में मार्च, 1972 को चौहटन तहसील में 79,608, बाड़मेर तहसील में 24,711 शिव तहसील में 1,55,381 एकड़ भूमि पड़त पड़ी हुई थी जहां इन शरणार्थियों को बसाया जा सकता है। इन शरणार्थियों को जमीन नहीं दी गई है। देशद्रोहियों को जमीन दी गई है। जो भूमि खाली हुई थी, उस पर सरकार ने कब्जा कर लिया है। इस प्रकार से कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि सीमा पर गड़बड़ी करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दिनांक 8 अप्रैल, 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5.00 बजे, दिनांक 8 अप्रैल, 1974 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

Page No 107

(107)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न सं. 659 की सूची

सन् 1972–73 में नई खोली गई प्राथमिक शालाओं की सूची

जिला:—सवाईमाधोपुर

क्र.सं.	नई प्राथमिक शाला का नाम	पंचायत समिति	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	कीरतपुरा	सवाईमाधोपुर	
2.	हलौदा	खंडार	
3.	खानपुर	"	
4.	खानपुर	"	
5.	फारिया	बोली	
6.	ढाणी	"	
7.	बन्धाबल	"	
8.	भूनून	"	
9.	जटवाव	गंगापुर	
10.	लेखपुर	"	
11.	कोटीमऊ	"	
12.	रैंती	"	
13.	सलोना	"	
14.	बरवटपुरा	करौली	
15.	घोरेरा	"	
16.	बण्डापुरा	"	
17.	भीकमपुरा	"	
18.	पहाड़पुरा	सपोटरा	
19.	गोरधनपुरा	"	
20.	मांगरोल	"	
21.	चीरी की नारोलो	"	
22.	गुनसार	हिण्डौन	
23.	सोमला	"	
24.	जहानाबाद	"	
25.	बिनेगा	"	

(108)

1	2	3	4
26.	चूरपुरा	टोडा रेम	
27.	ग्रारेज	,,	
28.	गुबारकी	महुग्रा	
29.	रिगसपुरा	,,	
30.	पीलवा	,,	
31.	बालाजी घाटा (मेलाका)	,,	
32.	खोयली	बामनवास (नादौती)	
33.	मीनापट्टी	,,	
34.	शंकरपुरा	,,	
35.	चकउदयरामपुरा	,,	
36.	ताजपुरा	,,	
37.	मालदेव की बगेची	,,	
38.	थड़ी	गंगापुर	

सत्र 1972–73 में खोली गई नई प्राथमिक शालाओं की सूची

जिला:—झूंझुनू

क्र.सं.	नई प्राथमिक शाला का नाम	पचायत समिति	विशेष विवरण
1.	पुलिस लाइन झूंझूनूं		शहरी क्षेत्र
2.	डेरावाली ढाणी कालेज के पास	नवलगढ़	,,
3.	वार्ड नं. 7 रेगरों का मोहल्ला	नवलगढ़	,,
4.	वार्ड नं. 3 बिसाऊ		,,
5.	वार्ड नं. 2 मंडावा		,,
6.	वार्ड नं. 9 उदयपुर वाटी		,,

———

जिला:—सीकर

क्र.सं.	नई प्राथमिक शाला का नाम	पंचायत समिति	विशेष विवरण
1.	नीम का थाना नं. 1 नगर	नीम का थाना	शहरी क्षेत्र
2.	नीम का थाना नं 2 नगर	नीम का थाना	,,
3.	व्यास मोहल्ला	फतेहपुर	,,
4.	हरिजन मोहल्ला	,, श्री माधोपुर	,,
5.	हरिजन मोहल्ला (पूर्व)	लक्षमणगढ़	,,
6.	खण्डेला नगर	खण्डेला	,,
7.	रामगढ़ नगर	रामगढ़	,,

जिला : सवाईमाधोपुर

क्र.सं.	नई प्राथमिक शाला का नाम	पंचायत समिति	विशेष विवरण
1.	बजरिया, मेन टाऊन		शहरी क्षेत्र
2.	सवाई माधोपुर शहर		,,
3.	गंगापुर सिटी		,,
4.	करौली		,,
5.	हिन्डौन		,,
6.	टोडाभीम		,,
7.	गंगापुर सिटी		,,

जिला : टोंक

क्र.सं.	नई प्राथमिक शाला का नाम	पंचायत समिति	विशेष विवरण
1.	टाउन नं. 4 बस स्टेण्ड		शहरी क्षेत्र
2.	टाउन नं. 1 निवाई	निवाई	,,
3.	टाउन नं. घासी मोहल्ला देवली		,,
4.	नम्बर 1 मोहल्ला रैगरान, टोडारायसिंह		,,
5.	टाउन नं. 1 खातोली मोहल्ला, उनियारा		,,
6.	टाउन नं 2 केकोड़ दरवाजा, उनियारा		,,

सत्र 1972–73 में प्राथमिक शाला से उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत शालाओं की पूर्ति

जिला : सवाई माधोपुर

क्र.सं.	प्राथमिक शाला का नाम	पंचायत समिति	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	चकेरी	सवाई माधोपुर	
2.	जड़ावता	,,	
3.	डिडायच	,,	
4.	लखमोपुर	करौली	
5.	रोता	,,	
6.	ढोंडिया	,,	
7.	राजोर	,,	
8.	सैमरदा मस्थल	,,	
9.	पांचालास	खण्डार	
10.	हिन्दूपुरा	ंौलो	
11.	लाखनपुर	,,	
12.	गम्भीरी	,,	
13.	भीजोरा	सपोटरा	
14.	मकूदा	,,	
15.	स्यारोली	गंगापुर	
16.	कुशाया	,,	
17.	नारायणपुर	,	
18.	मोहचा	,	
19.	बामनवास भूतेश्वर नं 1	बामनवास	
20.	जाहिरा	,	
21.	हाफीपुरा	,,	
22.	बरदाला	,,	
23.	दानाजपुर	हिण्डौन	
24.	बारता	,	
25.	काटरी	.	
26.	विजयपुरा	.	
27.	मोरडा	लालसोट	
28.	नागलपट	.	
29.	रानोली	,	

Page No 111

(111)

1	2	3	4
80.	तिथरियां	टोडाभीम	
31.	बोल	,,	
22	मकरंद	महुवा	
33.	टूडला	,,	
34.	रीथई	सपोटरा	
34.	नम्बर 2 महुवा	महुवा	
36.	शाला नम्बर 6 सवाईमाधोपुर	शहरी क्षेत्र	
37.	चकचैन पुर (मान टाउन)	,,	
38.	जाट की सराय, हिण्डोन	,,	
39.	नम्बर 3 (तालाब के पास) हिण्डोन	,,	
40.	नम्बर 1 टोडाभीम	,,	
41.	नम्बर 8 करौली	,,	
	(कन्या)		
42.	शिवाड	सवाई माधोपुर	
43.	चोथ का बरवाडा	,,	
44.	खण्डार	खण्डार	
45.	सपोटरा	सपोटरा	
46.	मण्डरायल	,,	
47.	नादोती	बामनवास	
48.	बामनवास	,,	
49.	जटवाड़ा (सलानी)	हिण्डोन	

(112)

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न सं 666 की सूची)

सीकर जिले में अकाल राहत के अन्तर्गत करवाए गए कार्यों का ब्योरा।

क्र. सं.	नाम कार्य
	वर्ष 1968–69 तथा 1969–70
1.	गोमती बाढ़ नियन्त्रण योजना
2	रायपुर जागीर बांध
	वर्ष 1972–73 तथा 1973–74
1.	भोजीपुरा फीडर (मरम्मत कार्य)
2.	मुजाना (पंचायत समिति बन्धे की मरम्मत)
3.	खण्डेला (पुराना अधूरा सहायता कार्य)
4.	परतापुरा (बांध का मरम्मत कार्य)
5	केरपुर (बांध का मरम्मत कार्य)
6.	सकराया (बांध का निर्माण कार्य)
7.	हर्ष (बांध का निर्माण कार्य)
8.	रायपुर कैनाल (मरम्मत कार्य)
9.	सिवाली (नया बांध निर्माण कार्य)
10.	सागर की मोरी (नया बांध निर्माण कार्य)
11.	रायपुर जागीर (नया बांध निर्माण कार्य)
12	डोकन (नया बांध निर्माण कार्य)
13	भगोट (नया बांध निर्माण कार्य)
14.	भीलों (नया बांध निर्माण कार्य)
15.	कोचोर (नया बांध निर्माण कार्य)
16.	रेटा (नया बांध निर्माण कार्य)
17.	सुरेरा (नया बांध निर्माण कार्य)
18.	दोन्तिल (नया बांध निर्माण कार्य)

नोटः–वर्ष 1966–67, 1967–68, 1970–71 तथा 1971–72 में सीकर जिले में अकाल सहायता के मद से कोई सिंचाई कार्य नहीं करवाया गया ।

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

मावली पंचायत क्षेत्र स्थित उच्च प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति

670. **श्री रामकिशन** (भरतपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि मावली पंचायत क्षेत्र में स्थित उच्च प्राथमिक शालाओं में छात्रों की संख्या के अनुपात के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति अब तक नहीं की गई है ?

यदि हां, तो कितनी उच्च माध्यमिक शालाओं में ?

उत्तर

यह सही नहीं है। छात्र अनुपात में अध्यापकों की नियुक्तियां की हुई है। केवल 4 उच्च प्राथमिक शालाओं में एक एक अध्यापक का प्रशिक्षित अध्यापक के अभाव में स्थान रिक्त है।

उच्च प्राथमिक से तात्पर्य मिडिल स्कूल से है। उच्च माध्यमिक से तात्पर्य हायर सैकेण्ड्री स्कूल से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च प्राथमिक के वारे में जानना चाहते हैं।

ब्यावर लेबर कालोनी में बिजली

671. **श्री केसरीमल** (ब्यावर) : क्या श्रम मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर में लेबर कालोनी को वने करीब 12 वर्ष हो गये और अभी तक इस कालोनी में बिजली नहीं लगाई जा सकी ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनी से विद्युत् लाइन लगाने के लिये राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति से दस हजार रुपया दिया गया ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त दस हजार की रकम खर्च कर जो विद्युत् लाइन खेंची गई वह गलत खींची गई और इस सम्बन्ध में राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल ने इस लाइन को काम में लेने से इन्कार कर दिया ? यदि हां, तो क्या जिस अधिकारी ने यह कार्य कराया और जिस ठेकेदार ने गलत कार्य किया उसे जिम्मेदार ठहराया गया ? यदि नहीं तो क्यों ? और यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) श्रम विभाग इस कालोनी में रोशनी का प्रबन्ध कब तक करा सकेगा ?

(स्थगित किया गया)

उद्योगों की स्थापना हेतु आशय पत्र

672. श्री **श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल बाजार) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भारत सरकार उद्योगों की स्थापना हेतु राज्य में गत 5 वर्षों में किस

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
किस उद्योग के लिए आशय पत्र, लाईसेन्स, अनुज्ञापत्र एवं सी. ओ. बी. पत्र किस-किस पार्टी को प्राप्त हुये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त आशय पत्र, लाईसेन्स, अनुज्ञापत्र एवं सी. ओ बी. के आधार पर किस किस पार्टी ने राजस्थान में अपने उद्योग की स्थापना की व किस स्थान पर ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा भारत सरकार द्वारा कम प्रोत्साहन दिया गया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) यह सही नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान में नियुक्त डाक्टर

673. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में इस समय कितने डाक्टर टेम्परेरी, एडहोक और प्रोबेशन पर कितने समय से कार्य कर रहे हैं ? कृपया उनकी पूर्ण सूची सदन की मेज पर मय पद के रखें।

(2) राजस्थान सर्विस रूल्स के अनुसार अधिकतम कितने समय तक एक डाक्टर टेम्परेरी, एडहाक और प्रोबेशन पर रखा जा सकता है ?

(3) यदि कोई अधिकारी उपरोक्त रूल्स की अवहेलना का दोषी है तो उसके साथ अनुशासन भंग के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति सांचोर क्षेत्र में पाठशाला भवन निर्माण हेतु राशि

674. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति, सांचोर क्षेत्र में पाठशाला भवन निर्माण हेतु काफी रकम अंशदान के रूप में गत साल आवंटित की गई है ? अगर हां, तो किस किस पाठशाला को कितनी कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त धनराशि अभी तक पंचायत समिति के पी.डी. खाते में हस्तानांतरित नहीं की गई है ? अगर हां तो क्यों ? अगर की गई है तो कब की गई ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उक्त रकम उपयोग हेतु किसी भी पाठशाला को नहीं दी गई है ? अगर हां तो क्यों ? अगर नहीं तो कब दी गई है ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(4) क्या यह सत्य है कि उच्च प्राथमिक पाठशाला डेडवा के भवन निर्माण के लिये अभी तक कुछ भी रकम आवंटित नहीं की गई है जबकि ग्रामवासियों ने करीबन 6000।–रुपये का जन सहयोग प्राप्त कर लिया है ? अगर हां, तो क्यों ? अब सरकारी अंशदान की रकम उक्त पाठशाला के लिए कब तक दे दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सही नहीं है। पंचायत समिति सांचोर की प्राथमिक शालाओं के भवनों के लिये स्वीकृत 30,000 रु. के अनुदान की राशि चैक सं. 354910 दिनांक 6–2–74 द्वारा जिला परिषद् जालौर ने पंचायत समिति सांचोर को भेज दी है।

(3) यह सही नहीं है। जिन शालाओं को विद्यालय निरीक्षक, जालोर के माध्यम से अनुदान मिला है उनकी सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है जिला परिषद् द्वारा पंचायत समितियों द्वारा चलाये जाने वाली शालाओं के भवनों की रकम विकास अधिकारी को चैक द्वारा दी जा चुकी है। जिसकी सूची 'स' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) प्राथमिक पाठशाला डेडवा के भवन निर्माण के लिये गत वर्ष कोई भी अंशदान स्वीकार नहीं किया गया। परन्तु जिन विद्यालय ने प्राप्त अनुदान का उपयोग नहीं किया है उसकी रकम में से डेडवा विद्यालय के भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत करने हेतु विद्यालय निरीक्षक, जालौर के पत्रांक विनिजा । सामान्य-ब।73–74।50 अनु दिनांक 1–3–74 के द्वारा जिलाधीश, जालौर के पास प्रस्ताव भेजे गये है।

प्रपत्र 'अ'

पंचायत समिति सांचोर के क्षेत्र में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शाला भवन के लिये स्वीकृत किये गये अनुदान का ब्योरा

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	50 अनुदान पर आवंटित धनराशि
1	2	3
1.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, अरणाय	6000।–
2.	,, ,, ,, ,, सरवाणा	3000।–
3.	,, ,, ,, ,, दूठवा	3000।–
4.	,, प्राथमिक विद्यालय, रवारियों का गोलीया, सांचोर	6000।–
5.	,, ,, ,, पुर	2000।–
6.	,, ,, ,, भाटोडा	3000।–
7.	,, ,, ,, देवडा	3000।–
8.	,, ,, ,, सेसावा	3000।–

1	2	3
9.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवातड़ा	2000।–
10.	,, ,, ,, रतना की ढाणी	2000।–
11.	,, ,, ,, बरणवा	3000।–
12.	,, ,, ,, सूंथड़ी	2000।–
13.	,, ,, ,, सुराचन्द	2000।–
14.	,, ,, ,, गुन्दाऊ	2000।–
15.	,, क.उ.प्राथमिक,, सांचोर	3000।–
	योग	45,000।–

प्रपत्र 'स'

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सांचोर के माध्यम से पंचायत समिति द्वारा संचालित प्राथमिक शालाओं के भवनों के लिये स्वीकृत राशि का ब्योरा

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	50 अनुदान पर आवंटित धनराशि
1.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रवारियों का गोलीया, सांचोर	6000।–
2.	,, ,, ,, पुर	2000।–
3.	,, ,, ,, झाटोडा	3000।-
4.	,, ,, ,, देवडा	3000।–
5.	,, ,, ,, सेसावा	3000।–
6.	,, ,, ,, भवातड़ा	2000।–
7.	,, ,, ,, रतना की ढाणी	2000।–
8.	,, ,, ,, वरणवा	3000।–
9.	,, ,, ,, सूंथड़ी	2000।–
10.	,, ,, ,, सुराचन्द	2000।–
11.	,, ,, ,, गुन्दाऊ	2000।–
	योग	30,000।–

प्रारूप 'ब'

जिला परिषद द्वारा विद्यालयों को दी गई राशि

क्र.सं.	विद्यालय का नाम					तिथि	दी गई धनराशि
1.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, अरणाय					18–2–74	6000।–
2.	,,	,,	,,	,,	सरवाणा		3000।–
3.	,, कन्या,,		,,	,,	सांचोर		3000।–
4.	,,	,,	,,	,,	दूठवा		3000।–
						कुल	15,000।–

जयपुर शहर में आये सरकार के मेहमान

675. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जोहरी बाजार) :—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर में सन् 1971-72 और 1972-73 में राज्य सरकार के कितने मेहमान आये ?

(2) जो मेहमान जयपुर में आये उनमें से कितने मेहमानों व विषय में टूरिज्म के डाईरेक्टर ने मिन्टो पैलेस में चार रुपये फी मेहमान का खर्चा किया ? मेहमानों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सच है कि बहुत से ऐसे लोगों का पैसा अदा किया गया जो मेहमान की तारीफ में नहीं आते ?

(4) उपरोक्त वर्षों में विदेशी मेहमानों को तोफे के तौर पर दिये जाने के लिए कितनी राशि करके राजस्थान सरकार के मेहमानों के लिए पोशाकें और दूसरी चीजें खरीदी गई ? और उनका आधार क्या था ?

(5) क्या यह सच है कि यह तोफेजात बिना टेण्डर हासिल किये खरीदे गये ?

(स्थगित किया गया)

सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में स्टूडेन्स नर्सेस की भर्ती

676. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में इस वर्ष गैर कानूनी तरीकों से स्टूडेन्ट नर्सेस का सलेक्शन कर भर्ती किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष भर्ती की गई स्टूडेन्ट नर्सेज को हटा दिया गया ? और स्थान रिक्त न होने के बहाने बिना छात्रवृत्ति के आधार पर हटाई गई स्टूडेन्ट नर्सेज को भर्ती किया गया ? यदि

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
हां, तो नियमानुसार अन्य किसी प्रार्थी को क्यों नहीं भर्ती किया गया ? तथा अब स्थान रिक्त होते हुए भी इन्हें छात्रवृत्ति क्यों नहीं दी गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सन् 1974 में अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई है। यह सही है कि सन् 1973 में जो भर्ती हुई थी, वह अवैध होने से भर्ती हुए छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी गई।

(2) जी नहीं। किसी को हटाया नहीं गया है। केवल छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। अब इस भर्ती को नियमित किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

(3) जी हां। राज्य सरकार के विचाराधीन है।

कोलायत तहसील में सड़कों का निर्माण

677. **श्रीमती कान्ता कथूरिया** (कोलायत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत बीकानेर की कोलायत तहसील में गडियाला से मण्डाल और मिठडिया से बज्जू तक कच्ची सड़क का निर्माण किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि इन गांवों में बस स्टेण्ड, पोस्ट ऑफिस आदि की सुविधायें उपलब्ध हैं ?

(3) क्या सरकार इन गांवों के सार्वजनिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त कच्ची सड़कों को पक्का करने का विचार रखती है ? यदि हां, इन्हें कब तक पक्की सड़क में परिवर्तित कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) गडीयाल से मांडल मीठडीया से वज्जू सड़कों का कार्य क्रमशः क्रैश योजना तथा अकाल राहत कार्यों में वर्ष 1973-74 में आरम्भ कराया था।

(2) जी हां।

(3) कच्ची सड़कों को पक्का करने का कार्यक्रम प्राथमिकता एवं उपयोगिता के आधार पर विचाराधीन है।

ला-कालेज में पार्ट टाइम पर नियुक्त मजिस्ट्रेट्स

678. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर सिविल कोर्ट्स में नियुक्त कुछ मजिस्ट्रेट्स व विधि विभाग के राजपत्रित अधिकारी ला कालेजेज में पार्ट टाइम इम्पालायड हैं ? यदि हां, तो कौन कौन और किन किन नियमों के अन्तर्गत और कब से ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ?

(2) क्या यह सही है कि इन एम्पलायड मजिस्ट्रेट्स के पास यूनिवर्सिटीज केसेज पेन्डिंग हैं ? यदि हां, तो अब तक जो यूनिवर्सिटीज केसेज तय किये गये हैं उनके क्या निर्णय रहे ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार राजपत्रित अधिकारियों को संस्थाओं में पार्ट टाइम काम करने की इजाजत दे सकती है? यदि हां, तो किन-किन नियमों के अन्तर्गत और अराजपत्रित अधिकारियों को क्यों नहीं?

(4) क्या यह सही है कि यूनिवर्सिटीज ने मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति से पूर्व कोई विज्ञप्ति नियुक्ति हेतु जारी की थी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार विज्ञप्ति द्वारा ऐच्छिक शैक्षणिक योग्यता वाले बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाने का विचार रखती है?

(5) क्या यह सही है कि राजस्थान में विधि स्नातक काफी मात्रा में बेरोजगार है? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें रोजगार दिलाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। यूनिवर्सिटी रूल्स के तहत ऐसा किया गया है, इस सत्र में निम्नलिखित व्यक्ति पार्ट टाइम लेक्चरार के पद पर कार्य कर रहे हैं:—

1. श्री वी. पी. भटनागर लेक्चरार ला प्रो. टी.एस. जयपुर (भूतपूर्व अतिरिक्त सिविल जज, जयपुर)।
2. श्री बी. एल. श्रीवास्तव, भूतपूर्व ला सैक्रेट्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्री डी. सी. जैन, ज्योइंट लेबर कमिश्नर, श्रम विभाग, राजस्थान, सरकार जयपुर।

(2) उपर्युक्त राजपत्रित कर्मचारियों के पास विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कोई केस नहीं है और न ही पहले कभी थे।

(3) जी हां। पार्ट टाइम कार्य करने की इजाजत राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारियों दोनों को आर. एस. आर. 43 (बी) के तहत दी जा सकती है।

(4) ऐसी अंशकालीन नियुक्तियों के लिए कोई विज्ञप्ति विश्वविद्यालय द्वारा जारी नहीं की जाती है। आवश्यकतानुसार सम्बन्धित व्यक्तियों से बातचीत करने के बाद उनकी अंशकालीन, नियुक्ति के लिए कार्यवाही की जाती है।

(5) राजस्थान में विधि स्नातकों के बेरोजगार होने सम्बन्धी सूची शिक्षा विभाग के पास नहीं है।

RULE 43 (b) of R. S. R.

(b) No Government servant may under take work for a private or public body or a private person, or accept a fee therefor without the sanction of competent authority who, unless the Government servant is on leave, shall certify that the work can be taken without detriment to his official duties and responsibilities

Sanction of competent authority necessary for acceptance of a fee.

थाना रायपुर के ग्राम भटखेड़ा का डकैती केस

679. **श्री रामचरण** (अटारू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) जिला झालावाड़, थाना रायपुर में ग्राम भटखेड़ा का डकैती का केस कब से दर्ज है ? तथा इस केस में कितने मुल्जिम गिरफ्तार किये गये हैं ? नाम दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या इस केस का अदालत में चालान पेश कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ थाना रायपुर में ग्राम भटखेड़ा की डकैती का केस दिनांक 15–4–73 को दर्ज किया था। मुकदमें में दो मुलजिमान अभयसिंह व मोतीसिंह को गिरफ्तार किया गया था।

(2) जी नहीं। तफतीश से मुलजिमान अभयसिंह व मोतीसिंह का मुकदमा हाजा की वारदात में शामिल होना नहीं पाया व अन्य मुलजिमान की पतारसी की काफी कोशिश की गई मगर पता नहीं चला। अतः मुकदमों में एफ आर दिनांक 14–2–74 को अदम सबूत में दी जा चुकी है।

अकलेरा माध्यमिक विद्यालय की क्रमोन्नति

680. **श्री भेरूलाल** (अकलेरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) जिला झालावाड़ क्षेत्र में अकलेरा विद्यालय किस वर्ष माध्यमिक विद्यालय से क्रमोन्नत किया गया था ?

(2) अकलेरा माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने के बाद राजस्थान में कितने विद्यालय उच्च प्राथमिक शाला से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये और बाद में माध्यमिक विद्यालय के रूप में आये विद्यालयों में ऐसे कितने विद्यालयों को उच्च माध्यमिक एवं महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया गया ? कृपया जिलेवार सूची सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि अकलेरा माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक और उच्च श्रेणी में क्रमोन्नत किये जाने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां और विधायकों द्वारा कई बार मांग की गई किन्तु क्रमोन्नत नहीं किया गया ? यदि हां, तो राज्य सरकार उक्त विद्यालय को छात्र संख्या विद्या भवन एवं क्षेत्र व अकलेरा कस्बा की आबादी को देखते हुए अब इस विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ क्षेत्र में अकलेरा विद्यालय वर्ष 1951 में माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया।

(2) वर्ष 1956–57 के बाद क्रमोन्नत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। यह सही है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय अकलेरा (झालावाड़) को उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर सत्र

(श्री भैरूंलाल)

1974–75 में क्रमोन्नत किया जाना संभव नहीं है क्योंकि इस प्रकरण हेतु बिभागीय बजट में प्रावधान नहीं है इसके लिए बजट में प्रावधान होने की स्थिति में अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ बिचार किया जा सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उद्योग विभाग द्वारा उद्योगों का डी-रजिस्ट्रेशन

681. श्री करन सिंह (डीग)–क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 10-1-74 को फास्टनर्स कोर्पोरेशन, भरतपुर तथा सन् 1973 में महालक्ष्मी इण्डस्ट्रियल कोर्पोरेशन, भरतपुर को उद्योग विभाग द्वारा डी रजिस्टर कर दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त दोनों लघु उद्योगों को डी-रजिस्टर करने से पूर्व उद्योग विभाग द्वारा कोई चार्ज शीट नहीं दी गई है ? यदि हां, तो चार्ज शीट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत करें। यदि नहीं, तो उद्योगों को मूल अधिकार मे क्यों वंचित रख कर डी-रजिस्टर जैसी कार्यवाही विभाग द्वारा की गई ?

(3) क्या उद्योग विभाग के पास लघु उद्योगों को इस प्रकार डी-रजिस्टर कर देने के लिये कोई नियम अथवा विधान है ? यदि हां, तो संबंधित सूचना सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों उक्त लघु उद्योगों को इस प्रकार की अवैधानिक कार्यवाही कर क्षति पहुंचाई गई ?

(4) क्या वर्तमान निदेशक, उद्योग विभाग से पूर्व के किसी निदेशक ने किसी लघु उद्योग को डी-रजिस्टर किया है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कोई चार्जशीट नहीं दी गई, लेकिन रीजनल आयरन एण्ड स्टील कंट्रोलर, भारत सरकार द्वारा मैसर्स महालक्ष्मी इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन, भरतपुर को दिनांक 2 और 29 मई, 1973 को नोटिस जारी किये थे। मैसर्स फास्टनर्स कार्पोरेशन को निदेशक, उद्योग विभाग ने स्वयं ने डी-रजिस्टर आदेश जारी होने के पहले दिनांक 27–12–73 को पार्टी को सुनवाई दी थी।

(3) जी नहीं।

(4) जिस अधिकारी को रजिस्टर करने का अधिकार होता है उस अधिकारी में डी-रजिस्टर करने का अधिकार भी निहित होता है। उक्त उद्योगों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई गई।

जी नहीं।

गंगानगर जिले में कुओं पर बिजली

682. श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर)–क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गंगानगर जिला में पिछले पांच सालों में कितने कुओं को बिजली दी गई उनमें से कितने सैंक्शण्ड एरिया और कितने अन-सैंक्शण्ड एरिया में हैं ?

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)

(2) उपरोक्त बिजली देने के आधार क्या क्या हैं और क्या इनमें समानता नहीं बरती गई? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच करवायेगी?

उत्तर

(क) पिछले पांच वर्षों में (अप्रेल 1969 से फरवरी 74 तक) गंगानगर जिले में 1468 कुओं को बिजली दी गई। इनमें से 1335 कुए स्वीकृत क्षेत्र में और 113 अस्वीकृत क्षेत्र में हैं।

(ख) स्वीकृत गांवों में तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से मात्र कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर मण्डल के नियमों के अनुसार दिये जाते हैं। अस्वीकृत क्षेत्रों में जो भी कनेक्शन दिये जाते हैं वे मण्डल के समय समय पर आदेशों के अनुसार ही दिये जाने चाहियें यद्यपि कोई विशिष्ठ शिकायत हो तो मण्डल की जानकारी में लाने पर उसकी जांच कराई जा सकती है।

तहसील हैडक्वार्टर्स पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट

683. **श्री हाजी जान मोहम्मद** (पिड़ावा)-क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार एक तहसील हैडक्वार्टर पर एक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कार्यालय खोलने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक?

(2) तहसील पिड़ावा के रैवेन्यू के झालावाड़ हैडक्वार्टर पर कितने केस चल रहे हैं? कौनसा केस कब दायर किया गया और उसमें कितनी पेशियां पड़ीं?

जयपुर जिले में वृद्धावस्था पेन्शन के मामले

684. **श्री जयकिशन लाल तोसावडा** (फागी)-क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) जयपुर जिले में सन् 1972 से अब तक कुल कितने वृद्धावस्था पेंशन के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(1) उनमें से कितने मामले निर्णीत हो चुके हैं और कितने बाकी हैं?

(3) बाकी मामलों को निपटाने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) वर्ष 1973-74 में ज जिले में वृद्धावस्था पेन्शन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) वर्ष 1972 से मार्च 74 तक जितने मामलों में निर्णय हो गया है उसका विवरण उक्त सूची में अंकित कर दिया गया है।

(3) बाकी मामलों की पत्रावलियां संबंधित तहसीलों में आक्षेपों की पूर्ति हेतु लौटाई गई हैं। इनका निपटारा प्रार्थियों द्वारा एतराज की पूर्ति किये जाने, जांच पूरी होने आदि के बाद किया जा सकेगा।

वर्ष 1973-74 में जयपुर जिले में वृद्धावस्था पेन्शन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र एवं वर्ष 1972 से मार्च 1974 तक स्वीकृत वृद्धावस्था पेन्शन आवेदन पत्रों की सूची।

क्र. सं.	नाम तहसील	वर्ष 1973-74 में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	वर्ष 1972 से मार्च 74 तक स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या
1.	आमेर	71	58
2.	जमवारामगढ़	20	15
3.	बैराठ	53	24
4.	कोटपूतली	33	25
5.	सांगानेर	14	7
6.	चाकसू	3	2
7.	फागी	7	4
8.	दूदू	6	3
9.	दौसा	10	18
10.	लालसोट	5	2
11.	सिकराय	3	3
12.	बसवा	18	21
13.	फुलेरा	12	12
14.	बस्सी	9	1
15.	जयपुर	288	419

कोटा शहर में हुई हत्यायें

685. **श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद)**—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जनवरी, फरवरी तथा मार्च, 1974 में कोटा शहर में कुल कितनी हत्याएं हुई ? कुल कितने व्यक्तियों के छुरे लगे ? नाम सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त सन्दर्भ में पुलिस विभाग, कोटा ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) कोटा शहर में माह जनवरी, फरवरी तथा 23 मार्च, 1974 तक सात हत्याओं तथा 11 छुरे लगने की घटनाऐं पंजीबद्ध हुईं। सूचा सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) कोटा पुलिस ने जो इन मुकदमात में कार्यवाही की है वह सदन की मेज पर रखी सूची के कालम 7 में अंकित है।

विधान सभा प्रश्न संख्या 293 द्वारा श्रीमति नगेन्द्रबाला विधायक कोटा

माह जनवरी सन् 1974 — दिनांक 1-1-74 से 23-3-74 तक दर्ज कत्ल के मुकदमात

क्र.सं.	मुकदमा नं. जुर्म दफा व थाना	तारीख वापसी	मरने वाले का नाम	किस हथियार से चोट पहुँचाई	नाम मुलजिमान	नतीजा तफ्तीश
1	2	3	4	5	6	7
1.	1/74, 302 आई.पी.सी. कोतवाली कोटा	9-1-74	अजीज पुत्र मुन्ने खां मुसलमान, कोटा	चाकू से	ओम उर्फ ओम प्रकाश पुत्र रामसिंह राजपूत	पेन्डिग तफतीश
2.	1/74, 302 आई.पी.सी. भीमगंज मण्डी	2-1-74	श्रीमती चूणा मणी डडवाणी, कोटा	चाकू से	अज्ञात	पेन्डिग तफतीश
3.	13/74, 302 आई.पी.सी. मकबरा	21-1-74	मुन्ना पुत्र मोहम्मद सद्दीक चन्द घटा, कोटा	चाकू से	नाका उर्फ जफर मोहम्मद नब्बू पिंजारा इस्माइल	पेन्डिग तफतीश
4.	11/74, 302 आई.पी.सी. गुमानपुरा	9-1-74	पदमसिंह पुत्र सद्दूर नेपाली	नुकीले हथियार से	अज्ञात	एफ.आर.अदम पता-मुलजिम 23-3-74
5.	20/74, 302 आई.पी.सी. गुमानपुरा	14-1-74	मदन पुत्र गोपाल हरिजन, कोटा	मुक्कों से	राम प्रसाद, लटूर, हरिजन मोखापाड़ा कोटा	चालान

माह फरवरी सन् 74

माह फरवरी सन् 1974 में सिटी में हत्या का कोई अपराध पंजीवद्ध नहीं हुआ।

माह मार्च सन् 1974

1	2	3	4	5	6	7
6.	81/74, 302 आई.पी.सी. गुमानपुरा	4–3–74	देवीशंकर पुत्र नारायण सिंह कैथूनी पोल, कोटा	सरीये व लट्ठों से	मुरलीधर, लक्ष्मणलाल, मूलचन्द, राम मूरत, रामनारायण, विजय शंकर बाबूसिंह दयालचन्द रामेश्वर, मांगीलाल छीतरलाल-चमार, श्यामलाल, राधेश्याम-रामसिंह जगजीवन लाल	पेन्डिंग तफतीश। 15 मुलजिमान् गिरफ्तार किये जा चुके हैं।
7.	29/74 302 आई.पी.सी. कोतवाली कोटा	22–3–74	मजीद पुत्र अब्दुल रजाक, लाड़पुरा	चाकू से	हमीद पुत्र अब्दुल रजाक लाडपुरा	पेन्डिंग तफतीश

विधान सभा प्रश्न संख्या 293 श्रीमती नगेन्द्र बाला विधायक, कोटा

दिनांक 1–1–74 से 23–3–74 तक दर्ज छुरे के मुकदमात

क्र.सं.	मु. नं. जुर्म दफा व थाना	तारीख कायमी	जिस व्यक्ति के चोट आई उसका नाम	जिस हथियार से चोट पहुंचाई	नाम मुलजिमान	नतीजा तफतीश
1	2	3	4	5	6	7
			माह जनवरी सन् 1974			
1.	3/74, 307, 326 आई.पी.सी. मकबरा	4–1–74	ओम प्रकाश पुत्र श्री बंशीलाल सुनार चौथमाता कोटा	चाकू से	कालू पुत्र केशरी लाल जघराज पुत्र रामकिशन	चालान

1	2	3	4	5	6	7
2.	12।74,307,324 आई.पी.सी. मकबरा	20–1–74	पुष्कर सिंह पुत्र छीतर सिंह रामपुरा, कोटा	चाकू से	कुक्की पुत्र धर्मपाल बृजराज-पुरा कोटा	पेन्डिग तफतीश
3.	25।ˉ4, ɔ07 आई पी.सी. भीमगंज मण्डी	27–1–74	मुस्मात गोपी पत्नी मंगला	चाकू से	रामनाथ चमार	पेन्डिग तफतीश
			माह फरवरी सन् 1974			
4.	17।74,30ˉ,324 आई.पी.सी. कोतवाली कोटा	20–2–74	घीसू पुत्र इब्राहीम मुसलमान लाडपुरा, कोटा	चाकू से	नूरूद्दीन पुत्र दाऊद मुसलमान, लाडपुरा	पेन्डिग तफतीश मुलजिम गिरफ्तार किया गया
5.	21।74,307,324 आई.पी.सी. मकबरा	3–2–74	अब्दुल करीम पुत्र जुम्मा खां, चन्द्र घटा	चाकू से	जब्बार पुत्र नन्दा, चन्द्रघटा	चालान
6.	45।74,307 आई.पी.सी. भीमगंज मण्डी, कोटा	21–2–74	कन्हैयालाल पुत्र नाथूलाल लष्करी	चाकू से	मंगल व हीरालाल	पेन्डिग तफतीश
			माह मार्च, सन् 1974			
7	24।74,307 आई.पी.सी. कोतवाली	7–3–74	छगनलाल पुत्र जरनामल गूजर	चाकू से	रमेश उर्फ राजेन्द्र सुन्नू कायस्थ, कोटा	पेन्डिग तफतीश
8.	84।74,307;452 आई.पी.सी. गुमानपुरा	7–3–74	भूथामल पुत्र विजय राज जैन, गुमानपुरा	चाकू से	रमेश राजेन्द्र संतो आमी का भाई	पेन्डिग तफतीश
9.	6ˉ।74;307,147,148 आई.पी.सी. नयापुरा	11–3–74	सत्यनारायण पुत्र रामकल्याण चोरसिया, कनवास	चाकू से	रामबाबू, सुरेन्द्र मुन्ना रवि शुक्ला	पेन्डिग तफतीश
10.	37।74,307,324, मकबरा	1–3–74	ओमप्रकाश पुत्र मूलचन्द कोली श्रीपुरा, कोटा	चाकू से	भीमसिंह, किशन श्रीपुरा	चालान
11.	64।74,307 आई.पी.सी. भीमगंज मण्डी	17–3–74	दिलीप व रसीद चन्दघटा	चाकू से	राजू सतू	पेन्डिग तफतीश

ग्रामीण अभियांत्रिक सर्वेक्षण खन्ड के कर्मचारियों को दैनिक भत्ता

686. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि ग्रामीण अभियांत्रिक सर्वेक्षण खण्ड, जोधपुर एवं बांसवाड़ा में कार्यरत सभी भू-सर्वेक्षक एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं को अपने मुख्यावास क्रमशः जोधपुर एव बांसवाड़ा से कई मील दूर गांवों में कार्य करने जाना पड़ता है ? यदि हां, तो उन्हें राजस्थान कर्मचारी यात्रा भत्ता नियमों के अन्तर्गत दैनिक भत्ता क्यों नहीं दिया जा रहा है ? क्या सरकार अब शीघ्र देने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां।

ग्रामीण अभियान्त्रिक सर्वेक्षण पार्टियों के सदस्यों को नियमानुसार दैनिक भत्ता दिया जा रहा है।

हिन्डौली पी. एच. सी. में परिवार नियोजन हेतु इन्टेन्सिव प्रोग्राम

687. **श्री रमेशचन्द्र सैनिक** (हिन्डौली): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष जनवरी महीने में हिण्डौली पी. एच. सी. में परिवार नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्टेन्सिव प्रोग्राम रखा गया था ?

(2) यदि हां, तो कब से कब तक ? तथा कितने कितने भागों में, किन-किन डाक्टर्स के नेतृत्व में रखा गया ?

(3) क्या यह सही है कि हिन्डौली के डा. पी. सी ने एक ऐसे युवक की नसबन्दी कर डाली जिसकी अवस्था 25 वर्ष से कम थी तथा अभी उसकी सगाई भी नहीं हुई थी ? यदि हां, तो क्यों ? उसका क्या नाम व ग्राम है, और उसकी क्या उम्र है तथा अभी वह किस परिस्थिति में है ?

(4) क्या यह सही है कि इसी अभियान के अन्तर्गत एक ऐसे वृद्ध का आपरेशन भी कर दिया गया जो 60-70 वर्ष का था ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य था ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जनवरी 74 एवं फरवरी 74 तक यह अभियान चार भागों में डा. पी. सी. जैन व डा. आर. पी. कपूर के नेतृत्व में मनाया गया था।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

तहसील हिन्डौन में पुलिस कर्मचारियों की स्ट्रेन्थ

688. **श्री उम्मेदी लाल** (हिन्डौन): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील हिण्डौन जिला, सवाई-माधोपुर में पुलिस विभाग के कितने कर्मचारी

(श्री उम्मेदी लाल)
हैं ? केडरवाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वहां की जन संख्या एवं कार्य क्षेत्र के अनुसार पुलिस कर्मचारी पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो क्या वहां स्ट्रैन्थ और बढ़ाई जावेगी ? और बढ़ाई जावेगी तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में कोटरी का इलाका पत्थर की खानों का है ? जहां पर ज्यादातर मजदूर वर्ग के आदमी पत्थर के कार्य पर निर्भर हैं और उन्हें डकैत परेशान करते हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार वहां पुलिस चौकी कायम करने का कोई इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) पुलिस थाना हिण्डौन मय पुलिस चौकियां, टाऊन सलीमपुर तथा सुरोठ में पुलिस कर्मचारियों की स्वीकृत नफरी 1 उप-निरीक्षक, 2 ए. एस. आइज, 5 मुख्य आरक्षी व 31 आरक्षक हैं।

(2) पुलिस पुनर्गठन समिति ने इस विषय में स्थिति का अध्ययन कर सिफारिशें की हैं। जो राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(3) डकैतों की गतिविधियों पर नजर रखने व मजदूरों को उनसे बचाने के लिये कोटरी खानों में आर. ए. सी. की एक अस्थाई चौकी स्थापित की जा चुकी है।

रेवदर तहसील में सड़क

689. श्री जेठमल आर्य (रेवदर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले में गत दो वर्षों में जितनी भी मैटल रोड बनाई गई है वे सभी बिना पत्थर का सोलिंग लगाये केवल मिट्टी पर ही कंकरीट बिछा कर रोड बनाई गई हैं ? यदि हां, तो यह रोड कितने दिन चलेगी ?

(2) क्या यह सही है कि सिरोही जिले की रेवदर तहसील में बास से भटाना तक रोड बनाने हेतु क्रेश प्रोग्राम की सलाहकार समिति ने दो बार निर्णय लिए किन्तु विभाग ने रोड बनाने की कार्यवाही नहीं करके वहां की गरीब जनता को मजदूरी देने से वंचित रखा ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया और उसके लिए दोषी कौन है तथा गत दो वर्षों में कौन कौनसी रोड सिरोही जिले में बनाई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सत्य नहीं है कि सिरोही जिले में गत दो वर्षों में केवल मिट्टी पर कंकरीट बिछाई जाकर मैटल रोड बनाई गई है, अपितु पत्थर का सोलिंग लगाया जाकर मेटल रोड निर्माण कराई गई है।

(2) बास से भटाना रोड निर्माण की स्वीकृति क्रेश योजना में सरकार से इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है, अतः विभाग द्वारा जनता को मजदूरी से वंचित रखने का प्रश्न नहीं उठता, गत 2 वर्षों में सिरोही जिले में बनी सड़कों की सूची संलग्न है।

सूची रोड जो सिरोही जिले में वर्ष 72-73 तथा 73-74 में निर्माण कराई गई

क्र.सं.	नाम सड़क 1	लम्बाई 2	मद जिसके अन्तर्गत कार्य हुआ 3
1.	सिरोही से माउन्ट आबू	4 कि. मी.	क्रेश एवं अकाल
2.	आबू बाई पास	14 कि. मी.	,,
3.	स्वरूपगंज बाई पास	2 कि. मी.	,,
4.	मन्दोर नरेन्दरा रोड	12 कि. मी.	क्रेश योजना
5.	एप्रोच रोड भांकरोडा	2 कि. मी.	,,
6.	भब्धार शिवगंज	12 कि. मी.	,,
7.	पादीव कालन्दरी रोड	8 कि. मी.	,,
8.	पिन्डवारा वालीरोड	9 कि. मी.	,,
9	मुगथला चिनार रोड	8 कि. मी.	,,
10.	जावल भुत गांव	4 कि. मी.	,,
11.	एप्रोच रोड़ उत्तमन	4 कि. मी.	,,
12.	झाड़ोली अम्बेश्वरजी	1 कि. मी.	,,
13.	झाडोली से सिवीरा	4 कि. मी.	,,
14.	देलदर निंबलागढ	14 कि. मी.	,,
15.	सोरडा बन्ट	6 कि. मी.	अकाल
16.	बैला मारीया	4 कि. मी.	,,
17.	सिरोही मण्डावर	13 कि. मी.	,,
18.	दादरला नगानी रोड	4 मि. मी.	,,
19.	वास दतानी रोड	2 कि. मी.	,,
20.	एप्रोच रोड जैनापुर	5 कि. मी.	,,
21.	अजारी बसन्तगढ रोड	3 कि. मी.	,,
22.	रोहेरा वाटेरा	6 कि. मी.	,,
23.	कालन्दरी से बालदरा	5 कि. मी.	स्पेशल एम्लायमेंट प्रोग्राम

(130)

सूची सड़क जो ग्रेवल से मेटल रोड में इम्प्रूव की गई

1	2	3	4
1.	जवाल हरजी रोड	25 कि. मी.	फेश अकाल
2.	पेशवा कोजरा रोड	4 ,,	फेश
3.	रेवदर दादरला वाया जोलपुर रोड	13 ,,	,,
4.	पिण्डवारा मोरस रोड़	10 ,,	फेश अकाल
5.	आरासना कोजराना रोड़	10 ,,	,,
6.	रामपुरा डोडूवा	10 ,,	अकाल
7.	बावल शिवगंज	12 ,,	,,
8.	स्वरूपगंज कोटडा	14 ,,	,,
9.	कालन्दरी जसवन्तपुरा	29 ,,	योजना/ फेश
10.	एप्रोच रोड़ गुरु शेखर	3 ,,	स्पेशल एम्पलायमेंट

परिशिष्ट 4

(अ. ता. प्र. सं. 422 की सूची)

श्री रामचन्द्र चौधरी, भूतपूर्व राजस्व मंत्री द्वारा माह मार्च, अप्रेल, 1972 में किये गये दौरों एवं उस हेतु लिये गये यात्रा भत्ते का विवरण।

क्र.सं. 1	दौरे की अवधि 2	दौरे का स्थान 3	दौरों का साधन 4	यात्रा भत्ता 5	दैनिक भत्ता 6	योग 7
1-	29-3-72 से 30-3-72	जयपुर से दिल्ली व वापिसी	हवाई जहाज	रु. 192।-	,,	रु. 192।-
2-	30-3-72, 31-3-72 से 6-4-72, 7-4-72	जयपुर से हनुमानगढ, हनुमानगढ क्षेत्र, हनुमानगढ से जयपुर	रेल, राजकीय वाहन प्राईवेट कार			
3-	10-4-72	जयपुर से हनुमानगढ	रेल			
	11-4-72	हनुमानगढ से सगरिया व वापिसी	सरकारी कार			
	12-4-72	पीली बंगा क्षेत्र हनुमानगढ़	—			
	12-4-72 व 13-4-72	हनुमानगढ से दिल्ली	सरकारी कार			
	13-4-72 से 14-4-72	दिल्ली व जयपुर	,,			
4-	18-4-72 से 19-4-72	जयपुर से हनुमानगढ	रेल	रु. 511.50	रु. 620.00	रु. 1256.12
	20-4-72	हनुमानगढ से गंगानगर	रेल	रु. 124.62		
	21-4-72 से 23-4-72	गंगानगर से श्री करणपुर, पदमपुर, विजय नगर, अनुपगढ, रायसिंहनगर, रावतसर व नोहर	सरकारी कार			
	24-4-72	नोहर से हनुमानगढ	सरकारी कार			
	24-4-72 से 25-4-72	हनुमानगढ से जयपुर	रेल			
5-	21-4-72	जयपुर से अजमेर व वापिसी जयपुर	सरकारी कार			
6-	26-4-72 से 26-4-72	जयपुर से दिल्ली व वापिसी जयपुर	हवाई जहाज			

(132)

परिशिष्ट ख

श्री रामचन्द्र चौधरी, भूतपूर्व राजस्व मन्त्री द्वारा माह मार्च, अप्रैल, 1972 में (मोटर विभाग) राजकीय वाहन द्वारा किये गये दौरों का विवरण।

क्र. सं.	दिनांक	स्थान	माईलेज (लोक बुक के आधार पर)	अभिव्यक्ति
1	2	3	4	5
1.	25-4-72	जयपुर से अजमेर, मांगलियावास तथा जयपुर वापिसी	329 कि. मी.	

Page No 133

(133)

परिशिष्ट 5

अ. ता. प्र. सं. 426 की सूची

(सूची)

अतारांकित प्रश्न संख्या 242

राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 (ब्यावर से भीम सैक्शन) को सीधा व चौडा कराने में जवाजा पंचायत समिति के ग्राम जिनकी भूमी सड़क में ली गई है, उनको ग्रामवार किसानों की संख्या निम्न है :—

क्र.सं.	नाम ग्राम	तादाद काश्तकार	क्षेत्रफल जो सड़क में आया बीघा	बिस्वा	विवरण
1.	केसरपुरा	11	6	3	
2.	राजियावास	9	4	16	
3.	कालीजर	33	26	6	
4.	सूरजपुरा सरवीना नौरपुरा	24	7	11	
5.	सरवीना बाडियानगर	3	2	7	
6.	बाडियानगर बाम्बीपुरा	–	–	–	सरकारी जमीन
7.	देवाता कलातखेडा	16	7	18	
8.	भगवानपुरा धोलीभाट	5	5	3	
9.	जवाजा	4	7	–	
10.	बाडियामाउलियावास दायेमलाबा जवाजा	4	3	8	
11.	सूरजपुरा लाटियाना	26	26	14	
12.	दादोला	5	4	18	
	योग:—	140	101	4	

परिशिष्ट 6

(अ. ता. प्र. सं. 427 की सूची)

बीकानेर शहर में चल रहे पोषाहार केन्द्रों की सूची

क.सं.	नाम हरिजन बस्ती	केन्द्र संख्या
1	2	3
1.	हरिजन बस्ती गंगाशहर, भीनासर	9 केन्द्र
2.	हरिजन बस्ती, गोगागेट	1 ,,
3.	डाक बंगला के पीछे	1 ,,
4.	बडी एवं छोटी गुवाड	3 ,,
5.	सांसियान बस्ती	1 ,,
6.	नायक बस्ती	1 ,,
7.	पाबुपुरा	1 ,,
8.	पाबुपुरा	1 ,,
9.	विनोबा बस्ती	1 ,,
10.	बडी एवं छोटी जसुलाई	2 ,,
11.	बिदासर बारी	1 ,,
12.	मोची सिक्कों का मोहल्ला	1 ,,
13.	10 नम्बर कोठी	1 ,,
14.	मोचियों का मोहल्ला	1 ,,
15.	नत्थूसर गेट	1 ,,
16.	अमरसिंहपुरा	1 ,,
17.	फतीपुरा	1 ,,
18.	रामपुरा	1 ,,
19.	खरनाडा	1 ,,
20.	सर्वोदय बस्ती	3 ,,
21.	कोरियान बस्ती	1 ,,
22.	मेहरा गिन्नाणी	1 ,,
23.	कोली भगतियान	2 ,,
24.	डूमों की बस्ती	3 ,,
25.	नायक बस्ती, रानी बाजार	1 ,,
26.	टी. डी. आफिस	1 ,,
27.	इण्डस्ट्रीज एरिया	1 ,,

1	2	3
28.	मुक्ता प्रसाद कोलोनी	1 केन्द्र
29.	भाटो का बास	1 ,,
30.	रोशनी घर के पास	1 ,,
31.	रावण चौक हनुमान हाथा	1 ,,
32.	गंगा शहर	1 ,,
33.	धोबी तलाई	1 ,,
34.	पठानों लुहारों का मोहल्ला	1 ,,
35.	गेरसरियान मोहल्ला	1 ,,
36.	चूनगरान	2 ,,
37.	कसाईयान	1 ,,
38.	पुलिस लाईन	1 ,,
39.	आर. ए. सी. में	1 ,,
40.	नत्थूसर मालियान	1 ,,
41.	मालियान बस्ती	1 ,,
42.	भट्टो का बास	2 ,,
43.	इन्द्रा कालोनी	1 ,,
44.	पंजाबगिर	1 ,,
45.	डायनों की बस्ती	1 ,,
46.	मालियान रानी बाजार	2 ,,
47.	बागवानों का मोहल्ला	1 ,,
48.	डाकोत एवं स्वर्ण बस्ती	1 ,,
	योग	66 केन्द्र

136

शुद्धि-पत्र

बुद्धवार, दिनांक 3 अप्रेल, 1974

स्कम्भ सं	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
4	अन्तिम से 2	की	को
5	ऊपर से 15	द्वारा	द्वारा तैयार
6	ऊपर से 4	ने	के
11	अन्तिम से 15	काल	साल
17	अन्तिम से 8	तहफ	तरफ
21	ऊपर से 10	इश	इस
22	" 17	के	कुछ
24	" 6	खरदी	खरीदी
23	" 3	बिन	दिन
28	" 7	भीं	भी
29	अन्तिम से 9	यह कि	—
30	" 12	आपके	आपसे
30	" 10	जितने	जिसने
31	ऊपर से 11	काम	—
38	अन्तिम से 13	साफ	सब
42	अन्तिम से 2	हरदेव	हरिदेव
52	ऊपर से 4	वर्षा	वर्षों
55	अन्तिम से 2	मक	लकड़ी, नमक
67.	ऊपर से 2	ले	के
69	" 11	इन्जिनियर	इन्जीनियर
72	" 16	स्तगत	स्थान
75	" 5	महिने	महीने
76	" 12	के	में
82	" 11	सभव	संभव
	अन्तिम से 8 व 12	मत्रीजी	मंत्रीजी
83	ऊपर से 14	निर्शय	निर्णय
	अन्तिम से 7	आश्चार्यजनक	आश्चर्यजनक
85	ऊपर से 3	में	मैं
86	ऊपर से 13	अंर्ज	—

1	2	3	4
88	ऊपर से 15	लाल	—
89	„ 7 व 8	क्लोजक	क्लोजर
96	„ 7	Priate	Private
97	„ 4	ही	हो
	अन्तिम से 9	तालुक	ताल्लुक
110	ऊपर से 14	की अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
134	ऊपर से 16	बच	बैंच
147	अन्तिम से 7	हब	हम
149	शीर्ष	व्ययस्था	व्यवस्था
149	ऊपर से 1	गल्फार	गफ्फार
153	ऊपर से 17	प्रचन्ड '	प्रचन्ड बहुमत
154	„ 1	कोजड़ों को	की जड़ों की
155	ऊपर से 21	कलोरली	कोरोलेरी
181	„ 1	शात्री	शास्त्री
191	„ 6	जबरदस्त	जबरदस्ती
191	„ 8	ला	ली
193	„ 6	माननीय	मानवीय
194	„ 10	पकार	प्रकार
194	„ 16	बिधेयक	विधेयक
198	„ 5	स्वाहिशमन्द	ख्वाहिशमन्द
198	„ 25	घरो	घरों से
199	„ 5 व 11	टेरीटोरी	टेरीटरी
199	„ 21	में	—
202	„ 13	याहयाह	याह्या
203	अन्तिम से 5	किस्म	किस्म की
204	„ 18	नागरिकता	नागरिकता का
206	अन्तिम से 9	जन	जैन
	„ 8	निवेदन	निवेदन
207	ऊपर से 1	श्री वृद्धिघन्द्र	श्री वृद्धिचन्द्र
214	अंतिम से 7	पचायत	पंचायत
214	„ 1	नार्ड	वार्ड
228	„ 13	ज	जयपुर
234	„ 8	सीलिंग	सोलिंग